खण्ड ९ — अंक २४
१७ दिसम्बर, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha (XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका — **१५०६–१०**

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

दैनिक संक्षेपिका ... — **१५६७–७०**

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका — **१५७४**

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... — **१५७५–७७**

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जनशक्ति निदेशालय

†*१२२२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति निदेशालय स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निदेशालय के मुख्य काम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) निकट भविष्य तथा दीर्घकालीन आधार पर आवश्यकताओं की शर्त के लिए **मंत्रि मण्डल** की जो समिति जनशक्ति की योजना तथा संगठन की समस्या पर विचार करने के लिये **बनाई गई** है उसके लिये यह निदेशालय सचिवालय का काम देगा । यह निदेशालय मंत्रि मण्डल समिति **के निर्णयों** को मंत्रालयों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किये जाने से भी सम्बन्धित होगी और **केन्द्र के ऐसे** मंत्रालयों तथा अन्य अभिकरणों तथा राज्य सरकारों से सम्पर्क रखेगा जो जनशक्ति की **समस्याओं** से सम्बन्धित हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समय मंत्रालय को जनशक्ति सम्बन्धी किन समस्याओं **का सामना** करना पड़ रहा है और मंत्रालय ने इन समस्याओं के कौन से अल्पकालीन हल निकाले हैं ?

†**श्री दातार** : विभिन्न पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है और यह देखना **आवश्यक** हो जाता है कि क्या वे उपलब्ध हैं । यदि वे उपलब्ध हैं तो क्या उसी मंत्रालय में उपलब्ध हैं या **किसी दूसरे**

†मूल अंग्रेजी में ।

स्थान पर या कि हमें अपनी आवश्यकताएं सामान्य जनता से पूरी करनी होंगी। फिर इन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है। इस काम के लिये समन्वय की आवश्यकता होती है। यही कार्य निदेशालय कर रहा है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार देश की एक राष्ट्रीय पंजी बनाना चाहती है जिसमें प्रविधिक व्यक्तियों की आवश्यक संख्या तथा उनकी उपलब्धता का उल्लेख हो ?

†**श्री दातार** : इस समय राष्ट्रीय पंजी की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार ने कभी उनके लिये राष्ट्रीय पंजी बनाने का विचार किया था ?

†**श्री दातार** : सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है जिससे यह पता लग सके कि क्या एक विशेष प्रकार की जनशक्ति उपलब्ध है। उस प्रयोजन के लिये साधारण सूचियां रखी जायेंगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस मामले में विभिन्न राज्य सरकारों से क्या विशिष्ट सहयोग प्राप्त हुआ ?

†**श्री दातार** : जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है हम इसे संगठित कर रहे हैं, इस प्रश्न पर भी हम राज्यों से बातचीत करेंगे क्योंकि जहां तक जनशक्ति की उपलब्धता का सम्बन्ध है हम उनकी पर्याप्त सहायता करेंगे।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का अन्दाजा लगाया है कि उसके विभिन्न विभागों के लिये कितनी मैनपावर (जनशक्ति) की जरूरत है ?

†**श्री म० च० शाह** : इसका अन्दाजा अभी कर रहे हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह निदेशालय सिंचाई तथा अन्य मंत्रालयों के प्राविधिक कर्मचारियों से ही अपना सम्बन्ध रखेगा ताकि इंजिनियरों आदि की कमी पूरी की जा सके ?

†**श्री दातार** : निदेशालय विभिन्न योजनाओं के समन्वय के लिये सामान्य नियम बनायेगा और स्वाभाविक ही है कि प्राविधिक कर्मचारी आयेंगे तथा अ-प्राविधिक कर्मचारी भी आयेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिन पदाधिकारियों की इस समय कमी समझी जा रही है, ऐसे पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये मंत्रालय के पास क्या योजनायें हैं ?

†**श्री दातार** : कुछ मंत्रालयों के पास योजनायें हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इन योजनाओं को विस्तृत किया जाये या एक केन्द्रीय योजना अपनाई जाये। ये मामले ब्योरे के हैं जिन पर विचार हो रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र निकेतन

†*१२२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय छात्र निकेतन की स्थापना किस तिथि तक हो जायेगी; और

(ख) ऐसी संस्था का उद्देश्य क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अभी इस अवस्था पर दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र निकेतन की स्थापना की तिथि बताना सम्भव नहीं है। जनवरी १९५७ में उसकी इमारत का निर्माण आरम्भ हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) हमारा उद्देश्य एक ऐसी संस्था स्थापित करना है जो विदेशों से आने वाले और साथ ही भारतीय विद्यार्थियों तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्य में रुचि रखने वाले विदेशों के अतिथियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था कर सके, और साथ ही दिल्ली में अध्ययन करने वाले या यहां आने वाले भारत सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थियों के आपस में मिलने तथा सम्पर्क बढ़ाने के लिये उपयोग में लाया जा सके, जिससे कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यवाहियों के लिये सुविधायें प्रदान करके उनमें एक-दूसरे की संस्कृति की समझदारी विकसित की जा सके।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इसकी इमारत के निर्माण की प्राक्कलित लागत क्या है ?

†**डा० म० मो० दास** : मूल प्राक्कलन तो ८·२ लाख रुपये का था। लेकिन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अब पुनरीक्षित प्राक्कलन ५·७९ लाख रुपये है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : उसमें कितने विद्यार्थी निवास कर सकेंगे ?

†**डा० म० मो० दास** : आरम्भ में तो उसमें ५० विद्यार्थियों के लिये ही निवास-स्थान रहेगा, लेकिन अन्त में हमारी व्यवस्था ३०० निवासियों के लिये होगी।

†**श्री वीरस्वामी** : इस इमारत का निर्माण पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : यह तो मूल प्रश्न का ही एक भाग था। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय छात्र निकेतन की स्थापना के लिये कोई विदेशी सहायता भी मिली है ?

†**डा० म० मो० दास** : अभी तक तो कोई नहीं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस संस्था का कोई आवर्तक व्यय भी होगा और, यदि हां तो उसका प्राक्कलन कितना है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, हां। उसका कुछ आवर्तक व्यय भी होगा, और हमें भय है कि उसमें प्रति वर्ष लगभग ५०,००० रुपये का आवर्तक घाटा रहेगा।

हिन्दी परीक्षा समिति

*१२२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई हिन्दी परीक्षा समिति ने क्या इस बीच अपना काम समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की रिपोर्ट टेबल पर रखी जायेगी; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का०·ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–५८९/५६]**

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री भक्त दर्शन : इस अफ़वाह में कहां तक सत्यता है कि इस समिति की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) को बालाय ताक़ यानी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है, क्योंकि शिक्षा-मंत्रालय के बहुत से प्रभावशाली महानुभाव इस काम को दिल से आगे नहीं बढ़ाना चाहते ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अफ़वाह बिल्कुल ग़लत है ।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार माननीय मंत्री ने बतलाया था कि अगर यह समिति सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तो इसको भंग कर दिया जायेगा, यानी इस बारे में कार्रवाई करने की बड़ी उत्सुकता थी । मैं जानना चाहता हूं कि अब इसमें देरी क्यों हो रही है और इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सवाल ज़रा पेचीदा है । रिपोर्ट हमारे पास आई है और उस पर विचार हो रहा है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करेगी ।

सम्पदा शुल्क

*१२२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ (अक्तूबर के अन्त तक) के दौरान सम्पदा शुल्क एक्ट से कुल कितनी राशि, राज्यवार वसूल की गयी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री विभूति मिश्र : इस विवरण को देखने से पता चलता है कि सन् १९५५–५६ में १,७३,२६,७५६ रुपये वसूल हुआ है और १९५६–५७ में ८८,६९,४७० रुपये वसूल किया गया है । जब एस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) चल रहा था उस समय सरकार की तरफ़ से कहा गया था कि इससे करीब ११ करोड़ रुपये आमदनी होगी । इस विवरण को देखने से पता चलता है कि १/११ कलेक्शन (संग्रह) हुआ है या यों समझिये कि १/५ और १/६ क्लेकशन हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कलेक्शन में कमी इसलिये हुई कि सरकार की तरफ से ढील हुई या और कोई बात थी ?

†**एक माननीय सदस्य** : यह इसीलिये क्योंकि मरने वाले व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है ।

†**श्री म० च० शाह** : मुझे वही उत्तर देना पड़ेगा, जो सामन्यत: दिया जाता है । हम यह सम्पदा शुल्क केवल उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में संग्रह कर सकते हैं जो सम्पत्तिशाली होते हैं और मर जाते हैं । लेकिन दुर्भाग्यवश, ऐसे बहुत ही थोड़े व्यक्ति मरते हैं और हम कम राशि ही संग्रह कर पाते हैं । यह हमारे हाथ की बात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह क्यों कहते हैं कि 'दुर्भाग्यवश' ऐसा होता है ?

†**श्री म० च० शाह** : मैंने 'दुर्भाग्यवश' इसलिये कहा है कि जहां तक संग्रहों का सम्बन्ध है यह दुर्भाग्य ही है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार का तख़मीना (प्राक्कलन) सरकार ने उस समय लगाया था, वैसा ही तख़मीना सरकार का हमेशा होता है कि जो तख़मीना लगाया जाये उसका छटा अंश भी न पूरा हो ?

†**श्री म० च० शाह** : वे सभी प्राक्कलन संभावित प्राक्कलन ही थे और हम सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों की मृत्युओं और मृत्यु के बाद सम्पदा शुल्क देने वालों की संख्या जैसे मामलों के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बिलकुल ठीक-ठीक प्राक्कलन कर भी नहीं सकते हैं। इसलिये, हम संभावित प्राक्कलन ही कर सकते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इन सभी संग्रहों पर कुल व्यय कितना हुआ है ?

†**श्री म० च० शाह** : यह व्यय कोई अधिक नहीं है, क्योंकि यह संग्रह कार्य आय-कर अधिकारी ही करते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े-बड़े शहरों में ही हमारे कुछ विशेष अधिकारी हैं; अन्यथा मूल्यांकन का यह कार्य आय-कर अधिकारियों, श्रेणी एक के निरीक्षण सहायकायुक्तों और आयुक्तों द्वारा किया जाता है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि १९५५–५६ में तथा १९५६–५७ में एस्टेट ड्यूटी (सम्पदा शुल्क) एक्ट के अन्तर्गत कितने-कितने केसिस पेन्डिंग (मामले विचाराधीन) थे ?

†**श्री म० च० शाह** : उसके आंकड़े इस प्रकार हैं ।

	१९५५–५६	१९५६–५७ (३१-१०-५६ तक)
विचाराधीन मामलों की संख्या	१,८८२	३,२०९
पंजीबद्ध किये गये नये मामले	४,९४०	३,६६५
निबटारे के लिये मामलों की कुल संख्या	६,८२२	९,८७४
वर्ष में निबटाये गये मामले	३,६१३	३,१३७
वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामले	३,२०९	३,७३७

त्रिपुरा के साहूकार

†*१२२८. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष त्रिपुरा के साहूकार ब्याज की किस दर पर दादन धन (ऋण) देते हैं; और

(ख) वहां ग्रामीण ऋण देने वाले एक बैंक की स्थापना में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) कोई विश्वासनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त से एक प्रतिवेदन मांगा गया है ।

(ख) ग्रामीण ऋण देने के लिये एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की एक योजना की परीक्षा की जा रही है ।

†**श्री दशरथ देव** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से किसान महाजनों से ब्याज की अधिक दर पर ऋण लेने के कारण शनैः-शनैः दरिद्र होते जा रहे हैं, क्या सरकार किसानों को कम दर पर ऋण देने के लिये वहां तुरंत भारत के रक्षित बैंक की एक शाखा खोलना चाहती है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : रक्षित बैंक सीधे ही किसानों को कोई ऋण नहीं देता है वह तो केवल शीर्ष सहकारी बैंकों को ऋण देता है। जहां तक मुझे जानकारी है, त्रिपुरा में कोई प्राथमिक सहकारी बैंक नहीं

†मूल अंग्रेजी में ।

है: कम से कम वहां कोई शीर्ष सहकारी बैंक नहीं है। रक्षित बैंक त्रिपुरा राज्य के साथ बातचीत कर रहा है ताकि वहां यथासम्भव शीघ्र एक शीर्ष सहकारी बैंक खोला जाये।

†**श्री बोरेन दत्त** : क्या त्रिपुरा राज्य बैंक को एक सहकारी बैंक में बदल देने का प्रस्ताव बैंक ने स्वयं दिया था ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह प्रस्ताव दिया गया था। इसकी जांच करने पर पता लगा था कि यह बैंक एक राज्य सहकारी बैंक बनाये जाने के लिये उपयुक्त केन्द्र नहीं बन सकेगा। इसी कारण एक नया शीर्ष बैंक स्थापित किया जाना है। इस सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। मेरा विचार है कि यह शीघ्र स्थापित किया जायेगा।

लोकमान्य तिलक का जन्म-गृह

†*१२२९. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रत्नगिरि के उस घर को जिसमें लोकमान्य तिलक ने जन्म लिया था अर्जित करने और उसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिरक्षित करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह घर एक नवनिर्मित भवन है जिसका बहुत कुछ नवीकरण किया गया है और पुरातत्वीय महत्व की कोई बात उसमें नहीं है।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हाल ही में बने मकानों को पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं लिया जा सकता है। परन्तु सरकार उन घरों और मकानों को जिनका सम्बन्ध हमारे देश की महान् विभूतियों के जीवन से है, परिरक्षित करने की आवश्यकता और वांछनीयता का भली प्रकार के अनुभव करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक राष्ट्रीय प्रन्यास बनाने का विचार है जिसका कर्तव्य ऐसे घरों की रक्षा करना होगा।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या यह सच है कि गृह मंत्री ने इस सभा के पांच महाराष्ट्रीयन सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल के इस अभ्यावेदन पर कि उस भवन को अर्जित किया जायेगा, अनुकूल निर्णय दिया था ?

†**डा० म० मो० दास** : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है।

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या पूना के गायकवाड़ बाड़ा का वह मकान, जिसमें कि लोकमान्य रहते थे, प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

†**डा० म० मो० दास** : मैंने बताया कि वह आधुनिक भवन, जो हाल ही में बनाये गये हैं, पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं लाये जा सकते हैं। पुरातत्व का सम्बन्ध प्राचीन भवनों से है। परन्तु मैंने यह भी बताया है कि उन मकानों के जिनसे हमारे देश की महान् विभूतियों के जीवन का सम्बन्ध है परिरक्षण के अधिक महत्व, आवश्यकता और वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए सरकार एक राष्ट्रीय प्रन्यास स्थापित करना चाहती है, जिसका कर्तव्य इन मकानों की देखभाल करना तथा परिरक्षा करना और, यदि सम्भव तो हो, उन्हें अर्जित करना होगा।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का विचार रत्नगिरि के घर को अर्जित करने का है ? क्या सरकार ऐसा करने के लिये राष्ट्रीय प्रन्यास से सिफारिश करेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : प्रन्यास अभी बनाया नहीं गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : एक राष्ट्रीय प्रन्यास बनाने की जिस प्रस्थापना पर सरकार विचार कर रही है वह अब किस स्थिति पर है ?

†**डा० म० मो० दास** : २ और ३ सितम्बर, १९५६ को नई दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में ऐसे एक प्रन्यास की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया था, और यह निर्णय किया गया था कि एक राष्ट्रीय प्रस्ताव की स्थापना का ब्योरा तैयार करने के हेतु शिक्षा मंत्रालय एक समिति नियुक्त करे, जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे घरों, भवनों, बागों अथवा स्थानों की देखभाल करना हो जो प्राचीन और एतिहासिक स्मारकों और स्थानों की श्रेणी में नहीं आते हैं परन्तु राष्ट्रीय महत्व के हो सकते हैं। प्रस्तावित समिति की संरचना के सम्बन्ध में एक टिप्पणी इस समय शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है ।

पश्चिमी जर्मनी का प्रविधिक शिष्टमण्डल

†***१२३१. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के प्रविधिक शिष्टमण्डल ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) पश्चिमी जर्मनी द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रविधिक संस्था का स्थान निर्धारित करने के लिये उसने किन-किन स्थानों का दौरा किया था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

(ख) शिष्टमण्डल का कार्य संस्था के लिये स्थान चुनना नहीं था और उसके दौरे का कार्यक्रम इस प्रयोजन के लिये नहीं बनाया गया था ।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि क्योंकि इस शिष्टमण्डल को पश्चिमी जर्मन सरकार ने भेजा था, अतः उसका प्रतिवेदन उसी सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा, भारत सरकार को नहीं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या भारत सरकार ने शिष्टमण्डल से इस संस्था के लिये स्थान चुनने के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं का सुझाव देने की प्रार्थना की है ?

†**डा० म० मो० दास** : भारत सरकार ने मंत्रि मण्डल सचिव श्री सुकथंकर के सभापतित्व में एक पुरस्कर्ता समिति नियुक्त की है। उस समिति ने प्रविधिक शिष्टमण्डल के साथ इस संस्था के जो कि स्थापित की जा रही है पूर्ण ब्योरे के सम्बन्ध में चर्चा की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मात्तन ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मन सरकार से प्रार्थना की है कि वह शिष्टमण्डल के प्रतिवेदन क आधार पर इस संस्था के बारे में अपना निर्णय उसे बताये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री भागवत झा आज़ाद को बाद में बुलाऊंगा । श्री मात्तन ।

†**श्री मात्तन** : दक्षिण भारत में अत्यधिक बरोज़गारी को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मंत्री इस प्रविधिक संस्था के कहीं दक्षिण भारत में और अधिक अच्छा हो कि बंगलौर में स्थापित किये जाने की वांछनीयता पर विचार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास** : एक उच्च प्रौद्योगिक संस्था दक्षिण भारत में और एक उत्तर भारत में स्थापित करने की प्रस्थापना पहले से ही है। मैंने इस सभा में कई बार यह बात स्पष्ट की है कि ये दो संस्थायें योजना कालावधि के उत्तरार्द्ध में स्थापित की जायेंगी।

†**श्री स० चं० सामंत** : क्या अमरीका की सरकार भी भारत में एक उच्च प्रौद्योगिक संस्था के निर्माण कार्य में सहायता देने के लिये वैसा ही एक शिष्टमण्डल भेजने का विचार कर रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : हमें अमरीका की सरकार से एक प्रस्थापना मिली है कि वह एक उच्च प्रौद्योगिक संस्था को स्थापित करने में हमारी सहायता करना चाहती है।

कोयना तथा अन्य परियोजनायें

†*१२३२. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के श्री ग्रेमार्शल हाल ही में बम्बई राज्य की जल विद्युत् परियोजनाओं और विशेषकर कोयना परियोजना का अध्ययन करने के लिये भारत आये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन परियोजनाओं के अपने निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) विश्व बैंक के श्री ग्रेमार्शल कोयना परियोजना का विस्तृत अध्ययन करने के लिये भारत आये हैं।

(ख) श्री मार्शल अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को नहीं अपितु उक्त बैंक को प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस परियोजना के सम्बन्ध में श्री मार्शल के मुख्य निरूपण क्या हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वह अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथमतः उक्त प्रतिवेदन बैंक को जायेगा और कदाचित बैंक ऐसी पूछताछ करेगा जिसे कि वह उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर करना आवश्यक समझे।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या विश्व बैंक इस प्रतिवेदन के आधार पर इस परियोजना के विकास के लिये कोई ऋण देने को सहमत हो गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वस्तुतः किसी व्यक्ति को किसी योजना की जांच करने को भेजने का आशय ही यह होता है कि वह उसके लिये या अन्य उन परियोजनाओं के लिये, जिनका कि सर्वेक्षण किया जा रहा है, ऋण देने को तैयार है। दिये जाने वाले ऋण की परिमात्रा अथवा क्या उसने उस परियोजना के सम्बन्ध में, जिसके लिये कि ऋण दिया जाना है, अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है, एक एक मामला है जिस पर कि बाद को निर्णय किया जाना है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

†*१२३५. { +श्री ह० ग० वैष्णव :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एक आलम्ब ऋण प्राप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से प्रार्थना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का परिमाण क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) उक्त निधि के विधान के अनुसार भारत किस सीमा तक ऋण लेने का अधिकारी है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). करार के अनुच्छेदों के अनुसार भारत रुपया मुद्रा से ४,००० लाख डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीद सकता है परन्तु बारह महीने की किसी भी अवधि में १,००० लाख डालर के मूल्य से अधिक की नहीं खरीद सकता है। किसी भी आपात स्थिति के लिये यह स्रोत हमें एक आलम्ब के रूप में उपलब्ध है ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : भारत ने सन् १९५६ के प्रारम्भ से अपनी विदेशी प्रतिभूतियां में से कितना धन निकाला है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इसका सम्बन्ध विदेशी प्रतिभूतियों से नहीं है । प्रश्न इस सम्बन्ध में है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कितना ले सकते हैं । हमने अभी तक कोई धन नहीं निकाला है ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये पौण्ड पावने से धन निकालने के लिये कुल कितना उपबन्ध किया गया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इसका भी प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । यदि अध्यक्ष महोदय मुझ से उत्तर देने को कहें, तो मैं उत्तर दे दूंगा । योजना के अनुसार, उपबन्ध यह था कि हम कोई २०० करोड़ रुपये निकाल सकते थे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच नहीं है कि सन् १९४९ में हमने कुछ मुद्रा खरीदी थी, और यदि हां, तो क्या वह फिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जमा कर दी गई है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमने पहले कोई खरीद नहीं की थी और जो कुछ खरीद हमने की थी उसे हमने वापस कर दिया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम कुछ मुद्रा खरीद सकते हैं । क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कुछ मुद्रा खरीदने का निश्चय कर लिया है, और यदि हां, तो किस ब्याज दर पर ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सरकार ने निश्चय नहीं किया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह इसलिये उत्पन्न होता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने ब्याज की दर निश्चित की हुई है जिस पर कि वह विभिन्न देशों को मुद्रा ऋण देती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई ब्याज की दर निर्धारित है, तो फिर सौदेबाज़ी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और यदि सौदेबाज़ी की जाती है तो किसी ब्याज दर के निश्चित होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

फ़ौजी भूमि तथा छावनी विभाग

†*१२३८. { **श्री रामानन्द दास :**
डा० सत्यवादी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ़ौजी भूमि तथा छावनी विभाग के अधिकारियों की सेवायें कब केन्द्रीयकृत की गई थीं;

(ख) क्या इन पदों पर भविष्य निधि का लाभ प्राप्त होता है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या फ़ौजी भूमि तथा छावनी विभाग के अधिकारियों को सेवा-निवृत्त होते समय सेवा-निवृत्ति वेतन दिया जाता है और उसी समय भविष्य निधि तथा उपदान दिया जाता है;

(घ) क्या भविष्य निधि, उपदान और निवृत्ति-वेतन में अंशदान सरकार द्वारा दिये जाते हैं अथवा छावनी बोर्डों द्वारा; और

(ङ) छावनी निधि कर्मचारियों को इन लाभों के न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) ८ सितम्बर, १९४८ को ।

(ख) उन पदों में अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त नहीं होता है, परन्तु अधिकारियों को अपनी इच्छा से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान देने की अनुमति है ।

(ग) उदारीकृत सेवा-निवृत्ति वेतन नियमों के अनुसार उन्हें सरकार से निवृत्ति-वेतन तथा मृत्यु व सेवा-निवृत्ति उपदान मिलते हैं । यदि उनमें से किसी ने सामान्य भविष्य निधि में अंशदान किया होता है, तो सेवा-निवृत होते समय, उनको स्वयं उनकी संचित निधि तथा उसका ब्याज उन्हें वापस मिल जाता है ।

(घ) छावनी बोर्ड सरकार को भविष्य निधि और मृत्यु व सेवा-निवृत्ति उपदान में अपना अंशदान केवल उतनी अवधि के सम्बन्ध में ही देते हैं जब तक कि वह अधिकारी उनके अन्तर्गत छावनी कार्यपालिका पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है । क्योंकि इन पदों पर अंशदायी भविष्य निधि के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिये उनके भविष्य निधि लेखों में सरकार या छावनी बोर्डों द्वारा कोई अंशदान किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(ङ) फ़ौजी भूमि तथा छावनी सेवा में पदों की स्वीकृति भविष्य निधि विषयक शर्तों के अन्तर्गत दी गई है, जबकि छावनी निधि पदों की स्वीकृति अंशदायी भविष्य निधि विषयक शर्तों के अन्तर्गत दी गई है । यह वैकल्पिक शर्तें हैं और किसी कर्मचारी द्वारा इन दोनों शर्तों से लाभ उठाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सेना अधिकारी का बर्ताव

†*१२३९. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक सेना अधिकारी के बर्ताव के सम्बन्ध में, १६ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : यथेष्ट प्रमाण न होने के कारण, उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही बन्द कर दी गई है ।

†**श्री कामत** : जहां तक मुझे स्मरण है, पिछले अवसर पर प्रतिरक्षा संगठन मंत्री ने कहा था कि पुलिस उस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी । क्या पहले सेना अधिकारियों और बाद में पुलिस द्वारा इतनी लम्बी जांच के बाद भी उस मामले को न्यायालय में ले जाने लायक प्रमाण ढूंढना सम्भव नहीं हो सका ?

†**श्री दातार** : यह बात नहीं थी कि कोई प्रमाण पाना सम्भव नहीं था, बल्कि परस्पर विरोधी प्रमाण पाये गये थे ।

†**श्री कामत** : यदि मुझे ठीक-ठीक स्मरण है, तो प्रतिरक्षा संगठन मंत्री ने पिछली बार कहा था कि परस्पर विरोध रेलवे अधिकारियों के वृतान्तर में और उस सम्बन्धित अधिकारी के वृतान्तर में ही

†मूल अंग्रेजी में ।

था। क्या इससे मैं यह समझ कि अब कोई नया विरोध उठ खड़ा हुआ है जिसके कारण ही मामले को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सका ?

†**श्री दातार** : यदि माननीय सदस्य कृपया स्मरण करें, तो श्री त्यागी ने अपने उत्तर में यही कहा था कि रेलवे अधिकारियों द्वारा दिये गये विवरण में और सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त हुए विवरण में परस्पर विरोध था। तब उसके बाद रेलवे पुलिस द्वारा उस मामले पर विचार किया गया था और वह इस परिणाम पर पहुंची थी कि अभियोग स्थापित करने के लिये यथेष्ट सामग्री नहीं थी।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इस घटना की कोई विभागीय जांच की जा रही है ?

†**श्री दातार** : जबकि स्वयं रेलवे पुलिस द्वारा इसकी जांच किये जाने के बाद कोई सामग्री नहीं मिल सकी थी, तो मुझे भय है कि अब विभागीय जांच के लिये भी सामग्री नहीं रह गई है।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उस अधिकारी और रेलवे अधिकारियों द्वारा दिये गये विवरणों का सारांश क्या था ?

†**श्री दातार** : उस अधिकारी का कहना यह था कि उसने न तो असभ्य शब्दों का प्रयोग किया था और न ही उस व्यक्ति विशेष--अभियोक्ता--की ओर राइफल ही सीधी की थी। हमें जो वृतान्तर मिले थे वे कुछ असंगत थे। इसीलिये, यह देखा गया था कि यदि कोई कार्यवाही की भी गई, तो उसके परिणामस्वरूप कोई सजा या कोई और दण्ड नहीं दिलाया जा सकता था। इसीलिये उस मामले को समाप्त कर दिया गया था।

†**श्री कामत** : क्या रेलवे अधिकारियों के वृतान्तर की अपेक्षा उस अधिकारी के वृतान्तर को अधिक विश्वसनीय माना गया था ?

†**श्री दातार** : अधिकारियों के सामने जो भी प्रमाण आये थे उनका उचित मूल्यांकन करने के बाद ही विश्वास किया गया था।

†**श्री कामत** : मेरा प्रश्न तो यह था कि यह निर्णय करने से पहले कि मामले को अदालत में भेजने के लिये यथेष्ट प्रमाण नहीं था उस सम्बन्धित अधिकारी, अभियुक्त,--पूरी तौर पर अभियुक्त नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जिस पर कि एक अपराध करने का संदेह किया गया था,--और रेलवे अधिकारियों,--अर्थात् उस स्थान पर मौजूद रहने वाले स्टेशन मास्टर और अन्य अधिकारियों--द्वारा दिये गये वृतान्तरों में से किसके वृतान्तर को अधिक विश्वसनीय माना गया था ?

†**श्री दातार** : विश्वसनीय मानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं। गवाहियां ली गई थीं और जाच-पड़ताल करने के बाद रेलवे पुलिस इस परिणाम पर पहुंची थी कि उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये यथेष्ट सामग्री नहीं थी।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इन प्रमाणों में कुछ ऐसी कड़ियां भी थीं, जिनका पता नहीं लग सका था और वे कड़ियां किस प्रकार अधूरी रह गई थीं और क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई थी ?

†**श्री दातार** : जहां तक प्रश्न के बाद के भाग का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सम्भव है कि विभागीय जांच करने के लिये यथेष्ट सामग्री ही न रही हो। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, वह तो इसी बात पर निर्भर करेगा कि एक वृतान्तर अधिक विश्वसनीय है या दूसरा। उसमें इतनी अधिक असंगति होने के कारण ही, सरकार ने यह सोचा था कि उस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली राज्य-विधान सभा को दिये गये आश्वासन

*१२४५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य विधान-सभा की सिफारिशों पर दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में सरकार वर्तमान अवस्था में क्या रुख अपनायेगी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली के मुख्य आयुक्त को कोई आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य का निर्देश किन आश्वासनों और सिफारिशों की ओर है, किन्तु यदि कोई हुई तो उन पर यथोचित विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग). आशा है कि मुख्य आयुक्त [इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) से है] इस विषय की जांच करके उस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री नवल प्रभाकर : विधान सभा में समय-समय पर अनेक संकल्प पास (पारित) किये गये थे जिनमें अनेक सिफारिशें की गयी थीं, जैसे कि एक बार दिल्ली में रिंग रेलवे (वलय रेलवे) चलाने के बारे में सिफारिश की गयी थी। इसी तरह की और भी अनेक सिफारिशें की गयी थीं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि उन सिफारिशों पर अमल किया जायेगा ?

श्री दातार : इसके बारे में मेरे पास ऐसी सूचना आयी है कि विधान सभा के अधिवेशनों में दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन राज्य की विधान सभा के सम्मुख पहले ही रखा जा चुका है।

लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह

†*१२४७. **श्री वें० शिवा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप-समूह वाला संघ प्रदेश किसी क्षेत्रीय परिषद् में सम्मिलित हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

†**श्री वें० शिवा राव** : क्या यह सच नहीं है कि यह द्वीप-समूह ही संघ भर में एक ऐसा प्रदेश है जिन्हें कि क्षेत्रीय परिषदों में, जैसी कि उनकी वर्तमान संरचना है, सम्मिलित नहीं किया गया है ?

†**श्री दातार** : इन द्वीपों और शेष भारत या विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर बहुत कम समानता है। इन द्वीपों को अभी उचित रूप से विकसित किया जाना है, और सबके साथ समानता प्राप्त कर लेने के बाद ही, उनको किसी क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़ वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां

†*१२४९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री रामानन्द दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तब से वर्ष १९५६–५७ की छात्रवृत्तियों के लिये प्राप्त अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्रों को निबटा दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रार्थना-पत्रों, मंजूर की गई छात्रवृत्तियों की संख्या और वर्ष १९५६-५७ में इन छात्रवृत्तियों पर व्यय की जान वाली कुल प्राक्कलित राशि क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक इसी अवधि के लिये "अन्य पिछड़े वर्गों" के विद्यार्थियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को नहीं निबटाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि का अनुमान किया गया है और क्या आवंटन उपलब्ध है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : विवरण में प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में यह कहा गया है :

> "अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियों के लिये उपलब्ध लगभग ४५·३४ लाख रुपयों की धनराशि के अतिरिक्त, उपयुक्त 'नवीकरण' और सुयोग्य 'नये' उम्मीदवारों के लगभग लिये ३६·५ लाख रुपये की और धनराशि की आवश्यकता है ।"

लेकिन जितनी धनराशि उपलब्ध है, अर्थात् ४५·३४ लाख रुपये तक की सीमा तक, नवीकरण और सुयोग्य नये उम्मीदवारों से सम्बन्धित छात्रवृत्तियों को क्यों नहीं निबटाया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये जो धन राशि उपलब्ध थी, वह पर्याप्त नहीं थी । हम कैसे कुछ छात्रों विशेष को चुन कर उन्हें धन दे सकते थे जब कि अन्य को नहीं दिया जा सकता था ? इसलिये हम उचित निधियां चाहते थे जिससे कि सभी उपयुक्त उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी जा सकें ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या उपलब्ध धनराशि को नवीकरण और सुयोग नये उम्मीदवारों के लिये काम में नहीं लाया जा सकता था । क्या ३६ ५ लाख रुपयों की इस राशि के लिये तब से कोई व्यवस्था की गई है और कब इन छात्रवृत्तियों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्तियों के लिये जो धनराशि उपलब्ध थी, वह तो नवीकरण को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त नहीं थी । इसीलिये नवीकरण के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों का चुनाव करने में कठिनाई थी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : नवीकरण और साथ ही सुयोग्य नये उम्मीदवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आपने निधियों की अतिरिक्त व्यवस्था की जो मांग की थी उस पर वित्त मंत्रालय की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डा० म० मो० दास** : अभी तक वह फाइल वापस नहीं आई है, इसलिये हम वह नहीं जानते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : गत वर्ष भी धनराशि पर्याप्त नहीं थी । निधियों के अधिक आवंटन के लिये गत वर्ष से क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० म० मो० दास** : यह कहना ठीक नहीं है कि गत वर्ष भी निधियां पर्याप्त नहीं थीं । गत वर्ष ये निधियां लगभग १ १/२ करोड़ रुपये की थीं और यह राशि तीनों वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये पर्याप्त थी । इस वर्ष भी धनराशि उतनी ही है, अर्थात् १ १/२ करोड़ रुपये है, लेकिन प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक है । इसीलिये, निधियां कम पड़ गई हैं । हमने अधिक निधियों के लिये वित्त मंत्रालय को लिखा है । अभी तक उसका कोई उत्तर हमें नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि इस माह में वरिष्ठ विद्यार्थियों को विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं में भेजा जाना है, और चूंकि उन्हें अभी तक ये छात्रवृत्तियां नहीं मिली हैं और उनके प्रार्थना-पत्र रुके पड़े हैं, इसलिये अब उनके मामले में क्या किया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : मैंने निवेदन किया कि इस वर्ष प्रार्थना-पत्रों की संख्या बहुत अधिक है, और हमें जो धन निधियां दी गई हैं वे अपर्याप्त हैं। जहां तक कि पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, हम छात्र-वृत्तियां नहीं दे सके थे; लेकिन जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, हम छात्रवृत्तियां आवंटित कर चुके हैं। अभी तक अनुसूचित जातियों के १८,६५० और पिछड़ी हुई अनुसूचित आदिम जातियों के २,५८५ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं।

†**श्री पां० ना० राजभोज** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के जो लोग बौद्ध बन गये हैं उनको ये स्कालरशिप (छात्रवृत्तियां) मिल सकते हैं या नहीं ?

†**डा० म० मो० दास** : हम नहीं जानते कि बुद्ध धर्म अपनाने के पश्चात् उनमें जाति प्रथा रहती है अथवा नहीं।

†**श्री अच्युतन** : अन्य पिछड़ी जातियों के प्रार्थियों की कुल संख्या कितनी है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि · · · · · ·

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल एक प्रश्न ही पूछा जाये।

†**डा० म० मो० दास** : अन्य पिछड़ी जातियों के नये प्रार्थियों की कुल संख्या २८,६०६ है और १०,१०२ पुरानी छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिये है।

†**श्री न० राचय्या** : क्या मैसूर की अनुसूचित जातियों के छात्रों की ओर से सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनकी छात्रवृत्ति से १५ रुपये प्रति मास इस कारण काट लेने के आदेश दिये गये हैं क्योंकि उन्हें मैसूर राज्य से कुछ अनुदान मिल रहा है और इस कारण इन छात्रों को बहुत असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ा है ? क्या सरकार तुरन्त यह देखने के लिये कार्यवाही करेगी कि यह कटौती न की जाये ?

†**डा० म० मो० दास** : एक शर्त अथवा नियम यह है कि एक छात्र केवल एक ही छात्रवृत्ति ले सकता है, या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति अथवा राज्य सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति, वह दोनों छात्रवृत्तियां नहीं ले सकता है।

†**श्री न० राचय्या** : उन छात्रों को मैसूर राज्य सरकार की ओर से कोई छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं, वरन् उन्हें आवास प्रयोजन के लिये एक सांकेतिक अनुदान मिल रहा है, वह छात्रवृत्ति के प्रयोजन के लिये नहीं है · · · · · ·

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अब इसके ब्योरे में नहीं जा सकते हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे बहुत से छात्रों के, जिन्हें कि इन छात्रवृत्तियों के मिलने की आशा थी, अपने स्कूल शुल्क न दे सकने के कारण कालिजों से निकाल दिये जाने की संभावना है सरकार द्वारा कब तक इस मामले को अन्तिम रूप दिये जाने और उस सीमा तक, जिसके लिये कि प्रार्थनापत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं, छात्रवृत्तियां दे सकने की संभावना है ?

†**डा० म० मो० दास** : हम छात्रवृत्ति-धारियों को होने वाली कठिनाइयों का पूर्णतः अनुभव करते हैं। हम अपनी ओर से समुचित मात्रा में निधियां प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आखिर इस सभा को भी तो सरकार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान है। अभी उस दिन ही तो हमने दो वित्त विधेयक परित किये थे, ...

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि कम से कम उन व्यक्तियों की सूची को क्यों अधिमान न दिया जाये जिनकी छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया जाना है और जबकि कोई ४५ लाख रुपये आपके पास हैं तो फिर प्रतीक्षा क्यों की जाय ? इंजीनियरिंग कक्षा के सर्वप्रथम व्यक्ति, मैडिकल कक्षा के सर्वप्रथम व्यक्ति और इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों को छात्रवृतियां दी जा सकती हैं। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि "हम मृत्यु पर्यंत प्रतीक्षा करेंगे"। क्या माननीय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या इस ४५ लाख रुपये को तुरंत बांटा जा सकता है जिससे कि कुछ छात्रों की कठिनाइयों तथा कष्टों को दूर किया जा सके।

त्रावनकोर-कोचीन बैंकिंग जांच आयोग

†*१२५१. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से त्रावनकोर-कोचीन बैंकिंग जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) आयोग का प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायगा ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) सिफारिशें विचाराधीन हैं और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). सरकार शीघ्र ही प्रतिवेदन की प्रतियां सभा-पटल पर रखने की आशा करती है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं यह समझूं कि सभा के इस सत्र में स्थगित होने से पूर्व प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ?

†**श्री अ० चं० गुह** : इस सत्र में सभा के स्थगन से पूर्व हम प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या माननीय मंत्री के लिये प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का संक्षेप देना सम्भव होगा ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह एक काफी बड़ा प्रतिवेदन है, परन्तु क्योंकि यह प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा अथवा सभा-पटल पर रख दिया जायेगा, अतः इस समय की गई सिफारिशों का संक्षेप देना मेरे लिये उचित नहीं होगा। मेरे लिये एक संक्षिप्त विवरण देना कठिन है।

†**श्री वे० प० नायर** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुआ है और इसके कारण सैकड़ों बैंक कर्मचारियों को चिंता है, मैं पूछ सकता हूं कि प्रतिवेदन कब मिला था ? सरकार ने प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में इतना अधिक समय क्यों लगाया ?

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रतिवेदन इस वर्ष अगस्त में मिला था, अतः कोई अधिक समय नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त इसका सम्बन्ध दो या तीन मंत्रालयों और रक्षित बैंक से है, अतः कोई निर्णय करने से पूर्व हमें उनसे परामर्श करना है। इसके साथ ही बहुत सी सिफारिशें की गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत :** क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि यह प्रतिवेदन इस समय एक गोपनीय प्रलेख है, और इसलिये वह सिफारिशों तक का संक्षेप नहीं बता सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने सब कारण बता दिये हैं । यह एक बड़ा प्रतिवेदन है और इसमें बहुत सी सिफारिशें इत्यादि हैं ।

†**श्री अ० म० थामस :** क्योंकि बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर कल चर्चा होने को है और क्योंकि बहुत सी सिफारिशें इससे संगत होंगी और क्योंकि बैंकिंग समवायों और कर्मचारियों दोनों की ओर से इस प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिये सुझाव मिले हैं, अतः सरकार इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पूर्व कम से कम प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं कर देती है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** हमने विचार किया कि प्रतिवेदन प्रकाशित करने से पूर्व सरकार कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय कर ले ।

मेरे विचार से माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग ठीक नहीं है । मेरा विचार है कि बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक का इस प्रतिवेदन से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं होगा ।

†**श्री वे० प० नायर :** पिछली बार जब इस पर चर्चा हुई थी तो माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार कोई छै महीने में इस प्रतिवेदन को प्रकाशित कर देगी । जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, यह प्रतिवेदन अगस्त से माननीय मंत्री के पास है, अर्थात् कोई पांच मास से उनके पास है । इन दोनों बातों का समाधान कैसे किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अग्रेतर जिरह कैसी? उन्होंने कहा कि इसे रक्षित बैंक तथा अन्य मंत्रालयों को भेजा जाना है । बार-बार यह पूछने से कि आप देरी क्यों कर रहे हैं क्या लाभ है ?

हाली मुद्रा

†*१२५२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाली मुद्रा को, जो कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में प्रचलित थी, पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन राशि वापस ली गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५६ तक ४०·७४ करोड़ रुपये (हाली मुद्रा में) वापस लिये गये ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** हाली मुद्रा के स्थान पर कुल कितनी भारतीय मुद्रा प्रचलित की गई है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** हाली मुद्रा के स्थान पर भारतीय मुद्रा की किसी परिमात्रा के प्रचलित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । हमने पर्याप्त मात्रा में भारतीय मुद्रा वहां बैंकों और सरकार के पास रख दी है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** उस मुद्रा को पूर्ण रूप से वापस ले लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** १-४-१९५३ को जब कि उसका मुद्रीकरण किया गया था कुल धनराशि ४३·०३ करोड़ रुपये (हाली मुद्रा) थी, कोई ४०·७४ करोड़ रुपये वापस लिये जा चुके हैं, और अब केवल

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कोई २·२९ करोड़ रुपये बाज़ार में रह गये हैं। वापसी की अन्तिम तिथि ३१-१२-१९५६ है, जसा कि इस समय सरकार द्वारा घोषित किया गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि हैदराबाद सरकार के वचन-पत्रों में विनियोजित हाली मुद्रा की स्थिति क्या है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** पृथक् पूर्व-सूचना दी जाये ।

डालमिया केस

+

†*१२५३. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से श्री राम कृष्ण डालमिया के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) चालान ज़िला दंडाधीश, दिल्ली के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है ।

श्री प० ला० बारूपाल : इसका परिणाम कब तक घोषित हो जायेगा ?

†**श्री म० च० शाह :** यह तो मुक़दमे की कार्यवाही और जिला दंडाधीश द्वारा लिये गये समय पर निर्भर है। ज़िला दंडाधीश के समक्ष चालान प्रस्तुत कर दिया गया है ।

†**श्री च० द० पांडे :** श्री डालमिया के ख़िलाफ जो मुक़दमा है वह दीवानी है या फ़ौजदारी और वह प्रशम्य है या नहीं ?

†**श्री म० च० शाह :** यह हम कैसे बता सकते हैं। दंडविधान में कितनी ही धारायें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि यह दीवानी है या फ़ौजदारी ।

†**श्री म० च० शाह :** यह फ़ौजदारी केस है; चालान जिला दंडाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है जब कि यह अखिल भारतवर्ष का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

†**श्री म० च० शाह :** उन्हें सितम्बर, १९५५ में गिरफ्तार किया गया था, मेरी बात को ठीक किया जा सकता है। फिर, दो करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का पता लगाया जाना था और कितने ही गवाहों को गवाहियां लो जानी थीं। कोई २०० से अधिक गवाह और ४,००० से अधिक प्रलेख होंगे उन्हें इस कथित ग़बन को एक-एक पाई की खोज लगाना था ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या यह सही है कि इस केस के विषय में पहले भी केन्द्रीय सरकार की ओर से एक अधिकारी जांच के लिये नियुक्त किया गया था और उस जांच की फ़ाइलें रेलगाड़ी में चुराई गई थीं ?

श्री म० च० शाह : नहीं, मेरा विचार यह नहीं है। मेरे विचार से माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना ठीक नहीं है। रेलगाड़ी में कोई भी चीज़ नहीं चुराई गई थी वस्तुतः जब जांच-पड़ताल

†मूल अंग्रेजी में ।

आरम्भ की गई थी, तो उस कार्य को गृह-मंत्रालय के विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया गया था। उसे इन सभी रक़मों का विभिन्न स्रोतों से पता लगाना था। उसे बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों को जाना था और बयान लेने थे, और जैसा कि मैंने निवेदन किया, ऐसे व्यक्तियों की संख्या २०० से अधिक थी।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं सरकार से यह आशा कर सकता हूं कि वह राजस्थान में श्री डालमिया के जो मुनीम हैं उनकी भी तलाशी ले सकेंगे और उनसे भी इस मामले में जांच-पड़ताल करने की कोशिश करेंगे ?

†**श्री म० च० शाह** : कदाचित् माननीय सदस्य को विदित है कि नौ मुख्य अभियुक्त हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि मुनीम कौन है। नौ अभियुक्त हैं। श्री राम कृष्ण डालमिया और आठ और हैं।

वैज्ञानिक असैनिक सेवा

†*१२५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से एक वैज्ञानिक असैनिक सेवा गठित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार की इच्छा इस सेवा को प्रारम्भ करने की है अथवा नहीं। यदि सरकार की यह वास्तविक इच्छा है, तो इस इच्छा को किस प्रकार कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सम्भव है कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात हो कि समिति ने सिफारिश की थी कि संगत ब्योरों को निश्चित करने के लिये प्रतिवेदन को एक छोटी समिति को निर्दिष्ट किया जाये। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के शासकीय निकाय ने उक्त समिति नियुक्त कर दी है। इस समिति के प्रतिवेदन के उपलब्ध होते ही, सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी; प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही करने की सरकार की पूर्ण इच्छा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं सरकार द्वारा नियुक्त की गई इस समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उसमें १५ सदस्य हैं। क्या मैं उनके नाम पढ़ कर सुना दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, केवल सभापति का नाम।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** डा० महलोनवीस।

राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास

†*१२५५. { +**श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में स्थापित किये गये राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास की कार्यवाहियों का क्षेत्र क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या प्रन्यास ने इस बीच अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) उत्तम साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और पुस्तकालयों, शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं और सामान्य तौर पर जनता को ऐसी पुस्तकें कम मूल्य पर उपलब्ध कराना ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वह अपना कार्य कब तक आरम्भ कर सकेगा ? उसके कार्य आरम्भ करने में क्या बाधायें हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उसके मुख्य उद्देश्य तो सूचनापत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं । क्या मैं उन्हें पढ़ कर सुनाऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह अपना कार्य कब आरम्भ करेगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रन्यास की पहली बैठक शीघ्र ही बुलाई जायेगी ।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जीलिंग

*१२५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से दार्जीलिंग हिमालय पर्वतारोहण संस्था की स्थापना की गई है तब से उसने अपने उद्देश्यों में कहां तक सफलता प्राप्त की है;

(ख) अब तक कुल कितने व्यक्तियों को संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है;

(ग) भारत सरकार उसे अब तक कुल कितना अनुदान दे चुकी है और निकट भविष्य में कितनी राशि के अनुदान देना चाहती है; और

(घ) इस संस्था में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क), (ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ख) १६८ ।

श्री भक्त दर्शन : जो विवरण रखा गया है, उससे ज्ञात होता है कि इसमें केवल डिफेन्स मिनिस्ट्री (प्रतिरक्षा मंत्रालय) के लोगों को ही अभी तक पर्वतारोहण यानी माउनटेनियरिंग की शिक्षा दी जा रही है । क्या उसमें और विभागों के लोगों को तथा ग़ैर-सरकारी लोगों को भी शिक्षा देन की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री दातार : जी, हां ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में बताया गया है कि अभी तक इस इंस्टिट्यूट (संस्था) पर जो खर्च होता है उसका ७० फीसदी केन्द्रीय सरकार दे रही है जबकि इसका प्रबन्ध बंगाल सरकार के हाथ में है । क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार इसे अपने हाथ में नहीं ले लेती ?

श्री दातार : यह एक महत्वपूर्ण बात है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या सरकार पर्वतारोहण की अन्य संस्थाओं या क्लबों, और विशेषकर दिल्ली के हिमालय क्लब को सहायक-अनुदान देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार** : मेरे पास अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचना नहीं है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इस प्रश्न के उत्तर में कि केन्द्रीय सरकार इस पूरे मामले को अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है और जब केन्द्रीय सरकार ही उस योजना के लिये वित्त की व्यवस्था करती है तो उसने इसे पश्चिम बंगाल सरकार पर क्यों छोड़ रखा है, माननीय मंत्री का उत्तर था कि "यह एक महत्वपूर्ण बात है" ।

क्या 'महत्वपूर्ण' का अर्थ यह है कि ऐसे मामले राज्य सरकारों पर छोड़ दिये जायेंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें अपने हाथ में नहीं लेगी ?

†**श्री दातार** : मेरे कथन का अर्थ यही था कि वे केन्द्रीय सरकार के लिये बहुत महत्व के मामले हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : तो यदि यह महत्वपूर्ण है, तो केन्द्रीय सरकार को उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये, और राज्य सरकार पर नहीं छोड़ देना चाहिये । मैं यही कहना चाहता हूं ।

†**श्री दातार** : राज्य सरकारें भी हमारी ही सरकारें हैं ।

अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ

+

†*१२५८. { **श्री रामानन्द दास** :
डा० सत्यवादी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार से ऐसा कोई प्रतिनिधान किया है जिसमें छावनी निधि सेवकों की सेवाओं के केन्द्रीयकरण की मांग की गई हो; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

†**श्री रामानन्द दास** : सरकार इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगायेगी ?

†**श्री दातार** : उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि केन्द्रीयकरण के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक है । कर्मचारियों को भी केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां या असुविधायें हैं । इसीलिये, इस प्रश्न में निहित पेचीदगियों को देखते हुए, इसका निर्णय करने में कुछ समय लग ही जायेगा ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऐसोसियेशन (संस्था) ने किन-किन पदों के केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने की मांगी की है ?

†**श्री दातार** : यह प्रतिनिधान सामान्य तौर पर किया गया है । वे चाहते हैं कि छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन कर लिया जाये और उनकी सेवाओं का केन्द्रीयकरण कर दिया जाये ।

दिल्ली में स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें

***१२६१. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के प्राइमरी और सैकेन्ड्री स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें बदलना चाहती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं। इस समय नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली के अन्दर पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की भी कोई योजना है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी सरकार के पास ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है।

शैक्षणिक मानदंड

†*१२६५. **श्री कामत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में गणित विज्ञानों और अंग्रेजी की शिक्षा के मानदंड गिर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]**

†**श्री कामत** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट है कि सरकार ने बड़ी स्पष्टवादिता से यह स्वीकार कर लिया है कि देश भर में अंग्रेज़ी की शिक्षा का मानदंड गिर गया है। यदि पूरी तौर पर नहीं, तो क्या इसका आंशिक कारण यह है कि संविधान में हिन्दी को राज्यभाषा के रूप में मान्यता दे दिये जाने के कारण, और संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं की सूची में अंग्रेज़ी का उल्लेख न होने के कारण, आजकल अंग्रेज़ी भाषा के अध्ययन को महत्व नहीं दिया जा रहा है; और यदि हां, तो क्या सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ महीनों में प्रधान मंत्री द्वारा एक स्पष्ट वक्तव्य दिया गया है और इस बात को समझते हुए कि अंग्रेज़ी एक भाषा मात्र नहीं है बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, अब देश के विश्वविद्यालयों और कालिजों में अंग्रेज़ी के अध्ययन को प्रोत्साहन देने की प्रस्थापना करनी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य विवरण में देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त भी कर दी है। उस समिति के प्रतिवेदन के उपलब्ध होते ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री कामत** : सरकार की अपनी सूचना के अनुसार ये मानदंड कब से गिरने आरम्भ हुए हैं, और अब इस समय परिस्थिति खतरनाक हो गई है या साधारण तौर पर भी कुछ खराब है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि इन मानदंडों के गिरने के सम्बन्ध में कोई तथ्यपूर्ण जानकारी तो प्राप्त नहीं है, तथापि विभिन्न हल्कों से सामान्य तौर पर ऐसी शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं कि मानदंड गिर रहे ह। मानदंडों का गिरना और उठना एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रमशः और शनैः-शनैः ही होती है। आप कोई तिथि निश्चित करके यह नहीं कह सकते कि मानदंड गिर गये हैं या उठने शुरू हुए हैं। माननीय सदस्य विवरण में देखगे कि इन मानदंडों को उठाने के लिये भरसक प्रयास किया जा रहा है।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को ऐस भी समाचार मिले हैं कि कालिजों में प्रोफेसर और विद्यार्थी दोनों ही अंग्रेज़ी भाषा के अध्ययन के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उसमें कई बातें हैं। मानदण्डों के गिरने के लिये, मैं किसी एक ही बात को इसका कारण नहीं मान सकता हूं। उसके लिये विभिन्न बातों पर विचार करना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है, वह भी कई कारणों में से एक हो सकता है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मानदण्डों के गिरने और उठने का पता लगाने के लिये कौन-सी कसौटी रखी जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह तो एक तुलनात्मक कसौटी ही है। हम बड़ी आसानी से पहले दिनों के विद्यार्थियों के मानदण्डों की तुलना वर्तमान विद्यार्थियों के मानदंडों से कर सकते हैं। इसे तो परस्पर तुलना करके ही देखा जा सकता है, उदाहरण के लिये अंग्रेजी निबन्ध या अंक गणित आदि के मानदंडों की तुलना की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेज़ी की शिक्षा-प्राप्त प्रत्येक माता-पिता इसे जानता है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि विश्वविद्यालयों और स्कूलों—दोनों ही स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय कहां किया गया था ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : हाल ही में, दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे स्मरण है, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने वाले विषयों में से अंग्रेज़ी एक विषय रहनी चाहिये। जहां तक मुझे स्मरण है, उसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट सिफारिशें नहीं की गई थीं, क्योंकि वह क्षेत्र तो विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर भी दी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार किस आधार पर यह विचार करती है कि इन तीन विषयों के सम्बन्ध में तो मानदंड गिर गये हैं, पर अन्य विषयों में उन्हें गिरने नहीं दिया जा रहा है ? क्या इस परिणाम पर पहुंचने के लिये, इनका मूल्यांकन करने के लिये किसी सांख्यकीय सामग्री या अन्य किसी व्यवस्था का उपयोग किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है। माननीय सदस्य स्वयं भी एक प्रोफेसर थे।

राज्य-उपक्रम

†***१२६७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-उपक्रमों के कार्य-संचालन से सम्बन्धित ब्योरेवार वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रकाशित करने के प्रश्न को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस मामले के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने में सरकार के सामने क्या बाधायें हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कितने ही उपक्रम हैं, सभी उपक्रम एक ही मंत्रालय के अधीन नहीं हैं। उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय आदि मंत्रालयों के अधीन विभिन्न उपक्रम चल रहे हैं। उन सभी मंत्रालयों से परामर्श करना होगा, और इसके बाद ही एक टिप्पणी तैयार करके उच्चतम स्तर पर शायद मंत्रिमंडल की बैठक में कोई निर्णय किया जा सकता है। इसी कारण, और अन्य महत्वपूर्ण बातों के कारण ही इस मामले को तत्काल ही नहीं लिया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : राज्य-उपक्रमों के कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदनों के प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में कितने मंत्रालयों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है ?

†**श्री म० च० शाह** : इसमें सहमति प्रकट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो प्राक्कलन समिति की उन कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में था, जिनमें कि सन्तुलन-पत्रों, लाभ और हानि के लेखों और अन्य बातों के बारे में अधिक ब्योरा जुटाने की बात कही गई थी। यदि माननीय सदस्य ने १९५६-५७ के आय-व्ययक पत्रों को देखा है तो उन्हें मालूम हो गया होगा कि कुछ उपक्रमों के बारे में हमने संतुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों को भी संलग्न कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन उपक्रमों के सम्बन्ध में संसद् को देने के लिये हमें और अधिक तथा ब्योरेवार सूचना मिले और वह सूचना किस रूप में दी जाये, इसका निर्णय अभी किया जाना है। इसीलिये, इस पर अभी विचार किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अल्पसंख्यक वर्ग आयुक्त

†*१२२४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के परित्राणों के कार्यकरण की जांच करने के लिये अल्पसंख्यक-वर्ग आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुक्त ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी जांचों का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). उसकी नियुक्ति अभी विचाराधीन है।

प्रतिभाशाली युवकों का गांवों से प्रव्रजन

†*१२२७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवकों का तेजी से अभाव हो रहा है क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों को प्रव्रजन कर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे प्रव्रजन को रोकने पर विचार किया है या विचार करने का इरादा रखती है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अब तक इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५**]

दिल्ली में बाढ़ का प्रकोप

†*१२३०. { **श्री जठालाल जोशी** :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५६ के मध्य में यमुना नदी में आयी बाढ़ के कारण दिल्ली में तथा उसके आसपास कितने व्यक्तियों को पीड़ा उठानी पड़ी;

(ख) उनकी सहायता तथा पुनर्वास के लिये कितनी राशि व्यय की गयी;

(ग) क्या यमुना के बाढ़-क्षेत्र में आने वाली जमील बस्ती तथा कुछ अन्य ग्रामों को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त गांवों के निवासियों को बदले में अन्य किस स्थान पर बसाया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ६,५०० ।

(ख) ४,२५,००० रु० ।

(ग) जमील बस्ती को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु यमुना तथा शाहदरा बांध के मध्य के आठ अन्य गांवों को हटाने का एक प्रस्ताव है ।

(घ) इन गांवों के निवासियों को बसाने के लिये अन्य स्थान का चुनाव विचाराधीन है ।

बम्बई की गोदियों में पाकिस्तान के पक्ष में कार्यवाहियां

†*१२३३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई की गोदियों में जासूसों का गिरोह काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी ग़ैर-कानूनी कार्यवाइयां रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†*१२३४. **श्री वेलायुधन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेक्सटाइल टेकनोलॉजीकल इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम् में, पांच अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये छात्रवृत्तियां कब से दी गयी हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उनमें से चार को केरल सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां दी गयी हैं तथा वर्ष १९५६–५७ की प्रथम अर्द्ध वार्षिक किस्त का उन्हें १९ नवम्बर, १९५६ को भुगतान कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विमुक्त सशस्त्र सेना अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

†*१२३६. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य निवृत्ति-प्राप्ति की अवस्था कम करने के परिणामस्वरूप सशस्त्र सेना के जो अधिकारी मुक्त हुए हैं अथवा निकट भविष्य में मुक्त होंगे उन्हें पुनर्नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है; और

(ख) ये प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) ऐसे अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिये एक योजना बनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत मेजर जनरल के पद के एक सैनिक सम्पर्क अधिकारी को भारत सरकार के गैर-सैनिक मंत्रालयों तथा विभिन्न राज्य सरकारों और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के सेवा-योजकों से, ऐसे अधिकारियों की नियुति के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करने की दृष्टि से, सम्पर्क स्थापित करने के लिये नियुक्त किया गया है ।

(ख) २७ नवम्बर, १९५६ तक १०२ अधिकारियों को ग़ैर-सैनिक नियुक्तियां प्रस्तुत की गयी हैं ।

अखिल भारतीय फुटबाल संघ

†*१२३७. **श्री मोहिउद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने मेलबॉर्न ओलिम्पिक्स में एक फुटबाल टीम भेजने के लिये सरकारी ऋण की प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण दिया गया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

सेलम में लोहा तथा इस्पात के कारखाने

†*१२४०. **श्री च० रा० नरसिंहम** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सेलम में छोटे पैमाने के लोहा तथा इस्पात के कारखाने खोलने का सरकार का इरादा है; और

(ख) बाद को लिगनाइट ईंधन उपलब्ध होने पर क्या यह उन कारखानों में प्रयोग किया जा सकता है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). सेलम में लोहा तथा इस्पात के कारखाने स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार निम्न किस्म का ईंधन तथा अयस्क प्रयोग करके 'लो शेफ्ट प्रक्रिया' द्वारा कच्चे लोहे के उत्पादन की सम्भावना पर विचार कर रही है। यदि परिणाम उत्साहजनक हुए तो सेलम अयस्क तथा लिगनाइट का प्रयोग करने के लिये ऐसे कारखाने खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । एक बार किसी लोहा व इस्पात के कारखाने को वात भट्टी की प्रक्रिया के आधार पर बनाने पर उसे बाद में लिगनाइट ईंधन के कारखाने में परिणत नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मनीपुर में वेतनक्रम

†*१२४१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मनीपुर में आसाम के वेतनक्रम अपना लिये हैं, क्योंकि त्रिपुरा में बंगाल का वेतनक्रम अपना लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो आसाम का वेतनक्रम मनीपुर में किस हद तक लागू किया जाता है; और

(ग) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी, नहीं ।

(ख) आसाम के वेतनक्रम मनीपुर में पूर्णतया लागू नहीं किये जाते । मनीपुर में वेतनक्रम आसाम में एक ही प्रकार के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों वाले तत्स्थानी पदों के वेतनक्रमों को ध्यान में रख कर निश्चित किये गये थे ।

(ग) सरकार का मनीपुर में आसाम के वेतन दर पूर्णतया लागू करने का विचार नहीं है ।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम

†*१२४२. **डा० ज० न० पारिख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम कब लागू किया जाना है;

(ख) क्या विभिन्न एक्सचेंजों के लिये नियम और उपविधियां तैयार हैं;

(ग) भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्टाक एक्सचेंजों को अभिज्ञात करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या जहां-जहां एक से अधिक एक्सचेंज हैं, वहां उन का एकीकरण करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**राजस्व और सैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम को अगली जनवरी से लागू करने का विचार है ।

(ख) प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अर्थात् बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के एक्सचेंजों के नियम और उपविधियां बनाने के काम में काफी प्रगति हो चुकी है । अभिज्ञान के लिये प्रार्थनापत्र देने से पहले अन्य एक्सचेंजों को भी यह तैयार करने होंगे, क्योंकि अधिनियम की धारा ३ (२) के अन्तर्गत, प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंज के नियमों और उपविधियों की प्रतियां अवश्य होनी चाहियें ।

(ग) अधिनियम के लागू होने की प्रत्याशा में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के नियमों और उपविधियों की पहले से जांच की जा रही है, ताकि वे अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हों । यह जांच इस ख्याल से की जा रही है कि कम से कम प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों को फरवरी १९५७ तक अभिज्ञात किया जा सके ।

(घ) और (ङ). विभिन्न एक्सचेंजों के प्राधिकारियों के बीच बातचीत जारी है, ताकि बम्बई और अहमदाबाद के एक्सचेंजों में दूसरे एक्सचेंजों के सदस्यों की भर्ती आसानी से हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अखिल-भारतीय सेवायें

†*१२४३. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त, सरकार का कौन-सी अन्य सेवाओं को अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय सेवाओं के रूप में शुरू करने का विचार है और किस तिथि से; और

(ख) उन की भर्ती का आधार क्या होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नई अखिल भारतीय सेवायें बनाने के कुछ प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुस्तक प्रदर्शनी

†*१२४४. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान साहित्य अकादमी पुस्तक प्रदर्शनी की तरह, कोई प्रदर्शनी स्थायी आधार पर चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी में इस प्रकार की छोटी प्रदर्शनियां आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को दुष्प्राप्य प्रलेखों और पुस्तकों (नमूने पृष्ठ) की प्रतिरूप प्रतियां संभरित करने की स्थिति में है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) जब किसी राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होगा, तो इस प्रश्न पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियां/आदिम जातियां

†*१२४६. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन उम्मेदवारों को, जिन्हें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य घोषित किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपाती भर्ती के प्रयोजनों के लिये अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसा अभ्यावेदन अभी तक न संघ लोक सेवा आयोग को और न अखिल भारतीय सेवाओं पर नियन्त्रण करने वाले भारत सरकार के प्राधिकार को प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण, हैदराबाद

†*१२४८. **श्री तिमय्या** : क्या **विधि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर और केरल राज्यों से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में की जाने वाली अपीलों की सुनवाई और निपटारा न्यायाधिकरण द्वारा हैदारबाद में किया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**विधि-कार्य तथा अंसैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, नहीं। मैसूर राज्य की अपीलें १ नवम्बर, १९५६ से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की हैदराबाद बैंच सुनती है जबकि केरल राज्य की अपीलें पहले की भांति न्यायाधिकरण की मद्रास बैंच द्वारा सुनी जाती रहेंगी।

(ख) प्रशासनिक सुविधा के आधार पर मैसूर को हैदराबाद बैंच के क्षेत्राधिकार में रखा गया है।

लिमिटेड कम्पनियों में भ्रष्टाचार

*१२५०. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री निम्नलिखित जानकारी का एक विवरण टेबल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ २१ पर उल्लिखित दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा दिल्ली में लिमिटेड दायित्वों वाली कम्पनियों के भ्रष्टाचार और रिश्वत के कितने मामलों की जांच की गयी;

(ख) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जो इन मामलों में ग्रस्त थीं;

(ग) क्या जांच समाप्त होने पर कुछ और कार्यवाही भी की गयी; और

(घ) यदि हां, तो क्या और किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) १९५५ और १९५६ में विशेष पुलिस द्वारा लिमिटेड दायित्वों वाली कम्पनियों के ७ मामलों की जांच की गई। इनमें कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत या भ्रष्टाचार में ग्रस्त नहीं था। इनमें दुरुपयोग, गबन, धोखा देना और लेखे में गड़बड़ी करने के आरोप थे।

(ख) से (घ). एक मामले में दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फर्द जुर्म लगा दी गई है। एक मामले में जांच पूरी हो गई है और मुकदमा चलाने की संभाव्यता पर कानूनी राय ली जा रही है। दो मामलों में जाँच से मुकदमा चलाने योग्य पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले और ये मामले जोइंट स्टाक कम्पनी (संयुक्त स्कंध समवाय) के रजिस्ट्रार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं। एक मामले में जांच से मालूम हुआ कि कार्यवाही करने के लिये कोई कारण नहीं है। दो मामलों की अभी जांच हो रही है। आगे कुछ सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

[1]गैस पहुंचाने की व्यवस्था

†*१२५६. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों की भांति भारत के लिये एक गैस पहुंचाने की व्यवस्था बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ में इस व्यवस्था में कितने मील क्षेत्र आयेगा; और

(ग) इस व्यवस्था से कोयले की बचत में तथा वृहद मात्रा में कोयला ढोने वाली रेलों के भार को कम करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). उपयोग करने की एक पद्धति के रूप में कोयले को गैस में बदलने की योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है किन्तु कोई निर्दिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Gas Grid.

मद्यनिषेध

†*१२५९. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली राज्य के मद्यनिषेध कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगी ;

(ख) क्या दिल्ली में मदिरालय खोलने के लिये हाल ही में कोई नये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकार कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है ।

मनीपुर में स्कूलों और कालेजों को आर्थिक सहायता

†*१२६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूलों एवं कालेजों की संख्या जिन्हें वर्तमान में मनीपुर सरकार द्वारा सहायता अनुदान मिल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि १९५६–५७ में अभी तक किसी स्कूल को कुछ भी सहायता अनुदान नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण; और

(घ) सहायता अनुदान की अदायगी में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २२४ प्राथमिक, २४ मिडिल और १६ हाई स्कूल । कालेज एक भी नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सहायता अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है और लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक प्राधिकार प्राप्त होने पर रुपया ले लिया जायेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा अधिकारियों से मामले को शीघ्र निपटाने की प्रार्थना की जा रही है ।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग

†*१२६२. { **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कैन्टीन स्टोर्स विभाग द्वारा अर्जित लाभ; और

(ख) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा अर्जित लाभ में से यूनिट द्वारा संचालित कैन्टीनों को बोनस दिया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) १४,५८,४४२ रुपये ।

(ख) कैन्टीन स्टोर्स विभाग द्वारा यूनिट संचालित कैन्टीनों को इस प्रकार कोई बोनस नहीं दिया जाता है । किन्तु विभाग से खरीदी वस्तुओं के आधार पर उन्हें 'मात्रात्मक अपहार' दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय नौसेना की मालवाहिनी नौकायें

†*१२६३. **डा० ज० ना० पारिख :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से प्रतिरक्षा हेतु स्टोर्स और उपकरण लाने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा १९५५–५६ में भाड़े पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या भारतीय नौसेना में मालवाहिनी नौकायें रखने का विचार है जिन्हें संकट काल में प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जा सके ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जानकारी संग्रहीत की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

†*१२६४. **श्री भीखा भाई :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, नई दिल्ली में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों का आयोजन करने के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों के कार्यक्रम में दर्शकों को आमंत्रित करने का क्या मापदण्ड है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) प्रथम समारोह के लिये १ लाख ३७ हजार रुपये और दूसरे समारोह के लिये २ लाख ३२ हजार रुपये । अक्तूबर, १९५६ में आयोजित समारोह के लेखे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु आशा है कि ढाई लाख रुपये की स्वीकृत राशि के अन्दर सारा खर्च पूरा हो जायेगा ।

(ख) प्रथम समारोह के कार्यक्रम के लिये सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रण पत्र दिये गये थे । इनमें संसद् के सदस्य भी सम्मिलित हैं । १९५५ और १९५६ में केवल उद्घाटन समारोहों के लिये ही आमंत्रण पत्र भेजे गये थे और थियेटर में प्रतियोगिता देखने के लिये कीमतों वाले टिकट थे ।

उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, उत्तरी खंड

†*१२६६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना करने वाली योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

तांबा और सीसा निक्षेप

†*१२६८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय में तांबे और सीसे के निक्षेपों के सर्वेक्षण के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि किया गया है, तो उसका स्वरूप क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या इस सम्बन्ध में काम शुरू हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्राप्य जानकारी बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

डालमिया व्यापार संस्थायें

†*१२६९. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया की कुछ व्यापार संस्थाओं के कार्यों की जांच करने के लिये सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि है, तो वह कब नियुक्त किया जायेगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने डालमिया की कुछेक व्यापार संस्थाओं के कार्यों की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया है । आयोग के निर्देश पद और उसका गठन असाधारण गजट, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५६ में घोषित कर दिया गया है ।

दिल्ली पुलिस

†*१२७०. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ नवम्बर, १९५६ को दिल्ली की पुलिस मुख्य आयुक्त के जरिये केन्द्र से प्रशासित हो रही थी;

(ख) क्या यह सच है कि सहायक थानेदार की श्रेणी के और उससे ऊपर के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों ने अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान ही अपनी पेंशन के सम्बन्ध में विशेष वेतन और अनुपातिक महंगाई भत्ते का फायदा उठाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । दिल्ली के सहायक थानेदारों की श्रेणी और उसके ऊपर के पुलिस अधिकारियों को उन्हें मिलने वाले विशेष वेतन का फायदा पेंशन में नहीं दिया जाता है । महंगाई भत्ते की कोई भी प्रतिशत पेंशन में नहीं गिनी जाती ।

(ग) दिल्ली पुलिस के उपरि श्रेणी के अधीनस्थ अधिकारी दिल्ली-पंजाब के संयुक्त वर्ग में आते हैं और उनकी सेवा की शर्तें पंजाब सरकार के नियमों तथा उसके द्वारा जारी किये गये आदेशों से विनियमित होती हैं । इन नियमों और आदेशों के कारण सभी पदों से सम्बद्ध विशेष वेतन और महंगाई वेतन पेंशन भी नहीं गिना जा सकता ।

शिक्षा का केन्द्रीय नियन्त्रण

†*१२७१. { **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य के शिक्षकों ने यह मांग की है कि शिक्षा सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन आ जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि ऐसा है, तो तत्सम्बन्धी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० मा० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

भारत-तिब्बत गवेषणा संस्था, कालिम्पोंग

*१२७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कालिम्पोंग में भारत-तिब्बत गवेषणा संस्था की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके विधान, प्रबन्ध, कार्यक्रम आदि का एक विवरण सभा की टेबल पर रखा जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है; और

(घ) इस संस्था की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं । कालिम्पोंग में भारत-तिब्बत गवेषणा संस्था की स्थापना का सुझाव समाप्त हो चुका है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्रशासकीय सतर्कता विभाग

†*१२७३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी रकम और भंडारों के ग़बन के ४८ मामलों में फंसे हुए अधिकारियों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

जनसंख्या आयोग

†९७२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या समस्या को सभी पहलुओं पर विचार करने और उपयुक्त जनसंख्या नीति की सिफारिश करने के लिये क्या कोई जनसंख्या आयोग बनाने का प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी, नहीं ।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

†९७३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन विद्यार्थियों को सरकार द्वारा वित्तीय या अन्य कोई सहायता दी जाती है;

(ग) यदि दी जाती है, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) उनकी पढ़ाई का पाठ्यक्रम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १-१-५६ को लगभग ४,६००;

(ख) उनमें से कुछ को ।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अधीन छात्रवृत्तियां, आंशिक वित्तीय सहायता योजना के अधीन ऋण, विनिमय सुविधायें और प्रवेश व्यवस्था ।

(घ) कृषि, इंजीनियरिंग शिक्षा, ललित कलाएं, मानव विज्ञान, विधि, औषधि विज्ञान, प्राद्योग, और पशुचिकित्सा विज्ञान ।

एल्युमीनियम निक्षेप

†९७४. **श्री राम कृष्ण**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्युमीनियम निक्षेप की एक बहुत बड़ी मात्रा भारत में पाई जाती है;

(ख) यदि पाई जाती है, तो एल्युमीनियम निक्षेप के कुल संसाधन क्या हैं; और

(ग) वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) ऊंचे दर्जे के एल्युमीनियम का संग्रह लगभग २८० लाख टन है और सभी दर्जे की इस धातु का संग्रह लगभग २५०० लाख टन है ।

(ग) १९५५ में एल्युमीनियम की कच्ची धातु का उत्पादन ८१,१७२ टन था ।

अखिल भारतीय विधि-जीवी परिषद्

†९७५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा एक अखिल भारतीय विधि जीवी परिषद् स्थापित करने और अधिवक्ता के रूप में नाम दरज कराने वाले लोगों की न्यूनतम अर्हता के बारे में एक समान नियम लागू करने के सम्बन्ध में विधि जीवी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : अखिल भारतीय विधि जीवी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन समस्त राज्यों में परिचालित कर दिया गया था और उन्हें यह कह दिया गया है कि वे उच्च न्यायालयों, राज्यों के विधि जीवी परिषदों, राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा अन्य उपयुक्त संस्थाओं और व्यक्तियों के परामर्श से प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें । समिति की सिफारिशें और उनके सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न मत अभी विचाराधीन हैं ।

सशस्त्र बल मुख्यालय के निम्न श्रणी के क्लर्क

†९७६. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री ब० कु० दास :
श्री तुषार चटर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सशस्त्र बल मुख्यालय में काम करने वाले निम्न श्रेणी के क्लर्कों के एक शिष्टमंडल से उनके वेतन दरों, भत्तों और वृद्धि में विद्यमान असमता को दूर करने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी, हां । ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया है कि सरकार वेतनक्रमों के पुनरावर्तन तथा पेशगी वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में सशस्त्र बल मुख्यालय के निम्न श्रेणी के क्लर्कों पर भी वही आदेश लागू करे, जो कि केन्द्रीय सचिवालय के इसी श्रेणी के क्लर्कों पर लागू होते हैं ।

सशस्त्र बल मुख्यालय के निम्न श्रेणी के क्लर्कों का वेतनक्रम पहले ही ५५—३—८५—दक्षता रोक—४—१२५—५—१३० से ६०—३—८१—दक्षता रोक—४—१२५—५—१३० कर दिया गया है । जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है, उसमें कोई अन्तर नहीं है। पेशगी वेतन वृद्धि केवल उन्हीं कार्यालयों के निम्न श्रेणी के क्लर्कों को दी जाती है जो कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग ले रहे हैं। क्योंकि इस समय सशस्त्र बल मुख्यालय उस योजना में सम्मिलित नहीं है, इसलिये यह रियायत इस मुख्यालय को नहीं दी गयी है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†९७७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री झूलन सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सम्बन्ध में पुनर्वास सचिवों तथा शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों से प्राप्त हुई सिफारिशों पर सोच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि इन सिफारिशों को उस समिति के सामने प्रस्तुत किया जाये, जो कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त की गयी है ।

राज्यों को सहायता

†९७८. **श्री रा० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश के मोरेना-भिंड जिलों में विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये किस-किस प्रकार की सहायता दी गयी है और दी जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : केन्द्रीय रक्षित पुलिस की कुछेक टुकड़ियां[1] भूतपूर्व मध्य भारत राज्य में, जिसमें भिंड तथा मोरेना जिले थे, भेजी गई थीं ।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

९७९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १६ मई, १९५६ क अतारांकित प्रश्न संख्या २१०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि के सम्बन्ध में सब जानकारी अब इकट्ठी कर ली गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Units.

(ख) यदि हां, तो क्या वह सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). जी, हां ।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

९८०. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से व्यय की गई राशि के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन आंकड़ों को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). जी, हां ।

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय वित्त निगम

†**९८१. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षात्मक तथा औद्योगिक सहकारी संस्था ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि एक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय वित्त निगम स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में अवैध प्रवेश

†**९८२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी से जून, १९५६ के अन्त तक भारत-पाकिस्तानी सीमा पर बिना किसी मान्य यात्रा-पत्र के भारत में अवैध प्रवेश करने वाले यदि कोई व्यक्ति पकड़े गये हैं, तो उनकी कितनी संख्या है;

(ख) कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने कैद की अवधि समाप्त होने के उपरान्त पाकिस्तान वापिस जाने से इन्कार कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). १ फरवरी से जून, १९५६ के अन्त तक ५,६३२ व्यक्ति पकड़े गये हैं जिन्होंने बिना मान्य यात्रा पत्रों के पाकिस्तान से (राजस्थान को छोड़ कर) भारत में प्रवेश किया था; उनमें से ४,६०५ व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है और ९१ व्यक्तियों ने कैद की अवधि के पूरा होने के बाद वापिस जाने से इनकार कर दिया है ।

राजस्थान के सम्बन्ध में जानकारी उस राज्य से प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भ्रष्टाचार

†**९८३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भ्रष्टाचार के कार्यों के सम्बन्ध में मंत्रालयवार तथा विभागवार कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है; और

(ख) उन्हें किस-किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख) . अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ-सीमा पर तस्कर व्यापार

†१८४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५६ से सीमा प्रशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गोआ-सीमा पर कितनी कीमत की और कौन-कौन-सी निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई थीं;

(ख) ये वस्तुएं कैसे ठिकाने लगाई गई हैं;

(ग) कितनी कीमत की वस्तुएं अभी तक गोदामों में पड़ी हुई हैं;

(घ) तब से लेकर कितनी कीमत की वस्तुएं बेची जा चुकी हैं;

(ङ) उपरोक्त अवधि में तस्कर व्यापार में ग्रस्त कितने व्यक्तियों का पता लगा है;

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(छ) गोआ सीमा पर तस्कर व्यापार की रोकथाम करने के लिये और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) गोआ-सीमा पर १ जुलाई से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक ८८,६४८ रुपये के मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं, पकड़ी गयी हैं जिनमें भारतीय नोट, तम्बाकू, शेविंग ब्लेड़, नारियल, सुपारियां, मदिरा, स्टेशनरी की वस्तुएं कपड़ा, पशुधन, चाय, चमड़ा और विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुएं सम्मिलित हैं ।

(ख) ज़ब्त की गयी वस्तुएं या तो मालिकों को इस आधार पर वापिस कर दी गई हैं कि वे मोचन-जुर्माना अदा कर दें, अथवा जब उन्होंने ऐसा जुर्माना देने से इनकार कर दिया हो तो उन वस्तुओं को नीलामी पर बेच दिया गया । परन्तु जहां तक पकड़े गये सोने और चांदी का सम्बन्ध है, उन्हें सरकारी टकसाल में भेज दिया गया है । कई अन्य वस्तुएं हैं जिन्हें ज़ब्त कर लेने के बाद वापिस नहीं किया जाता ।

(ग) ७९,६८८ रुपये की क़ीमत की वस्तुएं अभी तक सीमा शुल्क विभाग की अभिरक्षा में हैं ।

(घ) ८,९६० रुपयों की कीमत की वस्तुएं अभी तक बेची जा चुकी हैं ।

(ङ) उपरोक्त अवधि में तस्कर व्यापार में अन्तर्ग्रस्त पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या २९६ है ।

(च) सीमा शुल्क विभाग के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कुछ एक मामलों में तस्कर व्यापार कर्ताओं को उपयुक्त दण्ड देने और चोरी छिपे लाई गयी वस्तुओं को जब्त कर लेने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है अन्य मामलों में सीमा शुल्क विधि के अधीन विभागीय कार्यवाही चलाई गयी है, जिस के अनुसार तस्कर व्यापारी पर दण्ड लगाने के अतिरिक्त (जो वह दण्ड वस्तु की कीमत के तीन गुना मूल्य से अधिक नहीं होते) पकड़ी गयी वस्तु ज़ब्त की जा सकती है । और उपयुक्त मामलों में उन्हें अधिक भयभीत करने के लिये उन पर अभियोग भी चला दिया जाता है ।

(छ) समस्त भेद्य स्थानों पर विशेष गश्ती पार्टियों की संख्या बढ़ा दी गयी है । गोआ के चारों ओर के घेरे को पक्का करने के लिये सीमा शुल्क कर्मचारियों को नौकायें (लांचिज़), जीपकारें, साइकिलें और अन्य प्रकार का सामान दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

लोक सहायक सेना

†**९८५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में लोक सहायक सेना पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ख) इस अवधि में राज्यवार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) ३१ अक्तूबर, १९५६ तक लगभग ६८·५० लाख रुपया ।

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५६ तक ७५,५५२ व्यक्तियों को । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८**]

स्वयं भरी जाने वाली राइफलें

†**९८६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में स्वयं भरी जाने वाली राइफलों का प्रयोग आरम्भ करने के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई फैसला कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह फैसला क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख) . प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण

†**९८७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक प्रक्रम पर दी जाने वाली प्रारम्भिक, बुनियादी और टेक्नीकल शिक्षा के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां-कहां आरम्भ किया गया है ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सर्वेक्षण की प्रारम्भिक कार्यवाही अभी शुरू हुई है ।

(ख) यह सारे भारत में किया जायेगा ।

सार्थों के साथ किये गये ठेके

†**९८८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में उसके उस विदेश के अतिक्रमण सम्बन्धी किन्हीं मामलों को लाया गया है जो सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे सार्थों को रोक दिये जाने के बारे में था जिनमें उनके पुत्र, पुत्रियां या कोई और आश्रित व्यक्ति काम करते हों, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अभी तक ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है । अभी तीन मंत्रालयों स विवरणियां आनी शेष हैं तथा वे जो जानकारी देंगे वह सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राज भाषा आयोग

†१८९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री भीखा भाई :
श्री खू० चं० सोधिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषा आयोग के प्रतिवेदन पर सोच-विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके किन-किन विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में डकैतियां

†१९०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में दिल्ली राज्य में कितनी डकैती की घटनाएं हुईं; और

(ख) कितनी डकैतियों में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तीन ।

(ख) तीनों डकैतियों में ।

चण्डीगढ़ का विकास

†१९१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चण्डीगढ़ नगर और उसके उपनगरीय क्षेत्र के विकास के लिये अब तक पंजाब सरकार को ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में वास्तव में कितना धन दिया है; और

(ख) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने चण्डीगढ़ राजधानी के विकास के लिये अब तक पंजाब सरकार को निम्न ऋण दिये हैं :

१९५०-५१ से १९५२-५३ तक पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋण	३ करोड़ रुपये
१९५३-५४ से १९५५-५६ तक वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋण	३ करोड़ रुपये

उपरोक्त ऋणों के अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को १ करोड़ रुपये का प्रसादत: अनदान देने का विनिश्चय किया गया है । इसमें से, ४० लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) (१) पुनर्वास मंत्रालय ने जो ऋण दिये हैं वे २० वर्ष की अवधि में मूल धन और ब्याज की समान वार्षिक किस्तों में लौटाये जायेंगे । भुगतान की पहली किस्त ऋण लेने की तारीख से तीन

†मूल अंग्रेजी में ।

वर्ष बाद शुरू होगी और समान किस्तों के शुरू होने तक साधारण ब्याज लिया जायेगा। दिये गये ऋणों की राशियां और ब्याज की दरें निम्न हैं :

वर्ष	ऋण राशि	ब्याज प्रतिवर्ष
१९५०–५१	१ करोड़ रु०	३-१/२%
१९५१–५२	१ करोड़ रु०	३-३/४%
१९५२–५३	१ करोड़ रु०	४-१/४%

(२) वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋणों का भुगतान १० वर्षों में किया जायेगा और ४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा। पहले तीन वर्षों में केवल ब्याज का भुगतान होगा और मूल धन एवं ब्याज की समान किस्त का भुगतान चौथे वर्ष से आरम्भ होगा।

दिल्ली राज्य (मन्त्रणा) भाषा समिति का प्रतिवेदन

†९९२. **श्री दी चं० शर्मा** :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार ने राज्य (मन्त्रणा) भाषा समिति का प्रतिवेदन उनके पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है। परन्तु अन्तिम विनिश्चय करने से पहिले इस पर इसकी विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†**९९३. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान परिपत्र प्रणाली के लागू होने के बाद कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने त्रिपुरा में प्रवेश करने के बाद अपने परिपत्र भारतीय नागरिक बनने के इरादे से दे दिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : १९५।

त्रिपुरा में फसलों को नुक्सान

†**९९४. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में 'जुमिया' आदिम जातियों के धूमाचेरा और अमरपुर में जंगली हाथियों ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है;

(ख) क्या आदिम जाति कल्याण अधिकारी को 'जुमिया' परिवारों की सहायता के लिये याचिका प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 'जुमिया' लोगों को उदारतापूर्ण आग्नेय अस्त्र देने का है ताकि वे अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचा सकें ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) कैला शहर और अमरपुर परगनों के क्रमशः धूमाचरा और राकचारी में 'जुमिया' लोगों की फसलों को थोड़ा नुक्सान पहुंचा था।

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) केवल एक याचिका सहायतार्थ प्राप्त हुई थी ।

(ग) जी, हां ।

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

†१९९५. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में राजस्थान राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत हुई हैं;

(ख) १९४९–५० से १९५४–५५ तक राजस्थान में इन योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) केन्द्र और राजस्थान राज्य ने इस व्यय की पूर्त्ति किस अनुपात में धन देकर की ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) भारत सरकार ने १९५६–५७ के लिये केवल राजस्थान राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कोई विशिष्ट योजना स्वीकार नहीं की है । उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत बसाया जाता है; और जो निम्न हैं :

(१) सरकारी/गैर-सरकारी सेवा में नियुक्ति;

(२) भूमि पर बसाना;

(३) बुनियादी कृषि में प्रशिक्षण देना;

(४) व्यवसायिक / टेक्नीकल प्रकार के कारबार में प्रशिक्षण देना ।

(ख) १९४९–५० से १९५४–५५ तक के काल में राजस्थान में निम्न योजनाओं पर १,०२,६१० रुपये व्यय हुए :

	रुपये
(१) तखतगढ़ में कृषक बस्ती	१,०१,०६८
(२) बुनियादी कृषि का प्रशिक्षण	३६०
(३) व्यवसायिक / टेक्नीकल प्रशिक्षण	१,१८२
योग	१,०२,६१०

(ग) उपरोक्त योजनाओं पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया । इस व्यय की पूर्त्ति केन्द्रीय सरकार और राजस्थान राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि द्वारा निम्न अनुपात में की गई है :

योजना	केन्द्रीय सरकार	राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि
(१) तखतगढ़ में कृषक बस्ती ...	...	१००%
(२) बुनियादी कृषि में प्रशिक्षण	५०%	५०%
(३) व्यवसायिक / टेक्नीकल प्रशिक्षण	... ...	१००%

†मूल अंग्रेजी में ।

सशस्त्र बलों के अधिकारी

†९९६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री गिडवानी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों की भर्ती के लिये राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में कुछ प्रतिशत व्यक्तियों का लेना निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रतिशतता क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जहां तक सेना और विमान बल के अधिकारियों की भर्ती का सम्बन्ध है, उत्तर स्वीकारात्मक है। नौ सेना के बारे में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के सेनाछात्रों का प्रतिशतक निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) सैनिक कालिज, देहरादून में १०% रिक्त स्थान राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सेना छात्रों, ज्येष्ठ विभाग, सेना उपभाग के लोगों को अन्ततः सेना में नियमित कमीशन देने के लिये रक्षित हैं। उतना ही प्रतिशत भारतीय विमान बल के सामान्य कर्त्तव्य (विमान चालक) शाखा में विमान विभाग के ज्येष्ठ सेना छात्रों के लिये भी रक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय युवक आवास गृह संघ

†९९७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय युवक आवास गृह संघ को कोई सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस संघ को कैसी सहायता दी है; और

(ग) इस संघ ने अब तक कितने आवास गृह बनाये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) १९५३–५४ में मेहरौली के निकट एक पुरानी इमारत को युवक आवास गृह में बदलने के लिये ४,६२० रु०;

(२) १९५४–५५ में दिल्ली में उनका राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिये ८,००० रु०;

(३) १९५५–५६ में उनके प्रशासकीय व्यय के लिये १०,००० रु०;

(४) १९५६–५७ में उनके प्रशासकीय व्यय के लिये १०,००० रु०।

(ग) मेहरौली, दिल्ली में एक आवास गृह बनाया है।

केरल में पिछड़े वर्गों के लिये आयुक्त

†९९८. **श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पिछड़े वर्गों के आयुक्तों सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में पाठ्य पुस्तकों का स्वामित्व शुल्क

†९९९. **श्री वेलायुधन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की सरकार राज्य के स्कूलों तथा कालेजों की पाठ्य पुस्तकों की छपाई का स्वामित्व शुल्क मद्रास की एक फर्म को देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें आदि क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है । तथा एक विवरण यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

आन्ध्र में हीरे की खानें तथा कोयले के क्षेत्र

†१०००. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार हीरे की खानों के लिये आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों की जांच करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के छिपे हुए कोयला क्षेत्रों का पता लगाने के लिये राज्य में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण भी करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । कोयले की तहों का पता लगाने के लिये भू-भौतिकीय पद्धतियां उपयोगी नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम संस्था, श्रीनिकेतन

†१००१. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् के सहयोग से श्रीनिकेतन में एक ग्राम संस्था खोली है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में कौन-सी मुख्य सुविधायें दी जाती हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार अब तक कितनी राशि दे चुकी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

(ख) (१) ग्राम सेवाओं में तीन वर्ष की उपाधि[1] ।

(२) कृषि विज्ञान में दो वर्ष का प्रमाण पत्र ।

(३) एक वर्ष का प्रारम्भिक पाठ्य क्रम ।

(ग) १९५५–५६ के दौरान दो लाख का तदर्थ अनुदान दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Diploma.

पुलिस के सिपाहियों के लिये आवास सुविधायें

†१००२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अप्रैल १९५६ से पुलिस के सिपाहियों के आवास के लिये दी गई राशि का उपयोग कर लिया है तथा ऐसे प्रत्येक राज्य ने क्रमशः कितनी राशि ले ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : आन्ध्र, आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, त्रावनकोर-कोचीन, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल को उनकी प्रार्थना पर पुलिस के सिपाहियों के आवास के लिये ऋण दिया गया है। तत्स्थानी राज्यों से व्यय के विवरण प्राप्त होने पर राशि का वितरण कर दिया जायेगा। ऐसे विवरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

केरल में अधोषित पदाधिकारी

†१००३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कुल कितने अधोषित पदाधिकारी (पदवार) अपने स्थानों पर अब भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं;

(ख) उनमें से कुल कितने व्यक्ति ५ वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं; और

(ग) उनमें से भूतपूर्व मद्रास राज्य सेवा के कितने कर्मचारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्रशासनिक सेवायें

†१००४. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९ से १९५६ तक राज्यवार राज्य सेवाओं के कितने अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में लिये गये हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जायेगी।

व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना

†१००५. **डा० सत्यवादी :**
श्री विश्व नाथ रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अधीन, विशेषतः १९५५–५६ में, कितने इंजीनियरिंग स्नातकों तथा उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा;

(ख) उस प्रशिक्षण की अवधि कितनी ह जिसक लिये इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा छात्र-वृत्तियां दी गई हैं; और

(ग) उनमें से कितनों को सरकारी नौकरी में ले लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १९५५–५६ के अन्त तक, कुल १,४०० इंजीनियरिंग स्नातक तथा ५६० उपाधिप्राप्त[1] विद्यार्थियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेना शुरू किया है। उनमें से ५१६ स्नातकों तथा १५६ उपाधिप्राप्त विद्यार्थियों ने १९५५–५६ में प्रशिक्षण लेना प्रारम्भ किया।

(ख) एक से दो वर्ष तक; यह अवधि क्षेत्र विशेष की प्रशिक्षण अवधि के ऊपर निर्भर करती है।

(ग) अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

तम्बाकू

†**१००६. श्री तुलसी दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ की फसल के घटिया तथा उपयोग न किये गये तम्बाकू का इस समय कितना परिमाण शेष पड़ा है;

(ख) प्रशुल्क रियायतों को बन्द कर देने के फलस्वरूप उत्पादकों तथा स्कन्ध धारियों को इसकी बिक्री न होने के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ग) इस माल पर कितना शुल्क किया जायेगा ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) १९१ लाख पौंड। इस मात्रा में पहिली फसलों का माल भी शामिल है। १९५२–५३ के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वित्तीय हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि माल अभी तक उनके मालिकों के पास पड़ा हुआ है जो अधिकांश व्यापारी हैं तथा वह नियमों के अधीन बेचा जा सकता है।

(ग) लगाये जा सकने वाले शुल्क का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह बात निकासी के समय तम्बाकू के गुण प्रकार से सम्बन्ध रखती है। इसके अलावा भी मालिक को अपने सारे अथवा कुछ तम्बाकू की कृषि प्रयोजनों से अथवा नष्ट करने के प्रयोजन से मुफ्त निकासी करने की स्वतन्त्रता है।

बिहार में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण-कार्य

†**१००७. श्री देवगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये दिये गये केन्द्रीय सहायता अनुदान में से, अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किये जाने वाले विकास कार्यों में १९५५–५६ के दौरान बिहार में कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) १९५४–५५ और १९५५–५६ में कितनी राशि व्यपगत हुई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या यह व्यपगत राशि तत्पश्चात् कल्याण योजना के लिये उपलब्ध की गई; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) ३९·५९ लाख रुपये।

(ख) १९५४–५५ और १९५५-५६ के दौरान क्रमशः २·२१ लाख और ५·१६ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Diploma holders.

(ग) ये राशियां समय की कमी के कारण कुछ योजनाओं के क्रियान्वित न होने के कारण व्यपगत हुईं।

(घ) और (ङ). प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में, कम व्यय हुई राशि को आवश्यकताओं के आधार पर १९५५-५६ में, राज्य को उपलब्ध कर दिया गया था। जहां तक १९५५-५६ के दौरान में बचत का सम्बन्ध है, जो योजनायें समय की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी हैं अथवा शुरू नहीं की जा सकी हैं उनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर सहायता दी जायेगी।

आर्टिलरी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर

१००८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर जिले में आर्टिलरी मिलिट्री का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के लिये कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों को खाली कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो कितने गांवों को खाली कराया जायेगा और वहां रहने वालों को फिर से कहां बसाया जायेगा; और

(ङ) क्या इनको कोई प्रतिकर दिया जायेगा, और यदि हां, तो ग्रामवार कितना-कितना ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है कि बीकानेर के पच्छिम की ओर का एक क्षेत्र फील्ड फायरिंग अभ्यास के उपयुक्त होगा या नहीं। अभी तक प्रस्ताव का अन्तिम रूप निश्चय नहीं हो पाया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

समवाय पंजीयक अधिकारी, कलकत्ता

†**१००९. सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में समवाय पंजीयक अधिकारी के कार्यालय में कई प्रलेखों को कई वर्षों तक फाइलों में दर्ज नहीं किया गया है;

(ख) इसके ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वह कार्यवाही किस प्रकार की है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) समवाय पंजीयक अधिकारी, कलकत्ता के कार्यालय में कई वर्षों से जमा हो रहे फाइल करने सम्बन्धी बकाया कार्य, केन्द्रीय सरकार के ध्यान में, समवाय विधि प्रशासन विभाग के खुलने के तत्काल पश्चात् आया।

(ख) क्योंकि बकाया कार्य काफी था तथा बहुत समय से विलम्बित था, इसलिये उसका निपटारा करने के लिये कुछ समय पूर्व सहायक पंजोयक के अधीन एक विशेष दल नियुक्त किया गया था। यह कार्य अब समाप्ति पर है और आशा है कि सारा बकाया कार्य इस महीने में समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) और (घ). सारे मामले की पड़ताल की जा रही है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में यथासमय उचित कार्यवाही की जायेगी ।

दिल्ली माडल स्कूल

१०१०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली माडल स्कूल में शिक्षा शुल्क वैसे ही अन्य स्कूलों की अपेक्षा अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कूल में भी अन्य स्कूलों के समान शुल्क निर्धारित करने वाली है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अन्य सरकारी स्कूलों की अपेक्षा शुल्क अधिक है परन्तु मौड्रन स्कूल, नई दिल्ली जैसे कुछ अन्य प्राइवेट स्कूलों से कम है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के अध्यापक

†**१०११. श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के ग्रेड का प्रक्रम और वेतनक्रम क्या है;

(ख) मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में विभिन्न प्रक्रमों में काम करने वाले तथा विभिन्न वेतनक्रम पाने वाले अध्यापकों की जेष्ठता निश्चित करने का क्या मापदण्ड है;

(ग) क्या अध्यापकों के इन प्रक्रमों तथा वेतनक्रमों को पुनरीक्षित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) विशेष प्रक्रम और वेतनक्रम में नौकरी की अवधि के अनुसार ।

(ग) प्रक्रम तथा वेतन स्तरों का सामान्य पुनरीक्षण विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य[1]

†**१०१२. श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य के लिये किन अर्हताओं का होना आवश्यक है;

(ख) अस्थायी और स्थायी रिक्त स्थानों पर किस प्रकार नियुक्तियां की जाती हैं ।

(ग) क्या विहित अर्हताओं के सम्बन्ध में ढील देने के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो विलम्बित हैं ?

(घ) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Principal.

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) सरकारी स्कूलों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती है । सहायता प्राप्त स्कूलों में विज्ञापन अथवा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा होती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लिपिकों की भर्ती

†१०१३. { **श्री बै० ना० कुरील :**
श्री भोखा भाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की सेवाओं में निम्न श्रेणी के लिपिक के रूप में भर्ती के लिये यह अनिवार्य है कि टाईप करना भी आता हो;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों पर भी लागू होती है; और

(ग) १ दिसम्बर, १९५६ को स्थानीय (दिल्ली) काम दिलाऊ दफ्तर में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों ने लिपिकों के रूप में नियोजन के लिये अपना नाम पंजीबद्ध करवाया हुआ था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). १ जनवरी १९५७ से निम्न श्रेणी के लिपिक के रूप में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिये यह अनिवार्य है कि उन्हें टाईप करना भी आता हो ।

(ग) ६३१ ।

तिब्बत से चांदी के सिक्कों का आयात

†१०१४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में चीन सरकार के प्राधिकारियों ने चांदी के चीनी डालरों के तिब्बत से भारत में निर्यात पर रोक लगा दी है;

(ख) इस रोक के कारण व्यापारियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जहां तक सरकार को मालूम है चांदी के चीनी डालरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, परन्तु अब चीनी प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्तियों द्वारा इसे विनियमित किया जा रहा है ।

(ख) मालूम हुआ है कि इस प्रकार की अनुज्ञप्तियां दूसरी बातों के साथ-साथ कुछ निम्न शर्तों को पूरा करने पर दी जाती हैं :

(१) निर्यातक चीन सरकार द्वारा उल्लिखित वस्तुओं का आयात करना स्वीकार करता है;

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) निर्यातक एक लिखित करार या किसी तिब्बत निवासी या भारत निवासी की जमानत देता है;

(३) वह डालर निर्यातक अनुज्ञा जारी किये जाने के बाद खरीदी गई वस्तुओं को निर्यात करना स्वीकार करता है;

(४) वह डालर निर्यातक अनुज्ञा के जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर केवल उल्लिखित वस्तुओं का आयात करना स्वीकार करता है ।

(ग) इस मामले पर भारत सरकार द्वारा चीनी प्राधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है ।

खनिज पदार्थ

†१०१५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत का कुल खनिज उत्पादन मात्रावार कितना था; और

(ख) इन खनिजों की कुल कीमत कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]**

ग्रामीण संस्थायें

†१०१६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में जो ग्राम्य संस्थायें स्थापित हैं उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

भारतीय नौ-सेना के लिये तेलवाहक जहाज़

†१०१७. **डा० ज० न० पारिख** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ-सेना के पास कोई तेलवाहक जहाज़ है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये भारतीय नौ-सेना में तेलवाहक जहाज़ों का एक बेड़ा रखने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसका कार्यक्रम क्या है; और

(घ) सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रतिवर्ष तेल की कुल कितनी मात्रा अपेक्षित होती है और कितनी मात्रा आयात की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां, एक ।

(ख) भारतीय नौ-सेना के लिये तेलवाहक जहाज़ों के किसी बेड़े को अर्जित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) प्रतिवर्ष सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित तेल की मात्रा और इस सम्बन्ध में आयात की जाने वाली मात्रा का बताना लोकहित में नहीं है।

लक्कदीव, मिनिकॉय तथा अमीनीदीवी द्वीप

†१०१८. **श्री वें० शिवाराव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ की अवधि में संघ राज्य क्षेत्र के लक्कदीव, मिनिकॉय तथा अमीनीदीवी टापुओं में शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा कृषि सम्बन्धी मामलों पर कितनी रकम खर्च की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : १९५५–५६ की अवधि में संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा कृषि पर निम्न राशि खर्च की गई थी :

शिक्षा	४८,२५३ रुपये।
जन स्वास्थ्य ...	कुछ नहीं
चिकित्सा	४०,५४० रुपये।
कृषि	५,५७६ रुपये।

चाय समवायों पर आयकर

†१०१९. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयकर प्राधिकारियों द्वारा चाय समवायों को चाय की झाड़ियों की पुनः खेती के लिये अवक्षयण सम्बन्धी भी कोई रियायत दी जाती है या यह रियायत केवल भवन तथा मशीनरी तक ही सीमित है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : चाय बागान के सम्बन्ध में अवक्षयण की रियायत केवल भवन तथा मशीनरी पर ही दी जाती है चाय के पौदों पर नहीं। तथापि जो झाड़ियां सूख गई हैं या जहां उन्हें पहले उगाया गया था, वहां उस क्षेत्र में वे स्थायी रूप से बेकार हो गई हैं तो उनके स्थान पर नई झाड़ियों की खेती करने के खर्च के लिये कर योग्य आय की गणना करने में एक रियायत दी जाती है। जिस क्षेत्र को खेती के प्रयोजन से पहले से छोड़ दिया गया हो, उसके लिये यह छूट नहीं दी जाती है।

अपंगों के कल्याण के लिये संस्थायें

†१०२०. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है जो अपंगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यवसायिक समस्याओं की दखभाल करती ह और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाती है;

(ख) इस प्रकार की पूर्णतः सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थायें कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार का १९५६–५७ में कोई नई संस्था खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २२।

(ख) २।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

बिहार में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१०२१. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें बहुप्रयोजनीय स्कूलों के रूप में परिवर्तन करने के लिये इमारतों के निर्माण के लिये तथा सामान के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस प्रयोजन के लिये अनुदानों का उपयोग किया था और बहुप्रयोजनीय स्कूलों के रूप में जिन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५४–५५ की अवधि में अनुदान पाने वाले स्कूलों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३**] अनुवर्ती अनुदानों के सम्बन्ध में तथा (ख) के सम्बन्ध में जानकारी बिहार राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे बता दिया जायेगा।

भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†१०२२. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्निया जिले में, (बिहार हस्तान्तरित क्षेत्र सहित) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अब तक राज्य बैंक की शाखायें खोली गई हैं; और

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उस क्षेत्र में अतिरिक्त शाखायें भी खोली जायेंगी ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) इस समय भारत के राज्य बैंक की एक शाखा पूर्निया जिले में पूर्निया (नगर) में है।

(ख) भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ की धारा १६ (५) में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार किशनगंज और फोर्बियागंज में दो नई शाखायें सम्भवतः खोली जायेंगी।

पूर्निया में महिला तथा शिशु कल्याण केन्द्र

†१०२३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्निया (बिहार) जिले में हस्तान्तरित क्षेत्र सहित, जहां पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सहायता से महिला तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोले गये थे, उनकी संख्या कितनी है और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ख) उस जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

छावनी निधि कर्मचारियों सम्बन्धी नियम

†१०२४. **श्री रामानन्द दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छावनी निधि कर्मचारियों सम्बन्धी नियम, १९३७ के नियम २२ में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन किस प्रकार का है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) क्या मूल नियम छावनी निधि कर्मचारियों पर लागू होते हैं; और

(घ) क्या कारण है कि प्रस्तावित संशोधन मूल नियमों के नियम ५६ के पूर्णतः अनुसार नहीं होगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह संशोधन इस लिये प्रस्थापित किया जा रहा है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की, ५५ वर्ष की आयु के बाद, परन्तु ६० वर्ष की आयु के बाद नहीं, कुछ परिस्थितियों के अधीन सेवा की अवधि बढ़ाने की अनुमति देने के मामले में प्रक्रिया में एक-रूपता लाई जा सके ।

(ग) मूल अधिनियम के अध्याय १ से ११ केवल उस सीमा तक ही लागू होते हैं जिस सीमा तक वे छावनी निधि कर्मचारियों सम्बन्धी नियम, १९३७ के असंगत न हों ।

(घ) मूल नियमों के नियम ५६ का सम्बन्ध सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की सेवा की अवधि के बढ़ाने से है । प्रस्तावित संशोधन इसलिये इस नियम के पूर्णतः अनुकूल नहीं हो सकता कि जनरल आफीसरस कमांडिन्ग इन चीफ, तुलनात्मक कर्तव्यों का पालन कर रहे अपने कर्मचारियों के लिये इस प्रकार की सेवा की अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में, समीपवर्ती स्थानीय निकायों में जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा हो, वे उस पर चलते हैं; सरकारी कर्मचारियों के मामले में इस प्रकार का विचार लागू नहीं होता है ।

छावनी बोर्डों के कर्मचारी

†१०२५. **श्री रामानन्द दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी कमान में छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को मकान के किराये का भत्ता भी दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि अन्य दो कमानों में बोर्डों के कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं मिल रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय कर्मचारी

†१०२६. { **श्री साधन गुप्त** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-परिमाप के मानचित्र प्रकाशन निदेशालय के कुछ कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी व्याख्यान में उपस्थित न होने के कारण मानचित्र प्रकाशन निदेशक ने वेतन घटाने का जो दण्ड दिया था उसके खिलाफ उन्होंने भारत सरकार से अपील की है; और

(ख) यदि की है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). चूंकि सरकार को जो अभिवेतन प्राप्त हुआ है, वह एक अमान्य संघ द्वारा भेजा गया है अतएव सरकार उस पर विचार नहीं कर सकी । सरकार को मालूम हुआ है कि महासर्वेक्षक ने सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा की गई अपील पर विचार किया है और उस पर उचित आदेश दे दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जर्मन वैज्ञानिक अभियान-दल

१०२७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो जर्मन वैज्ञानिक अभियान-दल उत्तर प्रदेश के हिमालय की तराई के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक इतिहास के नमूने एकत्र कर रहा था, उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) शेष कार्य को शीघ्र समाप्त करने के बारे में उस दल ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभियान-दल ने बम्बई राज्य तथा उत्तर प्रदेश के चकराता के जंगलों, सिवालिक पहाड़ियों तथा बहराइच के जंगलों का भ्रमण किया और वहां से नमूने एकत्रित किये। अब यह दल आसाम की जैन्तिया की पहाड़ियों पर एकत्रण का कार्य कर रहा है।

(ख) इस अभियान-दल का कोई पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में इसके ठहरने का समय, वहां के पौदों तथा पशुओं के नमूनों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। इस दल का निम्नलिखित क्षेत्रों में नमूने एकत्रित करने का विचार है :

(१) आसाम की मणिपुर तथा गारो की पहाड़ियां;

(२) पश्चिमी बंगाल;

(३) अण्डमान; और

(४) मध्य तथा दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र जिनमें इस दल ने अभी तक खोज नहीं की है।

आर्थिक प्रशासन पाठ्यक्रम का डिप्लोमा

†**१०२८. श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक प्रशासन में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स ने एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने कुछ अधिकारियों को इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेने के लिये प्रतिनियुक्त किया है;

(ग) क्या इस प्रशिक्षण का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है; और

(घ) इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी अधिकारियों को नौकरी मिलने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इसका खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों से पूरा किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) यह आशा की जाती है कि सरकार की बढ़ती हुई गतिविधियों और उसको प्रशिक्षत व्यक्तियों की आवश्यकता होने की दृष्टि से इस पाठ्यक्रम को लेने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को नौकरी मिलने की अच्छी सम्भावनाएं होंगी ।

बहुप्रयोजनीय स्कूल और ट्रेनिंग कालिज

१०२९. श्री खू० चं० सोधिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५६ में ऊटकमण्ड में ट्रेनिंग कालेजों में बहुप्रयोजनीय स्कूलों के बारे में जो सम्मेलन हुए थे उनमें से प्रत्येक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उन्होंने क्या-क्या सिफारिशें की थीं; और

(ख) क्या इन सिफारिशों के बारे में सरकार कोई कार्यवाही करने वाली है और यदि हां, तो क्या ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस-५४०/५६**]

भारत के सार्वजनिक विद्यालय

†**१०३१. श्री राम दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पाठ्यशालाओं की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) १९४७ से शुरू की गई सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पाठशालाओं की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) (१) मद्रास और पंजाब के दो विद्यालयों को नियमित अनुदान दिये जा रहे हैं ।

(२) तदर्थ अनुदान निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं को दिये गये हैं :

१. मेयो कालेज, अजमेर ।

२. एम० जी० डी० गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जयपुर ।

३. दून स्कूल, देहरादून ।

४. डेली कालज, इंदौर ।

५. बिड़ला विद्यामंदिर, नैनीताल ।

६. ऋषि वेली स्कूल, ऋषि वेली ।

(ख) एक (बिड़ला विद्यामंदिर, नैनीताल) ।

मनीपुर में डकैती

†**१०३२. श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में १ जुलाई, १९५६ से ३० नवम्बर, १९५६ तक हथियारबन्द डकैती के कितने मामले हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इन डकैतियों में किस प्रकार की बन्दूकें आदि और गोला-बारूद काम में लाया गया था;

(ग) डकैतों से कितनी बंदूकें आदि छीनी गईं;

(घ) इन हथियारबन्द डकैतियों के हमलों में मारे गए अथवा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन मामलों के सम्बन्ध में दोषी ठहराये गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है, और ज्यों ही वह मिल जायेगी त्यों ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२२७–४९
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
१२२२	जनशक्ति निदेशालय	१२२७–२८
१२२३	अन्तर्राष्ट्रीय छात्र निकेतन	१२२८–२९
१२२५	हिन्दी परीक्षा समिति	१२२९–३०
१२२६	सम्पदा शुल्क	१२३०–३१
१२२८	त्रिपुरा के साहूकार	१२३१–३२
१२२९	लोकमान्य तिलक का जन्म-गृह	१२३२–३३
१२३१	पश्चिमी जर्मनी का प्रविधिक शिष्टमंडल	१२३३–३४
१२३२	कोयना तथा अन्य परियोजनायें	१२३४
१२३५	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	१२३४–३५
१२३८	फौजी भूमि तथा छावनी विभाग	१२३५–३६
१२३९	सेना अधिकारी का बर्ताव ...	१२३६–३७
१२४५	दिल्ली राज्य विधान सभा को दिये गए आश्वासन	१२३८
१२४७	लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप-समूह	१२३८
१२४९	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां	१२३८–४१
१२५१	त्रावनकोर-कोचीन बैंकिंग जांच आयोग	१२४१–४२
१२५२	हाली मुद्रा	१२४२–४३
१२५३	डालमिया केस ...	१२४३–४४
१२५४	वैज्ञानिक असैनिक सेवा	१२४४
१२५५	राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास ...	१२४४–४५
१२५७	हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जीलिंग ...	१२४५–४६
१२५८	अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ	१२४६
१२६१	दिल्ली में स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें	१२४६–४७
१२६५	शैक्षणिक मानदण्ड	१२४७–४८
१२६७	राज्य उपक्रम	१२४८–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२४९–८०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२२४	अल्पसंख्यक वर्ग आयुक्त ...	१२४९
१२२७	प्रतिभाशाली युवकों का गांवों से प्रव्रजन ...	१२४९–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२३०	दिल्ली में बाढ़ का प्रकोप	१२५०
१२३३	बम्बई की गोदियों में पाकिस्तान के पक्ष में कार्यवाहियां	१२५०
१२३४	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१२५०
१२३६	विमुक्त सशस्त्र सेना अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	१२५१
१२३७	अखिल भारतीय फुटबाल संघ ...	१२५१
१२४०	सेलम में लोहा तथा इस्पात के कारखाने	१२५१
१२४१	मनीपुर में वेतनक्रम	१२५२
१२४२	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम	१२५२
१२४३	अखिल भारतीय सेवायें	१२५३
१२४४	पुस्तक प्रदर्शनी	१२५३
१२४६	अनुसूचित जातियां/आदिम जातियां ...	१२५३
१२४८	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, हैदराबाद	१२५३–५४
१२५०	लिमिटेड कम्पनियों में भ्रष्टाचार	१२५४
१२५६	गैस पहुंचाने की व्यवस्था	१२५४
१२५९	मद्यनिषेध	१२५५
१२६०	मनीपुर में स्कूलों और कालेजों को आर्थिक सहायता ...	१२५५
१२६२	कैन्टीन स्टोर्स विभाग	१२५५
१२६३	भारतीय नौ सेना की मालवाहिनी नौकायें	१२५६
१२६४	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	१२५६
१२६६	उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, उत्तरी खण्ड	१२५६
१२६८	तांबा और सीसा निक्षेप	१२५६–५७
१२६९	डालमिया व्यापार संस्थायें	१२५७
१२७०	दिल्ली पुलिस ...	१२५७
१२७१	शिक्षा का केन्द्रीय नियन्त्रण	१२५७–५८
१२७२	भारत-तिब्बत गवेषणा संस्था, कालिम्पोंग	१२५८
१२७३	प्रशासकीय सतर्कता विभाग ...	१२५८

अतारांकित प्रश्न संख्या		
९७२	जनसंख्या आयोग	१२५८
९७३	विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी	१२५८–५९
९७४	एल्युमीनियम निक्षेप ...	१२५९
९७५	अखिल भारतीय विधि-जीवी परिषद् ...	१२५९
९७६	सशस्त्र बल मुख्यालय के निम्न श्रेणी के क्लर्क	१२५९–६०
९७७	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१२६०
९७८	राज्यों को सहायता	१२६०
९७९	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि	१२६०–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९८०	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि ...	१२६१
९८१	शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय वित्त निगम	१२६१
९८२	भारत में अवैध प्रवेश	१२६१
९८३	भ्रष्टाचार ...	१२६१–६२
९८४	गोआ सीमा पर तस्कर व्यापार	१२६२
९८५	लोक सहायक सेना ...	१२६३
९८६	स्वयं भरी जाने वाली राइफलें	१२६३
९८७	शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण ...	१२६३
९८८	सार्थों के साथ किये गये ठेके	१२६३
९८९	राज भाषा आयोग	१२६४
९९०	दिल्ली में डकैतियां	१२६४
९९१	चंडीगढ़ का विकास	१२६४–६५
९९२	दिल्ली राज्य (मन्त्रणा) भाषा समिति का प्रतिवेदन	१२६५
९९३	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१२६५
९९४	त्रिपुरा में फसलों को नुकसान ...	१२६५–६६
९९५	राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	१२६६
९९६	सशस्त्र बलों के अधिकारी ...	१२६७
९९७	राष्ट्रीय युवक आवास गृह संघ	१२६७
९९८	केरल में पिछड़े वर्गों के लिये आयुक्त	१२६७–६८
९९९	केरल में पाठ्य पुस्तकों का स्वामित्व शुल्क	१२६८
१०००	आन्ध्र में हीरे की खानें तथा कोयले के क्षेत्र	१२६८
१००१	ग्राम संस्था, श्रीनिकेतन	१२६८
१००२	पुलिस के सिपाहियों के लिये आवास सुविधायें	१२६९
१००३	केरल में अधीपित पदाधिकारी	१२६९
१००४	प्रशासनिक सेवायें	१२६९
१००५	व्यवहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना	१२६९–७०
१००६	तम्बाकू	१२७०
१००७	बिहार में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण-कार्य	१२७०–७१
१००८	आर्टिलरी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर	१२७१
१००९	समवाय पंजीयक अधिकारी, कलकत्ता ...	१२७१–७२
१०१०	दिल्ली माडल स्कूल	१२७२
१०११	दिल्ली के अध्यापक	१२७२
१०१२	उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य	१२७२–७३
१०१३	लिपिकों की भर्ती	१२७३
१०१४	तिब्बत से चांदी के सिक्कों का आयात	१२७३–७४
१०१५	खनिज पदार्थ	१२७४
१०१६	ग्रामीण संस्थायें	१२७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०१७	भारतीय नौ-सेना के लिये तेलवाहक जहाज	१२७४–७५
१०१८	लक्कदीव, मिनिकॉय तथा अमीनीदीवी द्वीप	१२७५
१०१९	चाय समवायों पर आयकर ...	१२७५
१०२०	अपंगों के कल्याण के लिये संस्थायें	१२७५
१०२१	बिहार में बहुप्रयोजनीय स्कूल	१२७६
१०२२	भारत के राज्य बैंक की शाखायें ...	१२७६
१०२३	पूर्निया में महिला तथा शिशु कल्याण केन्द्र	१२७६
१०२४	छावनी निधि कर्मचारियों सम्बन्धी नियम	१२७६–७७
१०२५	छावनी बोर्डों के कर्मचारी	१२७७
१०२६	मानचित्र प्रकाशन निदेशालय कर्मचारी	१२७७
१०२७	जर्मन वैज्ञानिक अभियान दल	१२७८
१०२८	आर्थिक प्रशासन पाठ्यक्रम का डिप्लोमा	१२७८–७९
१०२९	बहुप्रयोजनीय स्कूल और ट्रेनिंग कालिज	१२७९
१०३१	भारत के सार्वजनिक विद्यालय	१२७९
१०३२	मनीपुर में डकैती	१२७९–८०

M24LSD—190—14-2-58—GIPF

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६
५ दिसम्बर
(~~१४ नवम्बर~~ से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३
अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

---

१२ मध्याह्न .

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे (असैनिक)

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं, संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन १९५३-५४ के अनुदानों और आधिक्य प्रकट करने वाले विनियोगों के विनियोग लेखों (असैनिक) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ५६५/५६**]

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की कई कार्यवाही का निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(१)	अनुपूरक विवरण संख्या ६ [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४**]	लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६
(२)	अनुपूरक विवरण संख्या १२ [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५**]	लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(३)	अनुपूरक विवरण संख्या १४ [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६**]	लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ लोक-सभा का दवसां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २३ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २६ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचन संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमावली में संशोधन

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अधीन मैं एस० आर० ओ० संख्या ३०६८, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५६ की एक प्रति, जिसके अनुसार लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचन संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमावली १९५६ में कुछ संशोधन किये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०--५७२/५६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरी प्रार्थना है कि इस आदेश की प्रतियां लोक-सभा के सदस्यों को उपलब्ध कराई जायें ताकि इस सप्ताह में जब चर्चा होगी तो मूल नियमों के साथ-साथ इस विषय पर चर्चा की जा सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतियां सूचना कार्यालय में रख दी जायेंगी और जो माननीय सदस्य चाहें वहां से ले सकते हैं ।

विदेशियों के पंजीयन अधिनियम के अधीन विमुक्तियों की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : विदेशियों का पंजीयन, अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अधीन मैं निम्नलिखित विमुक्ति घोषणाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) १/४१/५६--एफ० आई०, दिनांक १० अगस्त, १९५६ (३ विमुक्तियां)
(२) १/४४/५६--एफ० आई० दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ (३ विमुक्तियां)
(३) १/४६/५६--एफ० आई० दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ (५ विमुक्तियां)
(४) १/५१/५६--एफ० आई० दिनांक १७ अक्तूबर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(५) १/५३/५६--एफ० आई० दिनांक ३० अक्तूबर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(६) १५/७२/५६-एफ० आई० दिनांक १ नवम्बर, १९५६ (९ विमुक्तियां)
(७) १/५४/५६--एफ० आई० दिनांक ६ नवम्बर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(८) १/५६/५६--एफ० आई० दिनांक १० नवम्बर, १९५६ (२ विमुक्तियां)
(९) १/५७/५६--एफ० आई० दिनांक ९ नवम्बर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(१०) १/६३/५६--एफ० आई० दिनांक २८ नवम्बर, १९५६ (१ विमुक्ति)

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एस०-५७३/५६]

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

छावनी क्षेत्रों में भूमि प्रशासन के बारे में विवरण

†**श्री दातार** : सरदार मजीठिया की ओर से मैं छावनी क्षेत्रों में भूमि प्रशासन––वर्तमान नियमों और आदेशों का पुनरीक्षण––के बारे में विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि संसद् के चालू सत्र में संसद् के सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर पिछले सप्ताह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(१) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, १९५६,

(२) संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक, १९५६,

(३) रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक, १९५६ ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है और लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये लोक-प्रतिनिधित्व (चौथा संशोधन) विधेयक, १९५६; २७ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५६; २७ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९५६; ८ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, १९५६ और ७ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

कार्य मंत्रणा समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १३ दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : इस सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं। मद ५ और ६ पर सभा में सामान्य समय में ही चर्चा होना चाहिये अधिक समय के लिये हुई सभा की बैठक में ६ बजे इस पर चर्चा ठीक नहीं रहेगी ।

दूसरी बात उन विधेयकों के सम्बन्ध में है जो राज्य-सभा द्वारा पारित किये जा कर इस सभा में प्रेषित कर दिये गये हैं किन्तु लोक-सभा के सत्रावसान के पूर्व यह पारित नहीं किये जायेंगे । अगले

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कामत]

सत्र में इनके लिये समय नहीं बचेगा । तब क्या ये विधेयक व्यपगत हो जायेंगे ? यदि सभा उन्हें पहले ही पारित नहीं कर देती है तो अनुच्छेद १०७ और १०८ के अधीन वे व्यपगत हो जायेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : कोयला खदानों में सुरक्षा समस्या की जांच करने के लिये उच्च शक्ति आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव कल अथवा परसों लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सरकार का कार्य है कि वह किन विधेयकों को प्राथमिकता देकर पारित करना चाहती है ।

जहां तक मद ५ और ६ का विषय है यदि अन्य कार्य शीघ्र निबट गये तो मैं इन्हें पहले लेने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री विट्ठल राव ने जो बात उठाई है हम इस सप्ताह में इस पर निस्संदेह चर्चा करेंगे ।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा—पश्चिम) : राज्य क्षेत्रीय परिषद् विधेयक के बारे में समय का उल्लेख नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सरकार को इस बात के लिये विवश नहीं कर सकता कि वह अमुक विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करे ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से जो सभा में १३ दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक*

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कामत** : करारोपण सम्बन्धी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से प्रतीत होता है कि इस विधेयक से संसद् के अधिकारों का प्राय: निराकरण कर दिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति को इस विषय पर ध्यान देकर इस पर चर्चा के लिये अधिक समय देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये मैं श्री कामत को विशेष रूप से निमंत्रित करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत का गजट, असाधारण, भाग २, विभाग २, दिनांक १७-१२-१९५६ में प्रकाशित ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९५६-५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्य जिन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें पन्द्रह मिनट के अन्दर दे दें।

क्या माननीय वित्त मंत्री इन मांगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ? यदि कोई नई सेवायें आरम्भ की गई हैं, तो उनकी भी वह विशद चर्चा कर दें।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह कार्य मेरे लिये अपेक्षाकृत नया है। मेरा विचार है कि इस प्रकार के विषय में किसी प्राथमिक वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। विवाद उठाना सभा का कार्य है। सभा को निर्णय में सहायता प्रदान करने के लिये और वित्त मंत्रालय का दृष्टिकोण समझाने के लिये मैं यथासम्भव उपस्थित रहूंगा। टिप्पण में व्याख्या दे दी गई है और यदि सभा मुझ से किसी बात का स्पष्टीकरण चाहे, तो मैं सदा तत्पर हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री महोदय का विचार हो कि कोई बात बहुत महत्वपूर्ण है तो वे कुछेक वाक्यों में समझा दें। यह श्रेयस्कर होगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं किसी विषय को विशेष महत्व वाला नहीं समझता हूं। मैंने मांगों का अध्ययन कर लिया है यदि माननीय सदस्यों की कभी इच्छा हो तो मैं आवश्यक व्याख्या कर दूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या मांग संख्या ९ बाद में ली जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, उसे बाद में लिया जायेगा।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : क्या हम कटौती प्रस्तावों की संख्या आपके पास भिजवा दें अथवा आपका ध्यान आकर्षित होने तक प्रतीक्षा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें भिजवा सकते हैं तथा मैं यह मान लूंगा कि उन्हें प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी बीच यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो वह इन कटौती प्रस्तावों की ओर निर्देश कर सकते हैं।

१९५७ के लिये अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५२	मंत्रिमंडल ...	४,५६,०००
५२क	क्षेत्रीय परिषदें	२,५५,०००
५३	दिल्ली	३,३४,०९,०००
५३क	हिमाचल प्रदेश ...	२,४२,००,०००
५४	पुलिस	५४,५६,०००
५७क	लक्कद्वीप, मिनिकोय, अमीनदिवी द्वीपसमूह	३,००,०००
६१	राज्यों के साथ सम्पर्क ...	२९,३२,०००

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर) : मांग संख्या ५७क पर मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या २७, २८, २९, और ३० हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० क० गोपालन]

मांग संख्या ५७ क लक्कदीप और मिनिकौय द्वीपसमूहों के सम्बन्ध में है। इन द्वीपों का प्रशासन आज भी १९१२ के द्वीप प्रशासन अधिनियम के अनुसार चल रहा है। तथा तब से वहां के प्रशासन में कोई अन्तर नहीं आया है। मद्रास के उच्च न्यायालय ने इनमें से कुछ उपबन्धों को संविधान के अनुसार शक्ति परस्तात घोषित कर दिया है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे हैं तथा मंत्री जी को लिखा भी है। मेरे विचार से जो धारायें संविधान के अधीन शक्ति परस्तात हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिये।

वहां केवल एक प्रारम्भिक पाठशाला है। तथा वहां की बहुसंख्यक जनसंख्या अशिक्षित तथा अनपढ़ है। एक उच्च माध्यमिक स्कूल के न होने के कारण वहां के ५० विद्यार्थी जिन्हें छात्रवृत्ति दी गई है, कालीकट हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसलिये वहां एक हाई स्कूल का खोलना अत्यन्त आवश्यक है।

इन द्वीपों में कोई अस्पताल भी नहीं है। न ही इन द्वीपों के लिये कोई नियमित स्टीमर सेवा ही है तथा देशी नावों द्वारा सफर करने में १५ या २० दिन लगते हैं।

फीलपांव तथा कुष्ठ रोग वहां व्यापक रूप से फल हुए हैं तथा यदि सरकार यथाशीघ्र कार्यवाही नहीं करेगी तो ये रोग भीषण रूप से फैल जायेंगे और वहां की सारी जनता तबाह हो जायेगी। यद्यपि राज्य सरकार ने दिखावे के लिये कुछ किया है तथापि वस्तुतः कुछ ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

संचार साधनों की अवस्था यह है कि पन्द्रह रोज या एक महीने में एक बार उन्हें डाक मिलती है। यहां तक कि अच्छी पेटेंट औषधियों के लिये भी उन्हें भारत आना होता है जिसमें उन्हें लगभग सात दिन लग जाते हैं तथा वे बीस दिन या एक महीने में लौट पाते हैं। इन द्वीपों में कोई पारस्परिक संचार साधन नहीं हैं। इसलिये डाक में बड़ी अनियमितता है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इन द्वीपों के बीच तथा भारत के बीच नियमित स्टीमर सेवा शुरू की जायेगी तथापि इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। सरकार को अपने आश्वासन पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

इन द्वीपों के सम्बन्ध में नियत की गई राशि से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्थिक सुधारों के सम्बन्ध म कुछ नहीं किया गया है। जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है नारियल की जटा के उद्योग के लिये कुछ राशि पृथक रूप से रखी गई है। तथापि मत्स्य पालन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि इन दोनों उद्योगों के लिये कुछ व्यवस्था की जायेगी तो बेकारी का प्रश्न भी हल हो जायेगा।

क्योंकि यह द्वीप केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, अतः यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि इन द्वीपों का शिक्षा सम्बन्धी, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि इस चर्चा में कितने माननीय व्यक्ति भाग लेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ७, ९, १० और ११ को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। म पहले अन्तिम ३ कटौती प्रस्तावों को लूंगा।

दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये बनी हुई सलाहकार समितियों में विरोधी पक्ष को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन समितियों में विरोधी पक्ष को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये।

अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ९ को लता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि प्रादेशिक परिषदों का विधान तथा उनके कृत्यों तथा अधिकारों को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया गया है अथवा नहीं। मेरे विचार से स्थिति इस समय भी अनिश्चित है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या

†मूल अंग्रेजी में।

तत्सम्बन्धी राज्यों के संसत् सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को भी इन क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किया जायेगा, क्योंकि जब तक उक्त व्यक्तियों को इस परिषद् में स्थान नहीं मिलेगा, परिषद् लोकतन्त्रात्मक विधि से कुशलतापूर्वक कार्यवाही नहीं कर सकेगा ।

अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ७ को लेता हूं । मांग संख्या ५२ के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठते हैं । यह मांग मंत्रिमंडल से सम्बन्ध रखती है ।

बजट प्रस्तुत करते समय इस वर्ष के प्रारम्भ में मंत्रिमंडल में केवल ४० मंत्री थे और अब पैंतालीस मंत्री हो गये हैं तथा उनके स्वदेश तथा विदेश के दौरों के लिये भी अधिक राशि दी जा रही है । मैं इन दौरों के सम्बन्ध में कुछ बातें जानना चाहता हूं । अगले चार महीनों में कौन-कौन मंत्री दौरे पर जाना चाहते हैं ? सामान्य चुनाव निकट आ रहे हैं । मेरे विचार से अधिकांश मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहेंगे । तथापि कुछ मंत्री विदेशों के दौरे करेंगे तथा वहां रहेंगे । परन्तु फिर भी कुछ मंत्री निडर होते हैं .....

श्री वें० प० नायर : (चिरयिन्कील) : यह मंत्री लोगों के प्रति सम्मान है ।

श्री कामत : मैंने स्वयं अपने राज्य में यह अनुभव किया है कि मंत्रियों के अधिक दौरों से जिला प्रशासन में गड़बड़ी पैदा हो जाती है । अधिकांश दौरों का कार्यक्रम भी पहले से निश्चित नहीं किया जाता है । जिला पदाधिकारियों को भी प्रत्येक दौरे पर आने वाले मंत्री को सलामी नहीं झुकानी चाहिये । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस काम के लिये एक विशेष मंत्री की नियुक्ति की जाये जो केन्द्र तथा राज्य के मंत्रियों की विदाई तथा स्वागत इत्यादि की देखभाल करे ।

दूसरा पहलू भी मंत्रि-परिषद् की संख्या वृद्धि से सम्बन्ध रखता है । पहिली मद रेलवे प्राधिकारियों द्वारा मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिये बुक किये गये 'सेलून' डिब्बों के संधारण व मरम्मत इत्यादि के बकाया के सम्बन्ध में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मंत्री 'सेलून' डिब्बों में यात्रा करते हैं तथा कितने व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है तथा क्या आपको भी यह अधिकार है अथवा नहीं ? मंत्रियों के क्वार्टरों आदि पर बिजली का भी बहुत अधिक व्यय होता है । कुछ मंत्रियों के क्वार्टरों पर १,००० रुपये मासिक से भी अधिक बिजली जलती है । मेरा सुझाव है कि एक संसदीय समिति को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये, क्योंकि कई मंत्रियों के घर प्रतिदिन दीवाली जलती रहती है तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भी पर्याप्त विद्युत् खर्च की जाती है । इस बारे में जांच पड़ताल की जानी चाहिये ।

अब म अन्तिम बात पर आता हूं । वह यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या के बढ़ाने में राज्य प्रधान मंत्री का अनुकरण करने में बड़े कुशल सिद्ध हुए हैं और द्रुत गति से अपने मंत्रिमंडलों की वृद्धि कर रहे हैं । वर्तमान बंगाल में जो कि भूतपूर्व बंगाल का एक तिहाई भाग है, मंत्रियों की संख्या ३२ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें यहां पर राज्यों की आलोचना का कोई अधिकार नहीं है ।

†**श्री कामत** : हमें संसदीय लोकतन्त्र के लिये अच्छे और उन्नत प्रकार के पूर्व-दृष्टांत कायम करने चाहिये । मंत्रियों को किसी न किसी सभा का सदस्य होना चाहिये । तथा अधिकांश सदस्य लोक-सभा से ही होने चाहिये । आपको ज्ञात ही है कि जब श्री सु० कु० डे पहिले दिन लोक-सभा में आये थे तो एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते थे । मेरे दल के नेता का यह कहना है कि स्वयं प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को नहीं जानते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कामत]

इस समय भी मंत्रिमंडल की कोटि के दो ऐसे सदस्य हैं जो कि किसी भी सभा के सदस्य नहीं हैं। मेरे विचार से यह बात औचित्यपूर्ण नहीं है। उनमें से एक मंत्री ने राज्य सभा में स्थान पाने का प्रयत्न किया, तथापि वहां कोई स्थान रिक्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि बम्बई के मुख्य मंत्री को भी दो में से एक सभा में अवश्य स्थान मिल जायेगा। मैं मंत्री जी से उक्त बातों का स्पष्टीकरण करने को कहूंगा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ६, ८ और २० के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। श्री कामत ने कहा है कि मंत्रालयों की संख्या सीमित की जाये। ब्रिटेन में भी एक बार यही स्थिति पैदा हो गई थी। अतः उन्होंने एक अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम आजकल लागू है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं जान सकता हूं कि क्या वहां पर मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के १० प्रतिशत के तुल्य अधिक मानी जाती है?

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : अब वहां के प्रधान मंत्री, मंत्रियों की संख्या एक निश्चित संख्या से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिये अधिनियम में संशोधन करना होगा। मेरे विचार से यह बहुत अच्छा विधान है। हमें इसका अनुकरण करना चाहिये। तथा मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निश्चित करनी चाहिये। साथ-साथ मंत्रियों की श्रेणी भी निश्चित होनी चाहिये। इस समय मंत्रियों की चार श्रेणियां हैं। एक मंत्रिमंडल के सदस्य; दूसरे मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं; तीसरे उपमंत्री और चौथे सभा-सचिव। मैं सभा के नेता से यह निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें और मंत्रियों की संख्या तथा उनकी श्रेणियों के सम्बन्ध में एक अधिनियम बनायें। वस्तुतः मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने से सामूहिक अनुत्तरदायिता की भावना पैदा होती है तथा उत्तरदायित्व की भावना घटती है। विभिन्न मंत्रालयों में भी प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा होती है और सजातीयता पर आघात होता है। कई अवसरों पर परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाते हैं। अधिक मंत्रालयों के होने से ऐसा होता रहेगा।

हमारे यहां अब लगभग ४५ मंत्री और कुछ सभासचिव हैं। इनकी संख्या अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है। इससे कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि कुछ मंत्री दौरों के सम्बन्ध में दी गई शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे अपने भी निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे करते रहते हैं। वे वहां की स्थानीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हैं। इससे उन्हें यथासम्भव बचना चाहिये।

प्रादेशिक परिषद् के रूप में हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत एक नया परीक्षण कर रहे हैं। प्रादेशिक परिषदों को अपना सारा ध्यान राज्यों की सीमाओं की समस्याओं पर ही केन्द्रित करना चाहिये। अभी बहुत से सीमा सम्बन्धी विवादों का निबटारा होना है। यह कार्य प्रादेशिक परिषदों और राज्यों के मंत्रियों पर ही छोड़ दिया गया था। इसलिये इन प्रादेशिक परिषदों को मंत्रियों द्वारा इस सम्बन्ध में अनुदेश दिये जाने चाहिये। गृह-कार्य मंत्री इन परिषदों के सभापति हैं, इसलिये वे इन सीमा सम्बन्धी विवादों के निबटारे में शीघ्रता करा सकते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : केन्द्रीय सरकार ने लक्कद्वीप, मिनिकौय और अमीनद्वीप द्वीपसमूहों से सम्बन्धित कुछ मामलों में उपेक्षा से काम लिया है।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इन द्वीपों और शेष भारत में कोई भी समानता नहीं है, इसलिये इनके विकास कार्यक्रमों को अलग ही रखा जायेगा। लेकिन, नीचे दी गई टिप्पणी में कहा गया है कि इन

†मूल अंग्रेजी में।

द्वीपों के विकास की योजनायें अधिसूचित करने के लिये आवश्यक पूरी-पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। इससे पता लगता है कि इतने सामरिक महत्व के इन द्वीपों की कितनी उपेक्षा की जा रही है। इन द्वीपों की जनसंख्या २०,००० है। अभी तक इन द्वीपों के लिये कोई मोटरबोट सेवा भी नहीं है और वहां जाना निरापद भी नहीं है। यदि हम उचित ध्यान दें तो इन्हें मीन क्षेत्र उद्योग में विकसित किया जा सकता है।

इन द्वीपसमूहों के आसपास मीन क्षेत्रों के अकूत संसाधन मौजूद हैं। हम मछलियों का आयात भी कर सकते हैं। वहां मछली के शिकार के छोटे-छोटे पत्तन तो बना ही सकते हैं।

भारत सरकार को, इन द्वीपों के सामरिक महत्व को देखते हुए यहां एक हवाई अड्डा भी बनाना चाहिये। इनकी उपेक्षा देश को बहुत ही महंगी पड़ेगी।

इन द्वीपों में न तो शिक्षा ही है और न चिकित्सीय सुविधायें ही उपलब्ध हैं जिससे फीलपांव और कुष्ठ जैसे रोगों का अधिक प्रकोप रहता है। इसके लिये सब से अधिक आवश्यक तो यह है कि परिवहन की कठिनाइयों को दूर किया जाये। हमारी नौ-प्रतिरक्षा के विचार इनका भारी महत्व है। लेकिन, सरकार इनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है; अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समय भी सरकार ने यही कहा था कि उसके पास इनके बारे में पूरी-पूरी सूचना नहीं है।

इन द्वीपों में आधुनिक ढंग का मीन क्षेत्र उद्योग तो विकसित किया ही जा सकता है। इससे इन द्वीपों की जनता की दशा भी सुधर जायेगी। यहां हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये।

†**श्री दामोदर मेनन** (कोजिकोड) : इस सभा में मैं ही लक्कद्वीप, मिनिकौय और अमीनद्वीप द्वीपसमूहों का एक प्रतिनिधि हूं। ये द्वीपसमूह बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में हैं। सरकार ने इन द्वीपों तक परिवहन की सेवा विस्तारित करने का वचन तो दिया है, लेकिन अनुपूरक मांगों में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि उस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है। क्या भारत और इन द्वीपों के बीच निकट भविष्य में किसी नियमित सेवा के चालू होने की आशा है? नियमित सेवा ही यहां के विकास के लिये सब से पहली आवश्यकता है।

इन द्वीपों में नारियल जटा उद्योग ही मुख्य उद्योग है। सरकार ने इन द्वीपों में नारियल जटा उद्योग का विकास करने के लिये क्या व्यवस्था की है? इन द्वीपों में एक ऐसी सहकारी संस्था होनी चाहिये जो इनके निवासियों से नारियल जटा का संग्रह करके उसे मुख्य देश में भेज सके।

यहां की दूसरी बड़ी आवश्यकता है चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा शिक्षा की। यहां कोई डाक्टर आदि भी देखने में नहीं आता। आशा है कि केन्द्र द्वारा शासित होने पर सरकार इन द्वीपों में चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करेगी।

इस समूह के केवल दस द्वीपों में ही लोग बसे हुए हैं। सरकार ने इनके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में भी लोगों को बसाने के लिये क्या योजना बनाई है? मीन क्षेत्र उद्योग का विकास करके, उन शेष द्वीपों को भी बसाया जा सकता है।

यहां जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है, उसमें इन द्वीपों को लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये कोई भी प्रयास नहीं है। केन्द्र द्वारा शासित होने के कारण, इसके विकास का दायित्व भारत सरकार पर ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या इस समय तक वहां कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है ?

†**श्री दामोदर मेनन** : कोई भी नहीं । त्रिपुरा और मनीपुर की भांति, इन द्वीपों को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये । अभी तो इन द्वोपों को कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हैं । ऐसा करके ही सरकार यहां के लोगों को महसूस करा सकती है कि वे अच्छी प्रकार से प्रशासित हो रहे हैं और उनको अधिक सुविधायें मिल गई हैं ।

†**श्री क० कु० बसु** : मंत्रिमंडल के विस्तार के सम्बन्ध में, मैं श्री कामत और श्री म० शि० गुरुपादस्वामी के विचारों से सहमत हूं । आज तो कांग्रेस दल के संसद् सदस्यों में से प्रत्येक बारहवां सदस्य मंत्री बना हुआ है ।

मैं यह तो मानता हूं कि हमारी विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था में प्रशासकीय व्यवस्था को विस्तृत करना पड़ेगा और इसके निमित्त नये व्यक्तियों की भर्ती करनी पड़ेगी; लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करने के सम्बन्ध में अभी तक सभा को उचित कारण नहीं बताये गये हैं । अभी रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव को उपमंत्री बना दिया गया था । रेलवे मंत्री ने तो अपनी प्रशासकीय असफलता के कारण त्यागपत्र देने की बात सोची थी, लेकिन उनके सभासचिव को उपमंत्री बना दिया गया है । रेलवे मंत्रालय की इतनी अधिक आलोचना हो चुकी है । इसलिये, यदि सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार की आवश्यकतायें सभा को नहीं बताती, तो सभा को इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

सरकार तो मंत्रियों के बिजली के खर्च के निजी बिल भी अदा करती है । यह एक विचित्र सी बात है । इसे बन्द करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि मंत्रियों को दौरा करने के लिये सैलूनों में सफर नहीं करना चाहिये । उनके लिये शीतोष्ण नियंत्रित एक डिब्बा अलग से लगाया जा सकता है । इन सैलूनों में यात्रा करने का क्या औचित्य है ? हमें अपना अधिक से अधिक धन विकास-कार्यों में लगाना चाहिये । मंत्रियों के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये ।

फिर क्या कारण है कि आजकल चुनावों के समय ही मंत्रियों के दौरे इतने बढ़ गये हैं ? इनके बहाने वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं । ये दौरे राज्य के व्यय पर नहीं किये जाने चाहिये ।

सभा ने प्रादेशिक परिषदों की स्थापना सम्बन्धी विधि को पारित कर दिया है । लेकिन, इस सभा में होने वाली चर्चा और गृह-कार्य मंत्री के निरूपणों से तो मुझे यही लगता है कि ज़ोनीय परिषदों का विचार अभी आरम्भिक अवस्था में ही है । चुनावों के कारण गृह-कार्य मंत्री और राज्य सरकारों के प्रधानों के पास इस विचार को अधिसूत्रित करने के लिये पर्याप्त समय भी अभी नहीं है । इसलिये, मेरा अनुरोध है कि अभी इनकी स्थापना करके प्रशासन पर व्यय न किया जाये । उच्चतर प्रशासकीय व्यवस्था पर राज्यकोष की राशियां व्यर्थ में व्यय करना उचित नहीं है । अभी उनसे कोई लाभ हो ही नहीं सकेगा । हमें अपने प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के अनुसार ही ढालना चाहिये ।

मैं गृह-कार्य मंत्रालय की कुछ अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं ।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या २१, २२ और २५ के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

मेरा विचार है कि मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करना उचित नहीं है । यदि मंत्रिपदों के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षित ही करना है, तो हम सभासचिवों के रूप में नये व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वे अपने कार्य में अधिक रुचि और उत्साह भी दिखायेंगे । मंत्रियों की नियुक्तियों द्वारा अपने दलगत झगड़ों को निबटाने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।

मंत्रालय कुछ समय बाद यह अनुभव करेगा कि ज़ोनीय परिषदों के पास करने के लिये कोई कृत्य ही नहीं है । वे प्रभावहीन और व्यर्थ हैं । ज़ोनीय परिषदें तो केवल उन देशों के लिये ही उपयुक्त रहती हैं जिनमें बहुत छोटे-छोटे अनेक राज्य होते हैं । लेकिन, हमारे यहां के राज्य तो काफी बड़े-बड़े हैं । इनमें आपस में कम ही सामान्यनिर्माण-कार्य रहेंगे, इसलिये आपस में परामर्श करने की आवश्यकता भी कम ही रहेगी ।

प्रादेशिक परिषदों की उपयोगिता को मंत्रालय कुछ समय बाद ही अनुभव करेगा । जो भी प्रश्न दो या इससे अधिक राज्यों से सम्बन्ध रखते हों, उन पर मंत्रालयों के स्तर पर विचार किया जा सकता है । इसलिये, ये प्रादेशिक परिषदें अनावश्यक हैं । इन पर धन का अपव्यय ही होगा ।

लक्कद्वीप, मिनिमौय और अमीनद्वीप द्वीपसमूहों में प्रशासन की सामंती प्रणाली ही चल रही है । उसे समूचे देश के प्रशासन के स्तर पर लाना चाहिये । सरकार ने नारियल जटा के क्रय के लिये १,५०,००० रुपये आवंटित कर दिये हैं । इस धन से नारियल जटा खरीद कर मुख्य देश में भेजी जायेगी । हमें इन द्वीपों में ही छोटे-छोटे ऐसे कारखाने स्थापित करने चाहिये जो वहां की जनता को रोजगार दिलाएं और नारियल जटाओं को तैयार उत्पादों के रूप में मुख्य देश में भेज सकें ।

इनमें से प्रत्येक द्वीप में कम से कम एक चिकित्सागृह और स्कूल खोलना चाहिये साथ ही, मुख्य देश के साथ सम्बन्ध रखने के लिये एक नियमित स्टीमर सेवा भी होनी चाहिये ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं प्रादेशिक परिषदों के गठन तथा उन पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इन परिषदों के सम्बन्ध में कहा गया था कि वे सीधे राज्यपालों के अधीन रहेंगी और उनकी नीति तथा कार्यक्रम के तय करने में सरकार का कुछ हाथ न होगा । जैसा कि आप जानते हैं कि इन परिषदों की स्थापना से अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना इच्छित था, परन्तु मुझे विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल का इन परिषदों पर प्रभाव होगा; ये उस दल के हाथों में रहेंगी और इनसे अल्पसंख्यकों का कोई लाभ न होगा ।

अब मैं इन परिषदों में पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । प्रशासन की यह प्रवृत्ति है कि उच्च वेतन पर पदाधिकारियों को अवसर मिलने पर नियुक्ति किया जाय । पदाधिकारियों के लिए जगहें बनाई जाती हैं यह आश्चर्य की बात है कि प्रादेशिक परिषद् के प्रशासन कार्य के लिये संयुक्त सचिव को ११००–१८०० रुपये के वेतन पर नियुक्त किया जायेगा । संयुक्त सचिव होगा तो अवर-सचिव भी होगा, अन्यथा प्रशासन कार्य नहीं चल सकेगा ।

मैं कहता हूं कि इन पदाधिकारियों के लिये कोई काम न होगा । वे खाली बैठे रहेंगे क्योंकि अभी कई महीनों तक परिषदों के लिये कोई काम न होगा । सरकार इन बातों को कभी नहीं सोचती है ।

सरकार एक यंत्रीकृत फार्म की व्यवस्था कर रही है और मैं उसका उदाहरण देता हूं । कहा गया है कि मुख्य प्रबन्धक का वेतन १८०० रुपये होगा । १०००–१४०० रुपये के वेतन पर एक यान्त्रिक इंजीनियर भी होगा । फिर प्रशासन के निदेशक को भी ८००–११५० रुपये मिलने चाहियें । ६०० रुपये पाने वाला एक फार्म अधीक्षक भी होना चाहिये । मैंने विदेशों में फार्म देखे हैं जहां प्रमुख को २०० या ४०० या ६०० रुपये से अधिक नहीं मिलते हैं । यहां भोपाल के फार्म पर ही करोड़ों रुपये बर्बाद किये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : माननीय सदस्य एक असम्बन्धित मांग पर बोल रहे हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं केवल एक उदाहरण दे रहा था । मैं यह पूछ रहा था कि मंत्री महोदय ने इस ब्योरे पर क्यों विचार नहीं किया कि प्रादेशिक परिषदों में जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा, उन्हें क्या काम करना चाहिये । मेरा प्रश्न यह है कि छोटे कामों के लिये इतने उच्च पद क्यों रखे जाते हैं । मंत्री महोदय स्वयं देखेंगे कि वहां गप्पबाजी, सिनेमा देखने और अन्य बातों के अतिरिक्त महीनों तक कोई काम नहीं है ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : बहुत अच्छा काम है ।

†**श्री वेलायुधन** : इस बारे में मैं मंत्री महोदय को चुनौती देता हूं । एक और बात लक्कद्वीप टापुओं के सम्बन्ध में है । मुझे उस क्षेत्र में रहने वाले अपने एक मित्र से एक पत्र प्राप्त हुआ है । वह भारत सरकार का एक पदाधिकारी है । उसने लिखा है कि संघ प्रदेश बनने के बाद अब स्थानीय जनता को यह भय है कि मालाबार के कई कांग्रेसियों की इन टापुओं पर नजरें हैं और वे संसद् सदस्य बनना चाहते हैं । वहां पर ऐसे स्थानीय लोग हैं जो अपने मामलों का प्रबन्ध कर सकते हैं । उन्हें अवसर देना चाहिये और पड़ौसी राज्य के लोग संसद् में उनके प्रतिनिधि नहीं होने चाहियें । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये ।

एक बात और है । सरकार को उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर विशष रूप से ध्यान देना चाहिये । वहां श्लीपद नामक रोग के उपचार के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी अन्य संस्था की सहायता लेनी चाहिये ।

वहां के लोग अपना प्रशासन चलाने के योग्य हैं । उन लोगों को भय है कि अन्य व्यक्ति उनके अधिकार को छीन कर संसद् सदस्य बन जायेंगे । इस बात का अधिकार उस क्षेत्र में पैदा हुए और रहने वाले व्यक्ति को ही होना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : श्रीमान्, मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या २४ तथा २६ का सम्बन्ध दिल्ली में औद्योगिक न्यायाधिकरण की कार्यान्विति से और मुख्यभूमि तथा लक्कद्वीप टापुओं के बीच सीधी स्टीमर सेवा के सम्बन्ध में मांग संख्या ५७क से है ।

जबकि मैं श्रम के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा हूं न तो माननीय मंत्री और न ही उपमंत्री यहां हैं ।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : मुझे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये कहा गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मुझे प्रसन्नता है । दिल्ली में २०० संघों के १ लाख सदस्य हैं । इन में कपड़ा उद्योग के २०,००० श्रमिक हैं । द्वितीय योजना में श्रम सम्बन्धी अध्याय में श्रम विधान की प्रभावी अभिपूर्ति पर जोर देने के लिये कहा गया है, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रम-विधान को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है । दिल्ली राज्य में राज मजदूरों की संख्या लगभग ७५,००० है । यद्यपि यह कहा गया है कि उनकी कार्य की शर्तों के विनियमन के लिये विधान बनाना चाहिये तथापि आज तक कुछ नहीं किया गया है । पत्थर काटने वालों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी के उपबन्ध की तामील की जानी चाहिये । इसकी अवहेलना की जा रही है । पत्थर काटने वाले को ५ दिन के लिये नौकर रखा जाता है फिर उसे निकाल दिया जाता है । फिर ५ दिन के लिये नौकर रखा जाता है क्योंकि ६ दिन काम लेने पर सातवें दिन उसे मजूरी सहित छुट्टी देनी होगी । इन श्रमिकों के रहने के लिये और जल सम्भरण की कोई उचित व्यवस्था नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम या मजूरी भुगतान अधिनियम की क्रियान्विति के लिये केवल २ या ३ निरीक्षक रखे गए हैं जबकि दिल्ली राज्य में मजदूरों की संख्या कपड़ा उद्योग में २०,००० है, इमारतें बनाने वाले मजदूर ७५,००० हैं और ५०,००० दुकानों में नौकर हैं। २ या ३ निरीक्षक इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन सभी राज्यों में एक पृथक् प्राधिकारी नियुक्त है। परन्तु यहां लघुवाद न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है जिसे अपना काम भी करना होता है और इन शिकायतों को भी सुनना होता है। परिणामस्वरूप उसे जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें विलम्ब हो जाता है।

फिर नगरपालिका के श्रमिक भी हैं। उन्हें १५, १६ या १७ तारीख को वेतन दिया जाता है। अधिनियम के अनुसार उन्हें प्रथम सप्ताह में वेतन मिलना चाहिये। श्रम-विधान की क्रियान्विति की देखभाल के लिये कोई पृथक् पदाधिकारी नहीं है। समस्त काम उद्योग, श्रम तथा असैनिक सम्भरण के महानिदेशक के अधीन हैं। उसके पास काम इतना अधिक है कि समझौते की कार्यवाहियों में ही ८ से १० महीने का समय लग जाता है। यदि आप इन श्रमिकों के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो स्थिति में सुधार के लिये उग्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

मुझे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक उप-सम्पादक का मामला मालूम है। बिना किसी कारण उसे नौकरी से अलग किया गया था। ३ महीने की समझौते की कार्यवाही के बाद मार्च में न्याय-निर्णयन के लिये मामला निर्देशित किया गया था। साधारणतया समझौते की कार्यवाही में एक या दो या तीन-चार दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिये।

इसके बाद समझौता अधिकारी सरकार से यह सिफारिश करता है कि मामले का न्याय-निर्णयन किया जाय अथवा नहीं। उस मामले के न्याय-निर्णयन में तीन महीने लगे। कुछ महीनों बाद यह मामला एक न्यायाधिकरण में गया जिसने यह निर्णय दिया कि उस सम्पादक को अंतरावधि का कुछ प्रतिकर दिया जाय। अन्त में व्यवस्थापक मामले को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ले गए और रोक-आदेश ले लिया। आज तक भी उस कर्मचारी को कुछ नहीं मिला है।

दिल्ली का उल्लेख करते समय हम यहां की जलपूर्त्ति व्यवस्था के बारे में अवश्य कुछ कहेंगे। हमें बताया गया है कि शुद्ध और क्लोरीन वाले पानी की पूर्ति के लिये और अच्छी व्यवस्था की जायेगी। परन्तु आज भी नजफगढ़ नाले का पानी नदी में बहता है और वही पानी हमें दिया जाता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कब स्वच्छ और कीटाणुरहित जलपूर्ति प्राप्त होगी जिससे कि पीलिया से और अधिक लोग पीड़ित न हों। दिल्ली की सफाई को यदि हम देखें--इसमें कोई शक नहीं कि हम अच्छी जगहों में रहते हैं,---तो हमें मालूम होगा कि वह कितनी असंतोषप्रद है। मेरे समझाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं।

दिल्ली के बारे में इतना कहने के बाद मैं मुख्य भूमि और लक्काद्वीप के बीच सीधी समुद्री जहाज सेवा के बारे में दो-चार शब्द कहूंगा। उस भाग के बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, परन्तु मैं मंत्री जी के सामने कुछ तथ्यपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। दो वर्ष पहिले मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए परिवहन उपमंत्री ने कहा था कि मद्रास सरकार से इस मामले पर विचार करने के लिये कहा गया है और उसने इस सम्बन्ध में अर्थ-सहायता के लिये भारत सरकार से अभ्यावेदन किया है। तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर विचार हो चुका है और १,२५,००० रुपयों की अर्थ-सहायता दी जायेगी। उसके बाद भी मैंने इसी प्रश्न पर जोर दिया। मैंने परिवहन मंत्रालय से एक और प्रश्न पूछा और वह गृह-मंत्रालय में पहुंचा। गृह-मंत्री ने उत्तर दिया कि मद्रास सरकार से उसकी जांच करने के लिये कहा गया है और केन्द्र सरकार द्वारा अर्थ-सहायता दी जायेगी।

[श्री त० ब० बिट्ठल राव]

इसके कुछ महीनों बाद जब यह प्रश्न फिर से इस सभा में पेश किया गया, तब मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि लक्काद्वीप संघीय राज्य क्षेत्र हो रहा है, केन्द्रीय सरकार इसे अपने हाथ में लेगी। इस तरह पिछले दो वर्षों से यह प्रश्न मद्रास सरकार से केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से मद्रास सरकार के बीच ही चल रहा है। मुझे लक्काद्वीप के निवासियों के बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम, परन्तु मैंने सूचना मंत्रालय का एक वृत्तान्त चलचित्र देखा है और मुझे मालूम हुआ है कि वहां के लोगों की हालत कितनी खराब है। जब पिछले वर्ष राष्ट्रपति महोदय लक्काद्वीप गए थे तब वहां के लोगों की मुख्य मांग भारत की मुख्य भूमि और लक्काद्वीप के बीच जहाज चलाये जाने की ही थी। परन्तु सरकार इस बारे में एक लम्बे अर्से से मौन है। मैं यह आशा करता हूं कि अब जबकि सैलून का प्रश्न उठाया गया है, मुख्य भूमि के निवासियों और उन दूरस्थ अभागे द्वीप निवासियों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिये लक्काद्वीप के निवासियों के लिये शीघ्र ही कुछ न कुछ किया जायेगा।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** (टेल्लिचेरी) : मैं यथासंभव संक्षेप में बोलूंगा। मैं क्षेत्र-परिषदों के बारे में कुछ कहूंगा और दक्षिणी क्षेत्र से मैसूर राज्य को अलग रखने पर अपनी आपत्ति प्रकट करूंगा। जैसा कि हमें मालूम है, मैसूर उस क्षेत्र परिषद् में रखा गया है जिसमें बम्बई आता है। मैसूर निश्चित रूप से दक्षिण भारतीय राज्य है और उसे उस क्षेत्र परिषद् में रखना था जिसमें आंध्र, मद्रास और केरल हैं। आंध्र, केरल और मद्रास एक ही क्षेत्र परिषद् में हैं। केरल और मैसूर की बहुत-सी बातों में समानता है। उनकी सीमा एक ही है। बहुत-सी जगहों में एक सी सीमा है। मेरा ख्याल है कि इस अवस्था में भी इसमें सुधार होना चाहिये। यदि पश्चिम क्षेत्र परिषद् में कोई परिवर्तन आवश्यक ही है, तो मेरे विचार से आंध्र को मद्रास की अपेक्षा बम्बई में रखा जाना चाहिये था। खैर, किसी भी तरह मैसूर, केरल और मद्रास एक ही क्षेत्र परिषद् में रखे जाने चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आंध्र, मैसूर, केरल और तामिलनाड सब मिलाकर बहुत बड़े हो जायेंगे ?

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : चूंकि आंध्र की बहुत सी बातें वर्तमान बम्बई राज्य से मिलती जुलती हैं और उसकी सीमा भी काफी दूर तक एक ही है अतएव उसे मद्रास की अपेक्षा बम्बई के साथ ही रखा जाना चाहिये था। मैसूर, केरल और मद्रास का विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध है और तीनों राज्यों की सीमा काफी दूर तक एक ही हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस बारे में यथाशीघ्र कोई परिवर्तन किया जाना चाहिये।

मैं मलाबार जिले का हूं जो लक्काद्वीप से निकटतम जिला है। इस वर्ष की पहली अक्तूबर तक लक्काद्वीप, अमीनीद्वीप और मिनीकाय द्वीप मद्रास राज्य के मलाबार जिले में आते थे। जैसा कि श्री विट्ठल राव तथा केरल क्षेत्र के अन्य सदस्यों ने बताया है, केन्द्रीय सरकार को इन द्वीपों की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिये। वे सीधे भारत सरकार के प्रभार में आ गये हैं। जैसा कि श्री विट्ठल राव ने बताया है, मुख्य भूमि और इन द्वीपों के बीच जहाज़ें चलाने का प्रश्न पिछले दो वर्षों से अनिर्णीत स्थिति में है। इस सभा में अनेकों प्रश्न पूछे गये हैं और उनके कभी परिवहन मंत्रालय और कभी गृह-मंत्रालय द्वारा अस्पष्ट उत्तर दिये गये हैं। यह सत्र आरंभ होने के पहिले मैंने लक्काद्वीप, मिनीकाय और अमिनीद्वीप के द्वीपों तक जहाज़ें चलाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा था। माननीय गृह-मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि इसके लिये एक ही शिपिंग कम्पनी तैयार हुई है और उसके साथ वार्ता हो रही है कि वह भारत के पश्चिमी तट की मुख्य भूमि से लक्काद्वीप तक जहाज चलाये। यह मामला काफी लम्बे अर्से से विचाराधीन है। इन द्वीपों में राष्ट्रपति के दौरे के समय भी परिवहन की आवश्यकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया

†मूल अंग्रेजी में।

गया था परन्तु फिर भी भारत सरकार के गृह-मंत्रालय ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। यदि कोई गैर-सरकारी शिपिंग कम्पनी इसके लिये तैयार नहीं है तो मेरे विचार से भारत सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक जहाज खरीदे और उसे भारत की मुख्य भूमि तथा लक्काद्वीप, अमिनीद्वीप और मिनीकाय द्वीपों के बीच चलाये। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि यह जहाज भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण शहरों, कम से कम मंगलौर और कोचीन के बीच के अर्थात् पोन्नानी, कालीकट, बड़गारा, टेल्लिचेरी, कन्ननूर, कासरगोड और मंगलौर—में और लक्काद्वीप, मिनीकाय, और अमिनीद्वीप समुदाय के आबादी वाले द्वीपों में रुके। मेरे मित्र श्री वें० प० नायर ने इन द्वीपों में मत्स्य उद्योग के विकास की विशाल सम्भावनाओं से इस सभा को अवगत करा दिया है। उन्होंने इन द्वीपों के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। भारत के मत्स्यपालन उद्योग के विकास के लिये यह बहुत ही सहायक होंगे। वहां कई छोटे-छोटे मछली मारने के बंदर स्थान बनाये जा सकते हैं। इन द्वीपों का दूसरा उपयोग, जो उन्होंने सुझाया है, यह है कि ये द्वीप हमारे देश की प्रतिरक्षा के लिये महत्वपूर्ण स्थानों का कार्य कर सकते हैं।

मुझे यह नहीं मालूम कि मैं इसका उल्लेख करके कोई खतरनाक बात तो नहीं कह रहा। इन द्वीपों की अब बहुत उपेक्षा हो रही है। इनमें पूर्णतया हमारे मुसलमान भाई ही बसते हैं जिन पर उनकी वर्तमान अशिक्षा के कारण हमारे निकटतम पड़ोसियों का प्रभाव पड़ सकता है। आपात्तिक स्थिति में ये द्वीप हमारे देश की सुरक्षा और बचाव के लिये काफी खतरे की जगहें हो सकते हैं। अतएव, इस दृष्टि से भी इन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और इन द्वीपों के निवासियों को संतोषजनक स्थिति में रखा जाना चाहिये। शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, और औद्योगिक सुविधाओं के अभाव का उल्लेख पहले ही कर दिया गया है। यदि हम एक या दो द्वीपों का अच्छी तरह विकास कर दें, वे अच्छे पर्यटन स्थल और छुट्टी के दिनों के समागम स्थान हो जायेंगे, और यदि पश्चिमी तट से नियमित जहाज चलने लगें, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि देश के और विदेशों के बहुत से पर्यटक इन सुन्दर द्वीपों को देखने जायेंगे जो आज उपेक्षित स्थिति में हैं। यदि इनका उचित ढंग से विकास किया जाये तो कश्मीर या भारत के अन्य सुन्दर स्थलों की तरह ये द्वीप भी पर्यटकों के स्वर्ग बन जायेंगे।

हमारे कुछ मित्रों और श्री गुरुपादस्वमी ने इस प्रश्न का उल्लेख किया था कि मंत्रि मंडल में मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और कई बड़ी परियोजनायें चल रही हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार जिस बढ़ते हुए कार्य को संभाल रही है उसे देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। परिस्थिति की अवश्यकताओं और उस काम के स्वरूप का ध्यान रखते हुए जो उन्हें करना पड़ता है और देश की विशालता की तुलना से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं है।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : संख्या बहुत कम है।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : मैं यह कहता हूं कि वे बहुत अधिक नहीं है। श्री क० कु० बसु ने इन सैलूनों के उपयोग का जो सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं। हमारे कुछ मंत्री और अधिकरी उन लोगों से सम्पर्क नहीं रखते जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में मंत्रियों को उनके काम के स्वरूप और परिस्थति की आवश्यकता के कारण हमें सेलूनों का उपयोग करने देना होगा। परन्तु इनमें से अधिकांश लोग खास तौर पर सरकारी अधिकारी बहुधा इन सैलूनों में पड़े रहते हैं और जनता से दूर रहते हैं। एक कल्याणकारी राज्य में जो समाजवादी ढांचे के समाज का निर्माण करने के लिये कटिबद्ध हैं, यह एक असंगत बात है कि हम इन सेलूनों का जी भर उपयोग करें और मेरे विचार से सरकार को इस समस्या पर भी कुछ विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में चुने हुए कटौती प्रस्ताव जिन्हें प्रस्तुत करने की सूचना सदस्यों ने दी है नीचे दिये गये हैं :

२०, ६, ७, २१, ४३, ८, ९, २२, १०, २४, ११, ४४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ४५, ४६, ५ और ३१ ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५२	२०	श्री म० शि० गुरुपादस्वामी (मैसूर)	मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित करने की समस्या	१,०००
५२	६	श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रश्न	१००
५२	७	श्री कामत	मंत्रि-परिषद् में नियुक्तियां	१००
५२	२१	श्री केलप्पन	मंत्रियों की संख्या में वृद्धि	१००
५२	४२	श्री क० कु० बसु	मंत्रियों की बढ़ रही नियुक्तियों तथा सैलूनों का प्रयोग	१००
५२ क	८	श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	खण्डीय परिषदों का कार्य	१००
५२ क	९	श्री कामत	खण्डीय परिषदों के कृत्य और शक्तियां	१००
५२ क	२२	श्री केलप्पन	खण्डीय परिषदों की आवश्यकता	१००
५३	१०	श्री कामत	दिल्ली के लिये मंत्रणा समिति का गठन	१००
५३	१४	श्री त० ब० विट्ठल राव	दिल्ली के न्यायाधिकरण को सौंपे गये औद्योगिक झगड़ों को निपटाने में असाधारण देरी	१००
५३ क	११	श्री कामत	हिमाचल प्रदेश के लिये मंत्रणा समिति का गठन	१००
५४	४४	श्री अ० क० गोपालन	केन्द्रीय सरकार की सहायता लेने वाली अधीनस्थ पुलिस शक्ति में वेतन स्तर की एकरूपता का अभाव	१००
५७ क	२५	श्री कलप्पन	विकास कार्यों की आवश्यकता	१००
५७ क	२६	श्री त० ब० विट्ठल राव	भारत और लक्काद्वीप के बीच में सीधी स्टीमरसेवा की व्यवस्था करने में देरी	१००
५७ क	२७	श्री अ० क० गोपालन	मत्स्य उद्योग को संगठित करने और सुधारने का प्रयत्न	१००

†मूल अंग्रेजी में ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५७क	२८	श्री अ० क० गोपालन	द्वीपों का सामान्य आर्थिक और सामाजिक विकास	१००
५७क	२९	श्री अ० क० गोपालन	द्वीपों में लागू वर्तमान कानूनों और विनियमों के तुरन्त पुनरीक्षण की आवश्यकता	१००
५७क	३०	श्री अ० क० गोपालन	भारत और द्वीपों में दैनिक स्टीमर सेवा की व्यवस्था का प्रश्न	१००
५७क	४५	श्री अ० क० गोपालन	द्वीपों की उपेक्षा	१००
६१	४६	श्री अ० क० गोपालन	केन्द्रीय रक्षित पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारियों को एक जैसा वेतन देने की आवश्यकता	१००
५२	५	श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	खर्चे में कमी	१०००
६१	३१	श्री तेलकीकर	बम्बई राज्य के औरंगाबाद में यर्थवाडा स्थान पर उच्च न्यायालय की स्थापना न करने की शिकायत की अभिव्यक्ति	१००

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री दातार** : विवाद में माननीय सदस्यों ने तीन बातें कही हैं : प्रथम बात मंत्रियों की संख्या में वृद्धि, तथा उन पर और उनकी यात्राओं पर किये जाने वाले खर्चे के सम्बन्ध में है । दूसरी खण्डीय परिषदों के सम्बन्ध में और तीसरी लक्काद्वीप और अमीनद्वीप के सम्बन्ध में हैं ।

प्रथम बात के बारे में मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि मंत्रियों की संख्या कोई बहुत अधिक नहीं । माननीय सदस्य ने कहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मुकाबले में हमारे मंत्रियों की संख्या अधिक है । मेरे समक्ष एक अधिकृत प्रकाशन "**ब्रिटेन—आफ़शियल हैण्डबुक**" है । इसमें यह पता चलता है लगभग १५ से २५ मंत्री तो ऐसे हैं जिन्हें 'सैक्रेटरी आफ स्टेट' कहा जाता है और उनके पास विभिन्न विभाग होते हैं । इसके अतिरिक्त ऐसे मंत्री हैं जो परम्परा से पदारूढ़ हैं और फिर चासंलर आफ दी एक्सचैकर तथा लार्ड चांसलर होते हैं । इन संब के अतिरिक्त जिनकी संख्या ३०, ३५ तक होती है, छोटे मंत्री भी होते हैं । इसके अतिरिक्त संसदीय सचिव अथवा अनुसचिव भी होते हैं । यह सब संख्या ५० से कम नहीं होती । इसके साथ ही हमारी जनसंख्या ३६ करोड़ है और हमारा क्षेत्र ब्रिटेन से १२ अथवा १५ गुणा बड़ा है ।

†**श्री कामत** : राज्य मंत्रिमंडलों के सम्बन्ध में क्या बात है ?

†**श्री दातार** : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मानीय सदस्य को पता है कि इसका राजस्व लगभग ५०० करोड़ रुपये है । हम केवल पुलिस राज्य ही नहीं हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है और हमारे विभिन्न कार्य-कलापों और मंत्रालयों में काफी विस्तार हुआ है । इस हालत में यह कहना उचित नहीं कि संख्या बहुत अधिक है (**अन्तर्बाधायें**) मैंने शांति से सब को सुना है, इसलिये मैं भी शांति चाहता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति माननीय सदस्यों को अशांत नहीं होना चाहिये। अन्तर्बाधाओं से काम नहीं चल सकता।

†**श्री दातार** : न ही ब्रिटेन और न ही किसी अन्य लोकतंत्रीय देश में कोई ऐसा विधान है जिसमें मंत्रियों की संख्या निश्चित की गयी हो। यह तो काम पर ही निर्भर होता है। और यह अधिकार सभा के नेता अथवा प्रधान मंत्री का है कि वह जितने मंत्री ठीक समझे नियुक्त कर दे। और अन्त में हम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और यदि सभा का यही मत हो कि संख्या बहुत अधिक है तो हम उसके उत्तरदायी हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि बहुत अधिक का तो प्रश्न ही नहीं, अधिक भी नहीं है।

क्योंकि मुझे काम को चलाना पड़ता है इसलिये मेरे लिये इस नाजुक विषय पर बोलना ठीक नहीं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मंत्री प्रति १२ घंटे परिश्रम से काम करते हैं। और माननीय प्रधान मंत्री दिन में १६ घंटे काम करते हैं। यह कहना गलत है कि मंत्रियों की फौज हो गयी है। जबकि मंत्री १२ घंटे रोज और प्रधान मंत्री १६ घंटे रोज काम करते हैं, इसलिये इस स्थिति में, इस बारे में प्रधान मंत्री विरोधी पक्ष के माननीय मित्रों से अधिक यह निर्णय कर सकते हैं। इस कारण मेरे विरोधी मित्रों का संख्या के सम्बन्ध में कहना कोई शोभा की बात नहीं जबकि काम बहुत ही बढ़ता जा रहा है।

जहां तक दौरों का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को पता होना चाहिये कि सरकार के सदस्य के रूप में, संसद् में और अपने कार्यालय में काम करने के अतिरिक्त मंत्रियों को स्थिति का पूरा अध्ययन करने के लिये बाहर भी जाना पड़ता है। क्योंकि जब तक उन्हें स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं होगा विशेषत: ग्रामीण इलाकों की स्थिति का, तो वहां के प्रशासन कार्य को समझना कठिन होगा। इसलिये दौरे आवश्यक हैं, उन्हें न छोड़ा जा सकता है न उनका निरादर किया जा सकता है।

जहां तक सैलूनों का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि आम स्थिति में उसका उपयोग नहीं होता। विशेष हालतों और आवश्यक मामलों में उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब कभी संसद् की बैठक हो रही हो और मंत्री महोदय को सरकारी कार्य के लिये कहीं जाना हो और वहां से शीघ्र ही विरोधी पक्ष के हमारे माननीय मित्रों के विभिन्न आरोपों के उत्तर देने के लिये शीघ्र आना पड़े, तो सैलून का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं इसलिये मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सैलून केवल विशेष और आवश्यक अवसरों पर ही प्रयोग में लाये जाते हैं।

अब मैं खण्डीय परिषदों की ओर आता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे आश्चर्य है कि कई माननीय सदस्यों में गलतफहमी है। यह मामला राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत आता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थिति और काम क्या है। मेरे माननीय मित्र श्री म० शि० गुरुपादस्वामी यह जानना चाहते हैं कि संसद् सदस्यों और विधान मंडलों के सदस्यों के लिये उसमें कोई गुंजाइश होगी। इस प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है यह बिलकुल सरकारी, अन्तर्राज्यीय और अन्तर्सरकारी संस्था है। विभिन्न राज्यों की खण्डीय परिषदों की इकाइयों में वहां के मुख्य मंत्री हैं। दो और मंत्रियों को भी ले लिया गया है। संघ सरकार के गृह-मंत्री सभापति हैं। इसलिये यह छोटी निकाय ही है। और इसके काम भी निश्चित हैं। इसलिये यह समझ लेना चाहिये कि जब भी कभी राज्यों के ऐसे मामले आयेंगे जो कि आपस में बैठ कर हल किये जा सकते हों, तो इस परिषद् का स्वागत होगा। इसलिये मेरा कहना है कि यह अन्तर्राज्यीय सरकारी व्यवस्था है। खण्डीय परिषदें इतने बड़े निकाय नहीं कि उसमें संसद् सदस्य अथवा विधान मंडलों के सदस्य लिये जा सकें। परन्तु उनके राज्यों में प्रतिनिधि, और राज्यों के निर्वाचित मंत्री सम्बद्ध खण्डीय परिषदों के सदस्य हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह भी कहा गया है कि खण्डीय परिषदें शायद कुछ काम न करें। वास्तव में मेरे माननीय मित्र श्री अ० क० गोपालन ने कहा ये परिषदें निरर्थक हैं। मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र के लिये जिनका कि मैं आदर करता हूं खण्डीय परिषदों के काम आरम्भ होने से पहले ही कह देना कि वे निरर्थक हैं, कटु ही कहा जायेगा। हम अगले मास खण्डीय परिषदों की पहली बैठक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसका उद्देश्य तो माननीय सदस्य जानते ही हैं। मैं पीछे की बातों पर जाना नहीं चाहता, परन्तु मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि जब सबसे प्रथम खण्डीय परिषदों का विचार प्रधान मंत्री ने रखा था तो सबने इसका समर्थन किया था, इसीलिये तो इसे कार्यान्वित किया गया था। इससे राज्यों को अवसर मिलेगा कि वे एक स्थान पर एकत्रित हो सामान्य समस्याओं पर विचार कर सकें ताकि वे परस्पर झगड़ों का रूप न धारण कर सकें।

अब इस व्यवस्था को सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिये इसलिये आरम्भ करने से पूर्व ही इसकी असफलता की भविष्यवाणी करना गलत है। मुझे विश्वास है कि हममें काफी सामान्य ज्ञान है। हमारे राष्ट्र का ज्ञान और दृष्टिकोण विशाल है, इसलिये खण्डीय परिषदें संगठन की भावना से कई विवादास्पद प्रश्नों को हल भी कर लेंगी।

अन्तिम बात लक्काद्वीप की है। जहां तक लक्का और मैनिकों द्वीपों का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है कि उनमें काफी रुचि दिखाई गयी है। परन्तु जिस प्रकार मेरे माननीय मित्रों का ध्यान इन द्वीपों की ओर गया है, उस पर मुझे रंज भी है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ये १०-१५ छोटे-छोटे द्वीप हैं। और कुल मिलाकर इन सबका क्षेत्रफल १३ वर्गमील है। इनकी जनसंख्या लगभग २२,००० है। सबसे निकटतम द्वीप पश्चिम घाट से १२० मील है और सबसे दूर का १८० या २०० मील। वे सब फैले हैं। इनमें से कुछ द्वीपसमूह, जैसे द्वीपसमूह पर पहले १८७५ तक कन्नानूर राजाओं का शासन था। इसके पश्चात् ये अंग्रेजों को मिल गये तथा इनकी देखभाल मद्रास सरकार करने लगी थी। जहां तक अमीनद्वीप का सम्बन्ध है यह १७९९ में श्रीन्गापटम की हार के पश्चात् अंग्रेजों के अधीन हो गये थे। यह द्वीपसमूह १-११-१९५६ को केन्द्रीय सरकार को मिले। यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिये। यदि यह बात सपष्ट रूप से समझी गयी तो केन्द्रीय सरकार इन द्वीपसमहों में किये गये कार्यों के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती।

लक्काद्वीप समूह मलाबार के कलेक्टर के नियंत्रण तथा अमीनद्वीप द्वीपसमूह दक्षिण कनारा के कलेक्टर के नियंत्रण में थे। मद्रास सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि संचार आदि की कठिनाइयों के होते हुए भी जितना ध्यान वह इन द्वीपसमूहों की ओर दे सकती थी, उसने दिया। संचार का ममला इतना आसान नहीं है। मैं सभा को यह बतला देना चाहता हूं कि इन द्वीपसमूहों के बारे में मद्रास सरकार ने कई कार्य किये हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इन द्वीपसमूहों को देखा भी नहीं होगा तथा संभवतया उन्होंने जो कुछ कहा है वह अपनी कल्पना से ही कहा है।

भारत संघ के राष्ट्रपति का इन द्वीपसमूहों में जाना सिद्ध करता है कि सरकार इनमें दिलचस्पी लेती है। उस समय मद्रास के राज्यपाल भी कुछ द्वीपों में गये थे तथा उनके प्रतिवेदन हमारे समक्ष हैं। मैं इस सभा को बता देना चाहता हूं कि लगभग प्रत्येक द्वीप में प्राथमिक स्कूल तथा चिकित्सा सुविधायें हैं यद्यपि यह बड़ी सीमित हैं। जब इनका प्रशासन मद्रास सरकार के हाथ में तथा इनके लिये उन्होंने कुछ योजनायें बनाई थीं। उन्होंने कुछ प्रस्ताव तैयार किये थे जो अब हमारे पास हैं।

इनमें से एक १५० वर्ष से तथा दूसरा ७० वर्ष से मद्रास सरकार के प्रशासन के अधीन हैं। यह कहना एकदम गलत है कि मद्रास सरकार ने इन द्वीपों की एकदम उपेक्षा की है। मद्रास सरकार ने, पश्चिमी तट पर कोझीकोडे में बच्चों के छात्रावास को रखने, कुछ प्रारम्भिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित

[श्री दातार]

करने तथा कुछ द्वीपों में रेलवे स्कूलों को खोलने के प्रस्ताव बनाये थे। नारियल रोपणी को बनाये रखा गया जिससे स्थायी रूप से स्थापित हो सके तथा चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने का विचार किया गया। जहां तक मछली पालन का सम्बन्ध है अगले वित्तीय वर्ष में मछली पालन के विकास के लिये आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है।

संचार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। यह एक कठिन मामला है। जब तक मद्रास सरकार प्रभारी रही वह कुछ नौवहन समवायों से बातचीत कर रही थी उनमें से एक समझौता करने को तैयार था परन्तु उस समय १-११-१९५६ को इन द्वीपों का भार भारत सरकार ने ले लिया। समस्या की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि सरकार को बड़ी धनराशि व्यय करनी होगी। सरकार एक मार्ग बनाने को उत्सुक है। जिससे मुख्य भूमि से चलने वाला एक स्टीमर इन द्वीपों में से एक पर रुक सके। जहां तक अन्य द्वीपों का सम्बन्ध है यह स्टीमर बीच समुद्र में रुक जायेगा तथा नावों का प्रयोग किया जायेगा। इस व्यवस्था में प्रतिदिन २,५०० रुपये व्यय होंगे। अच्छे मौसम में अर्थात् वर्ष में ८ मास, अक्तूबर से मई तक जहाज एक मास में ११ दिन इस मार्ग पर चलेगा। प्रश्न यह था कि क्या कुछ नौवहन समवायों से अन्य प्रबन्ध भी किये जा सकते हैं? मामला कुछ कठिन मालूम हुआ। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि, इन द्वीपों के हस्तांतरण से पहले ही केन्द्रीय सरकार ने जून, १९५६ में नौवहन समवायों के प्राधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। दूसरी बैठक भी बुलाई गई तथा कुछ प्रस्ताव किये गये। सरकार भारत तथा इन द्वीपों में सीधी सेवा चालू करने को उत्सुक है। हम जानते हैं कि वहां थोड़े से व्यक्ति हैं परन्तु फिर भी वह भारतीय नागरिक हैं तथा उन सभी सुविधाओं के अधिकारी हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिलती हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने मुझे गलत समझा जब मैंने यह कहा कि भारत तथा इन द्वीपों में समानता नहीं है। कठिनाई यह है कि कई मामलों में वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। इसलिये उनको खण्डीय परिषदों के उपयुक्त बनाने के लिये, यह आवश्यक है कि पहले उनका गंभीरतया विकास किया जाय। इसी कारण भारत सरकार ने इन द्वीपों का प्रशासन अपने हाथ में लिया था। हम अधिक धन व्यय करने को तैयार हैं। कुछ राज्य इन द्वीपों को अपने प्रशासन में रखना चाहते थे जैसे केरल राज्य। परन्तु उन के संसाधन बड़े सीमित थे। तथा उनकी समस्यायें बहुत अधिक थीं। इसलिये इन द्वीपों के विकास के लिये यह ठीक समझा गया कि इनको केन्द्रीय सरकार के अधीन रखा जाये। सरकार, इनको अन्य राज्यों के समान बनाने के लिये कई प्रशासनिक कार्यवाहियां करने जा रही है।

जैसा कि मैंने बताया इन द्वीपों की केवल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार पर ही लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है अपितु भूमि के विकास तथा जनता की सुविधाओं की प्राप्यता, जिससे वह सभ्य जीवन व्यतीत कर सके, पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार को इन द्वीपों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा ध्यान है। वे भारत का अंग हैं तथा सरकार इसका ध्यान रखेगी कि यथाशीघ्र, उनका उतना ही विकास हो जाये जितना मुख्य भूमि पर अन्य राज्यों का हो चुका है। इन प्रारम्भिक कार्यों के पश्चात् वे खण्डीय परिषदों में बड़े लाभदायक सदस्य होंगे। इसीलिये अभी यह आवश्यक नहीं समझा गया कि उनको क्षेत्रीय परिषदों का सदस्य बनाया जाये। इस प्रश्न पर उनके पूर्ण विकास के पश्चात् विचार किया जायेगा तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अल्पकाल में उनका विकास हो जायेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरे १४ अगस्त, १९५६ के पत्र के उत्तर में यह बताया गया था कि डूबे हुए मेलाका जहाज़ के बचे व्यक्तियों आदि का मामला मद्रास सरकार को भेज दिया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उत्तर मिला।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : मैं जांच करूंगा तथा माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उसमें यह भी कहा गया था कि मेलाका जहाज़ के मालिकों से वसूली आदि का मामला भी राज्य सरकार को सौंप दिया गया था । अब उसकी क्या स्थिति है ?

†**श्री दातार** : पहले यह राज्य सरकार को भेजा गया था क्योंकि राज्य सरकार प्रशासन कर रही थी । जब १-११-१९५६ को हमने प्रशासन लिया, हमें पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं थी । इसी कारण-वश कुछ समय पूर्व मद्रास सरकार को जानकारी के लिये मामला भेजा गया था । जैसे ही जानकारी हमें मिलेगी, आवश्यक कार्यवाही की जायेगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : लक्काद्वीप समूह की कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के अभ्यावेदन, कि उनको अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की परामर्शदाता समिति में रखा जाये, का क्या हुआ ?

†**श्री दातार** : मुझे स्थिति की जानकारी नहीं है परन्तु मैं देखूंगा कि वहां कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा आदिम जाति का है ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि मछली पालन के विकास के लिये अगले वर्ष १·७५ लाख रुपये की व्यवस्था की जायेगी । क्या मछली पालन के विशेषज्ञों के दल ने इस स्थान का दौरा किया है तथा यदि हां, तो कब, जिससे वह १·७५ लाख रुपयों के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें ?

†**श्री दातार** : १·७५ लाख रुपये व्यय होने से पूर्व कई मामलों पर विचार किया जायेगा । उदाहरणतः छोटी नावों से मछली पकड़ी जायेंगी ।

†**श्री म० म० शाह** : मेरे मित्र श्री विट्ठल राव ने दिल्ली राज्य में श्रम विवाद के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं । यह ठीक भी है कि सभा को इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानने को उत्सुकता होनी चाहिये परन्तु मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को मामले की पूरी जानकारी नहीं है । यह सच है कि कुछ मामले दिल्ली औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित हैं, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि १९५४-५५ में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ४१ मामले लाये गये तथा ३८ संतोषजनक रूप में निबटा दिये गये । १९५५-५६ में ६३ मामले लाये गये तथा ४० उसमें से निबटा दिये गये । इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामले लम्बित हैं, परन्तु औद्योगिक न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में संतोषजनक रूप में निबटा दिये हैं ।

जैसा कि सभा को ज्ञात है कि संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो संसद् के दोनों सत्रों ने कुछ दिन पूर्व पारित किया था, के अधीन हम दिल्ली राज्य के लिये एक सम्पूर्ण औद्योगिक न्यायाधिकरण बनाने के लिये कार्य कर रहे हैं तथा मैं सभा और माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि अगले दो मास में नया औद्योगिक न्यायाधिकरण बन जायेगा ।

इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में साधारण औद्योगिक विवादों के २६९७ मामलों की रिपोर्ट आदि जिनमें से माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि २,०१४ मामले मजदूरों के पक्ष में समझौता कराकर निवटा दिये गये । इनमें से लगभग ३६० मामले दोनों दलों की आपसी सहमति से निबटा दिये गए तथा केवल १७५ मामले अस्वीकृत किए गए हैं । इस प्रकार लम्बित मामलों में से ९५ प्रतिशत मामले संतोषजनक रूप में निबटा दिये गये हैं । जहां तक श्रम प्रशासन का सम्बन्ध है यह छोटा काम नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री म० म० शाह]

हमको यह भी याद रखना चाहिये कि औद्योगिक न्यायाधिकरण, केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन मामलों को ही नहीं निबटाता है अपितु इसे आवेदनों को भी निबटाना पड़ता है। चालू वर्ष में न्यायाधिकरण ने इन मामलों को निबटाने के अतिरिक्त धारा ३३क के अधीन ४३५ आवेदनों को भी निबटाया है।

इसके पश्चात् माननीय सदस्य ने, जहां तक श्रम का सम्बन्ध है, उसके स्थानीय प्रशासन में कर्मचारियों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में कहा। यह सच है कि बड़े सम्पूर्ण राज्य की तुलना में दिल्ली प्रशासन बहुत छोटा है। इसीलिये इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी थोड़े अथवा अपर्याप्त नहीं हैं। हमारे यहां श्रम तथा उद्योग निदेशक के रूप में एक समझौता पदाधिकारी है। इनके अतिरिक्त एक श्रम पदाधिकारी, एक सह-श्रम पदाधिकारी तीन अथवा चार न्यूनतम मजूरी निरीक्षक, तीन श्रम शिकायत निरीक्षक तथा दस दुकान सह-निरीक्षक भी हैं। प्रशासन, बढ़ते हुए श्रम विवादों के लिये, कर्मचारियों को बढ़ाने का पुनरीक्षण कर रहा है। उसमें भी कहा गया था कि दिल्ली प्रशासन में श्रम कल्याण के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा इस बारे में पर्याप्त कार्य नहीं किये जा रहे हैं।

श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि मजदूरों के, १,३८० मकान बन रहे हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा काफी अधिक उपबन्ध किया है और अगामी कुछ वर्षों में ३,००० औद्योगिक भवन बनने जा रहे हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य और यह सभा उन विभिन्न कार्यों की सराहना करेगी जो हम मजदूरों के कल्याण के लिये करने जा रहे हैं। हमने सात कल्याण केन्द्र खोल दिये हैं और उनमें कार्य हो रहा है। शीघ्र ही एक और खोला जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने मजदूरों के कल्याणार्थ उनके लिये मकान बनाने और कल्याण केन्द्र खोलने तथा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों के एक विस्तृत कार्यक्रम की व्यवस्था की है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सरकार को अपने उन सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण ज्ञान है जिन्हें समाज के समाजवादी ढांचे या कल्याणकारी राज्य में किसी आधुनिक सरकार को करना चाहिये।

माननीय सदस्य ने खास तौर पर पत्थर तोड़ने वालों का जिक्र किया। जैसा कि हम सभी को विदित है, सरकार को निर्माण कार्य करने वाले इस मजदूर वर्ग के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। यदि माननीय सदस्य को पता न हो तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में भी मजदूरों के इस वर्ग को हमने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत रखा है। समिति ने इस वर्ग के मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन १ रुपया १२ आना निश्चित कर दिया है। जब सरकार ने देखा कि यह मजूरी भी अपर्याप्त है तो पत्थर तोड़ने वाले तथा निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के प्रश्न की छानबीन करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि समिति पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जो सिफारिश करेगी उस पर विचार किया जायेगा। इन तथा सरकार द्वारा उठाये गये अन्य विभिन्न कदमों को, जिनका जिक्र मैंने किया है, ध्यान में रख कर माननीय सदस्य सन्तुष्ट होकर अपने कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : पेश किये गये विभिन्न कटौती प्रस्तावों में से दो कटौती प्रस्ताव संगत या उचित नहीं हैं। संख्या ५ कटौती प्रस्ताव श्री गुरुपादस्वामी का है चूंकि उनका कटौती प्रस्ताव व्यय में कमी करने के सम्बन्ध में है और ऐसे कटौती प्रस्ताव में दी गयी राशि, लगभग या यथासंभव, उस राशि के बराबर होनी चाहिये जो कम की जाने वाली हो, अतः मुझ खेद है कि मैं इस त्रुटि के कारण उनके कटौती प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कटौती प्रस्ताव संख्या ३१ श्री तेलकीकर का है परन्तु वह मांग नीति सम्बन्धी है और उन्होंने अपने प्रस्ताव में औरंगाबाद में इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस को रखने का जिक्र भी नहीं किया है, अतः उनका कटौती प्रस्ताव संगत नहीं दिखाई पड़ता। जहां तक अन्य कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है, उन सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ ही रखूंगा जब तक कि कोई माननीय सदस्य यह न कहें कि वह किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को सभा के सामने रखवाना चाहते हैं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब मांगों को सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें—संख्या ५२, ५२क, ५३, ५३क, ५४, ५७क और ६१—मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

[अनुपूरक अनुदानों की मांगों के, जो लोक-सभा द्वारा स्वीकृत हुई थीं, प्रस्तावों को नीचे दिया जाता है—सं०]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
५२	मंत्रिमंडल	४,५६,०००
५२क	खण्डीय परिषदें	२,५५,०००
५३	दिल्ली	३,३४,०९,०००
५३क	हिमाचल प्रदेश	२,४२,००,०००
५४	पुलिस	५४,५६,०००
५७क	लक्काद्वीप, मिनीकॉय और अमीनद्वीप समूह	३,००,०००
६१	राज्यों के साथ सम्बन्ध	२९,३२,०००

मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संचार मंत्रालय सम्बन्धी मांगों अर्थात् मांग संख्या ९ और मांग संख्या ११६ को लेगी। मैं पहले मांग संख्या ११६ को सभा के सामने रखूंगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस कार्य के लिये पैंतालीस मिनट आवण्टित किये गये हैं। इसं वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्य—श्री बसु, श्री कामत, श्री तुलसीदास, श्री वेलायुधन और श्री विट्ठल राव—खड़े हों। कटौती प्रस्ताव संख्या ५३, ५५ और ५६ इनके सम्बन्ध में निर्दिष्ट हुए हैं।

†**श्री कामत** : संख्या १८ भी।

†**अध्यक्ष महोदय** : और १८ भी। जैसा कि मैंने बताया, कुल पैंतालीस मिनट हैं। माननीय मंत्री संभवतः पन्द्रह मिनट लेंगे।

†**विधि-कार्य तथा असैनिक-उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : दस मिनट।

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना—पश्चिम) : यह मांग संख्या ११६ असैनिक-उड्डयन के बारे में है। हमारे पास वर्ष १९५६-५७ के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तुलसीदास]

आय-व्ययक प्राक्कलन का संक्षेप तथा वर्ष १९५६–५७ के लिये एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के आय-व्ययक प्राक्कलन का संक्षेप है। इन प्राक्कलनों से हमें पता लगता है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अगले वर्ष से नये विमान खरीदेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्व वर्तमान विमान सेवाओं को बढ़ाकर ही बढ़ेगा या उन नई सेवाओं के कारण बढ़ेगा जिनके नये विमानों के खरीदे जाने के बाद शुरू की जाने की संभावना है?

जो लोग इन्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा यात्रा करते हैं उनका अनुभव यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद प्राप्त होने वाली सुविधायें कतई सन्तोषजनक नहीं हैं। यहां तक कि विमानों की देखभाल भी जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हो पाती। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता।

हाल ही में मैं कलकत्ता से विमान द्वारा यात्रा कर रहा था और मैंने यह देखा कि विमान ने निर्धारित समय पर प्रस्थान नहीं किया क्योंकि कोई अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति समय रहते हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा था।

†**श्री पाटस्कर** : यह किस तारीख को और कितने बजे हुआ?

†**श्री तुलसीदास** : मेरा ख्याल है कि यह घटना पिछले सोमवार को हुई थी और विमान ने निर्धारित समय के तीस मिनट बाद प्रस्थान किया था। मेरा निवेदन इतना ही है कि यदि इण्डियन एयरलाइन्स का काम दक्षता से चलाना अपेक्षित है तो उन्हें किसी व्यक्ति विशिष्ट की नहीं वरन् सभी यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना चाहिये। मैंने यह भी देखा है कि दस मिनट की देर हो जाने पर अन्य यात्रियों को टिकट तक नहीं दिया जाता। यह बात भी ठीक नहीं।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें एयरलाइन्स के कार्यकरण, नये विमानों की खरीद, नई सेवाओं का श्रीगणेश आदि बातों के बारे में जानकारी दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मांग संख्या ११६ के बारे में निम्नलिखित कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है और इन्हें प्रस्तुत माना जायेगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५३	श्री क० कु० बसु	कुछ बचत करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के रहने के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करने में असफलता	१००
५५	श्री त० ब० विट्ठल राव	तीन बोइंग ७०७ जेट विमानों की खरीद की निष्फलता	१००
५६	श्री त० ब० विट्ठल राव	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हुई हानि	१००
१८	श्री कामत	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की आय और व्यय के बीच लगातार अन्तर रहना	१००

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री क० कु० बसु** : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यालय या कर्मचारियों के निवास स्थान के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । सरकार ने एक टिप्पणी में कहा है कि इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालयों और कर्मचारियों के निवास स्थान हेतु वर्तमान आय-व्ययक में किये गये उपबन्ध में २५·५ लाख रुपये की बचत संभाव्य है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब निवास स्थान और सुविधाओं के लिये इतनी मांग है तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि इतनी राशि बचा ली गई है । इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में रहना पड़ता है और चूंकि हवाई अड्डे शहर से दूर होते हैं इसलिये उन्हें शहर से आने-जाने में अत्यन्त असुविधा होती है । हवाई अड्डे के पास रहने की व्यवस्था बहुत ही कम कर्मचारियों के लिये है । कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विमान रात को देर से आता है और ऐसी अवस्था में कर्मचारियों को शहर से लाने-ले जाने के लिये वाहन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की जाती । निवास स्थान के लिये पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है और सरकार हर बार यह कह देती है कि प्रयत्न किया जा रहा है । असैनिक-उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को, उनके विरोध के बावजूद, उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण जैसे स्थानों में विमान से रसद आदि गिराने के लिये भेजा गया है । ऐसे स्थानों में उनके निवास-स्थान की अस्थायी व्यवस्था तक नहीं की जाती । मेरा इतना ही निवेदन है कि जबकि निवास स्थान के लिये इतनी मांग की जा रही है तो सरकार को चाहिये कि इसके लिये जितनी राशि आवंटित हो उसे वह खर्च करे । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन शिकायतों को दूर करने की ओर ध्यान देंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तीन बोइंग ७०७ जेट विमानों के खरीद के लिये एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के लिये ५२ लाख रुपये मांगे गये हैं । टिप्पण में कहा गया है कि उनका मूल्य ११·५ करोड़ रुपये होगा जबकि इस बात पर टिप्पण अधिक विस्तृत होना चाहिये था । एक दिन वित्त मंत्री ने हमें विदेशी विनिमय की बचत का महत्व बताया था। मेरा निवेदन है कि इन विमानों को खरीदते समय हमें अत्यन्त सावधान रहना चाहिये । वैसे तो इनके खरीदने की क्या आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में विश्व के सब देशों से टेन्डर मंगाये गये थे और किस देश के टेन्डर स्वीकार किये गये ?

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कार्यभार हमने १९५३ में सम्हाला और तब से हमें हानि ही होती जा रही है । सरकार इसे कई प्रकार से सहायता देती है और एक भवन के लिये २६ लाख रुपये का उपबन्ध भी किया गया है । यदि हमें इतनी अधिक हानि हो रही है तो लाखों रुपये इस प्रकार क्यों खर्च किये जायें ?

उक्त कारपोरेशन के कर्मचारियों ने कारपोरेशन के सभापति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे सभापति को उनके साथ विचार-विमर्श करके समझौता करने के लिये कहें ताकि कर्मचारी संतुष्ट रहें और ये सेवायें भी सुचारु रूप से काम करें ।

†**श्री कामत** : मेरे साथियों ने जो बातें कही हैं उनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता किन्तु मैं माननीय मंत्री का, जोकि इस विभाग के बारे में विशेष अनुभव नहीं रखते, ध्यान हाल के वर्षों में इण्डियन एअरलाइन्स की आमदनी और खर्च के बीच के बढ़ते हुए अन्तर की ओर आकर्षित करता हूं । एयरलाइन्स के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के दौरान श्री जगजीवन राम ने, जो उस समय मंत्री थे, यह आश्वासन दिया था कि एयरलाइन्स लोकप्रिय होंगे और किसी भी अवस्था में उनके कारण घाटा न होगा । किन्तु हम देखते हैं कि घाटा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है । सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कामत]

जहां तक मुझे स्मरण है, गत सत्र में किसी सदस्य ने 'हेरान' विमान का प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री ने यह अवश्य कहा था कि उक्त विमान यहां उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको किस प्रकार निबटाया गया और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे ।

मेरा सुझाव यह है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का मुख्य कार्यालय नागपुर में रहे। नागपुर देश के मध्य में स्थित है और उसे हम एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी बना सकते हैं क्योंकि वहां से होकर कई विमान गुजरते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करेगी। यदि प्राक्कलन समिति ने इस बात का परीक्षण नहीं किया है तो मैं आशा करता हूं कि वह परीक्षण करके मेरे इस सुझाव को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने की सिफारिश करेगी।

एक और बात है जिसे कहने में मुझे कुछ संकोच हो रहा है। संसद् के सदस्यों को विमान-यात्रा की रियायत दी गई है और सदस्यों की संख्या सात सौ से अधिक है। जहां तक उनका सम्बन्ध है, यह एक रियायती दर है। सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा रकम दी जायेगी, परन्तु स्वयं सदस्य को अन्य यात्रियों से कहीं कम रकम देनी होगी। यह कहा जा सकता है कि रेलवे यात्रा के सम्बन्ध में भी ऐसी ही रियायत दी गई है, परन्तु हमारे देश में दोनों के स्तर में अन्तर है। निकट भविष्य में वायुसेवा का विकास होगा किन्तु इस समय वह यातायात के इतने दबाव को पूरा नहीं कर सकती। संसद् के परिपत्र में कहा गया है कि संसद् सदस्य संसदीय कार्य के लिये यात्रा करें तो उन्हें यात्रा भत्ते के रूप में विमान किराये की १½ गुना रकम मिलेगी और निजी कार्य के लिये वे रियायती दर से यात्रा कर सकते हैं। मेरे विचार में यह सिद्धांत तब तक न्यायसंगत नहीं है जब तक कि विमान सेवाओं का भलीभांति विकास नहीं हो जाता है और संसद् सदस्यों द्वारा यात्रा करने से अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों, व्यापारियों और अन्य लोगों को असुविधा नहीं होती। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संसद् सदस्यों को निजी कार्य के लिये विमान द्वारा यात्रा करने पर जो रियायत दी जाती है वह वापिस ले ली जाय, क्योंकि वह सर्वथा विभेदपूर्ण है। सरकार को इस रियायत की मंजूरी नहीं देनी चाहिये थी ।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट का ध्यान खास तौर पर दो बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी यहां पर कारपोरेशन को घाटा होने की बातचीत हुई। इसको बने हुए तीन वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी तक उसका घाटा मुनाफे में परिवर्तित नहीं हो पाया है। बल्कि मुनाफा तो दूर रहा, अभी बराबरी भी नहीं हो सकी है। इसका कारण क्या हो सकता है ? अभी पार्लियामेंट में एक सवाल किया गया था कि जितने गवर्नमेंट कारपोरेशन्ज़ हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स (वार्षिक प्रतिवेदन) सदन के सामने पेश की जायेंगी या नहीं। उसका उत्तर यह मिला था कि अभी सरकार इस विषय में विचार कर रही है। जितने भी सरकारी कारोबार हो रहे हैं, अगर उनकी रिपोर्ट सदन के सामने आये, तो हम यह विचार करें कि जो घाटा हो रहा है, वह सही तौर पर हो रहा है, उसका कोई औचित्य है या इस सम्बन्ध में हमारी तरफ से कोई कोताही हो रही है। यहां के एक बड़े कैपिटलिस्ट (पूंजीपति) महोदय, जो कि पहले एयरलाइन्स के मालिक भी रह चुके हैं, ने भी इसका जिक्र किया है। अभी एयरलाइन्ज़ का राष्ट्रीयकरण हुए थोड़ा ही समय हुआ है। जब सरकार ने बड़े-बड़े महाजनों से इन एयरलाइन्ज को लिया था, तो भारी कीमतें देकर पुरानी और टूटी-फूटी मशीनें उनको मिली थीं। हमको पता नहीं कि उनमें से कितनी काम कर रही हैं और कितनों को रीप्लेस (प्रतिस्थापित) करना पड़ा। इन सब बातों के कारण घाटा हो सकता है। इसलिये इस बारे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि सड़ा-गला माल लेकर ये कारपोरेशन शुरू हुई थीं। अब उनमें नई चीजें आ रही हैं। आईन्दा हम उसमें सुधार की आशा कर सकते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलना चाहता हूं कि जहां कहीं लाइन्ज़ खुली हैं, वहां सर्विस रोजाना नहीं होती है। मसलन गोरखपुर में सर्विस दो दिन होती है। हफ्ते में दो बार हवाई जहाज़ दिल्ली से कलकत्ता जाते हुए दो बार कलकत्ता से दिल्ली जाते हुए गोरखपुर में उतरते हैं। परिणाम यह होता है कि कलकत्ता या दिल्ली के तरफ जाने वाला मुसाफिर हवाई जहाज़ का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। वही मुसाफिर हवाई जहाज़ से जाता है जिसका कार्य अति आवश्यकीय हो किन्तु हफ्ते में केवल दो बार जहाज के जाने के कारण वह इन्तजार नहीं कर सकता। अतएव गाड़ी से चला जाता है। हवाई जहाज़ पिछले दिनों बहुत गिरे हैं, इसलिये लोग उन पर सफर करने में घबराते हैं, हालांकि अब तो रेल और हवाई जहाज दोनों बराबर ही हो गये हैं, लेकिन फिर भी लोग रेल को ज्यादा सेफ समझते हैं। गोरखपुर में यह सर्विस इस लिए शुरू की गई थी कि वहां पर रेलवे का हैडक्वार्टर है, वहां पर २७ मिलें हैं, जिन के आदमी अक्सर बाहर जाया करते हैं। हमनें वहां के कई आदमियों से बातचीत की है। उनका कहना है कि कौन दो दिन इन्तजार करे, दो दिन में तो हम कलकत्ता पहुंच ही जायेंगे। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अगर गोरखपुर में रोजाना सर्विस शुरू कर दी जाये, तो बहुत अच्छा हो और वहां के लोगों को ज्यादा सुविधा हो जाये। अगर ऐसा न हो सके, तो कम से कम आल्टरनेट डे (एक दिन छोड़कर) की सर्विस हो जाये, तो भी गनीमत है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस समय पटना से काठमंडू शटल सर्विस चल रही है। मेरा सुझाव यह है कि अगर उसको पटना, काठमंडू, गोरखपुर, लखनऊ कर दिया जाये और जो मेल लाइन सर्विस लखनऊ से गोरखपुर होकर फिर बनारस और कलकत्ता जाती है, वह सीधे जा सकती है, तो उसमें मुसाफिरों को काफी सुविधा हो सकती है और उनकी संख्या भी बढ़ सकती है और रोजाना सर्विस हो सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि ये जहाज़ खाली जाते हैं और यही घाटे का कारण हैं। जहां ३० या ३५ आदमियों की जगह थी वहां मैंने मुश्किल से आठ आदमी बैठे देखे। इन जहाज़ों के खाली जाने का एक कारण यह भी है कि किराया बहुत अधिक है। अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि पार्लियामेंट के सदस्यों को भी इन जहाज़ों में जाने की सुविधा मिल गयी है, पर मेरा ख्याल है कि केवल बिजनेस वाले या कैपीटलिस्ट मेम्बर ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साधारण वर्ग का मेम्बर तो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता कारण कि अब पहले दर्जे के रेल के किराये में और जहाज़ के किराये में अन्तर बहुत ज्यादा हो गया है। उदाहरण के लिये पहले गोरखपुर से दिल्ली तक का रेल का पहले दर्जे का किराया ६२ रुपये था और हवाई जहाज़ का किराया इसका करीब ड्योढ़ा यानी १०२ रुपया था। पर अब रेल का पहले दर्जे का किराया ४० रुपया है और जहाज़ का वही किराया है। इसलिये साधारण वर्ग का सदस्य उससे लाभ नहीं उठा सकता।

एक माननीय सदस्य : क्या जनता जहाज़ चलाये जायें ?

श्री सिंहासन सिंह : आप जनता का नाम लेकर इस बात की हंसी नहीं उड़ा सकते। इसमें सन्देह नहीं कि यह सुविधा जनता की पहुंच के भीतर होनी चाहिये।

तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक आप गोरखपुर को शटल सर्विस का प्रबन्ध न कर सकें तो तब तक रोजाना या कम से कम आल्टरनेट सर्विस का इन्तिजाम करें। उसका उपयोग होगा। अन्यथा जहाज़ खाली जायेंगे।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : १९५६-५७ के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एअर इंडिया इन्टरनेशनल के राजस्व तथा व्यय सम्बन्धी आय-व्ययक प्राक्कलनों के सारांशों में जो आंकड़े दिये गये हैं वे रुचिकर तथा कुछ सन्देह उत्पादक भी हैं। १९५४-५५ तथा १९५६-५७ के लिये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

राजस्व लेखे तथा व्यय सम्बन्धी लेखे को देखने से पता चलता है कि जहां आमदनी में लगभग एक करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, वहां घाटा भी एक करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गया है। इससे इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन की क्रियान्विति का पता चलता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में हमें और ब्योरा बतायें।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल के आंकड़ों में भी हम संचालन खर्च आदि में अत्यन्त वृद्धि देखते हैं। मैं कह नहीं सकता कि खर्च को कम करने और लाभ में वृद्धि के लिये सरकार के प्रस्ताव क्या हैं।

देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में यह आवश्यक है कि ऐसे उपाय किये जायें जिनसे ये दोनों निगमें कम खर्च पर काम कर सकें। अन्यथा इससे यह पता चलता है कि सरकार इन वाणिज्यिक उपक्रमों को, जिस दक्षता से इन्हें चलाना चाहिये था, नहीं चला सकी है।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा––पश्चिम) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर काम करने वाले 'स्टूअर्ड्स' तथा 'एयर होस्टसों' को एक जैसा काम करने पर भी एक जैसा वेतन न मिलने का कारण क्या है? उपस्थापकों को कम वेतन क्यों दिया जाता है?

†**श्री फीरोज़ गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़––पश्चिम व ज़िला रायबरेली––पूर्व) : उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों को कम मिलता है और स्त्रियों को अधिक मिलता है।

†**श्री पाटस्कर** : जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उनसे मुख्य रूप से तीन मुख्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इनमें से पहले का सम्बन्ध इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को होने वाले घाटे से है। अब, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, पहले सात या आठ गैर-सरकारी समवाय थे जो विभिन्न पथों पर सेवायें चलाते थे और सरकार उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देती थी। सरकार ने १ मार्च, १९४९ से उन्हें यह वित्तीय सहायता देना प्रारम्भ किया था। इसकी गणना, सभी आन्तरिक सेवाओं में उपयुक्त पैट्रोल के पक्के प्रति गैलन पर इतने आने की दर से की जाती थी।

१९४९-५२ की अवधि में विमान समवायों को वित्तीय सहायता के रूप में जो रकम दी गई, वह १९४९ में ३३·९१ लाख रुपये, १९५० में ५२·५ लाख रुपये, १९५१ में ५१·६६ लाख रुपये और १९५२ में ३५ लाख रुपये थी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि सरकार द्वारा इनकी वित्तीय सहायता करने पर भी ये ग़ैर-सरकारी समवाय लाभ कमाने की स्थिति में नहीं थे, इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि हमने केवल हाल ही में इन सेवाओं को प्रारम्भ किया है। जब इस प्रकार के किसी नये उपक्रम को शुरू किया जाये तो––जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास अच्छी तरह से जानते होंगे––स्वाभाविक रूप से यह आशा की जा सकती है कि प्रारम्भ में इसमें कुछ घाटा ही होगा।

कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार की कठिनाइयां भी थीं। नि:सन्देह मैं इस मामले की अधिक गहराई में नहीं गया हूं, परन्तु कई प्रकार के गैर-सरकारी समवायों को अपने अधिकार में लेने पर यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि वे स्वयं अपनी समस्यायें उपस्थित करेंगे। उदाहरणार्थ एक निगम द्वारा इन सभी गैर-सरकारी समवायों को अपने अधिकार में लेने के परिणामस्वरूप एक वर्ष की मजूरी बिल में ४० लाख रुपये तक की वृद्धि हो गई है। ये समवाय वेतन की विभिन्न दरें दे रहे थे। मैं माननीय सदस्यों से यह याद रखने के लिये कहूंगा कि गैर-सरकारी समवाय कुछ अनुसहाय्य दे रहे थे और इससे कुछ विभेद हो गया था। वस्तुत: यह निगम उत्पादन राजस्व में ९० लाख रुपये और इससे अधिक रकम देता रहा है; प्रत्येक वर्ष के आंकड़े विभिन्न हो सकते हैं, किन्तु यह राशि लगभग कुछ इतनी ही रही है। सभा इस बात को भी

†मूल अंग्रेजी में।

स्वीकार करेगी कि इस सेवा को वैज्ञानिक ढंगों पर चलाने के लिये निगम द्वारा सर्वोत्तम प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

फिर अवक्षयण के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न पूछा गया था । जहां तक १९५३-५४ का सम्बन्ध है--- यह केवल ८ महीने की अवधि के लिये निर्देश करता है---कुल हानि ७९·४८ लाख रुपये थी, अवक्षयण राशि २७·०७ लाख रुपये थी और अवक्षयण को छोड़ कर हानि की राशि ५२·४१ लाख रुपये होती है । फिर १९५४-५५ के लिये कुल हानि ९०·१५ लाख रुपये है और अवक्षयण राशि ४०·६२ लाख रुपये है । १९५५-५६ में हानि की राशि ११९·४० लाख रुपये तथा अवक्षयण राशि ५९·०१ लाख रुपये है । शेष केवल प्राक्कलित आंकड़े हैं ।

†**श्री तुलसीदास** : अवक्षयण की गणना किस प्रकार की गई थी ?

†**श्री पाटस्कर** : विभिन्न दरों पर उनकी गणना की गई है ।

†**श्री तुलसीदास** : गणना का आधार क्या है ?

†**श्री पाटस्कर** : किसी आधार पर उन्हें भारित किया जाता है, परन्तु विस्तृत रूप से जांच किये बिना मैं सभा को इसे बताना नहीं चाहूंगा । मैंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, किन्तु मैं इसकी पड़ताल करना चाहूंगा फिर बताऊंगा कि इस समय किस आधार पर इसकी गणना की जा रही है। मेरे विचार में कई अन्य समवायों के सम्बन्ध में पहिले जिस प्रकार से लाभ की राशि की गणना की जाती थी उसी आधार पर अब की जा रही है, क्योंकि कुछ विमानों के सम्बन्ध में दर अनुपात एक-सा नहीं है । किन्तु इस बारे में कुछ अधिक छान-बीन किये बिना मैं निश्चित रूप से कुछ उत्तर नहीं देना चाहता । इसलिये यह देखा जायेगा कि वस्तुतः यह एक नई सेवा है; निःसन्देह कई कारणों का इन सभी बातों से सम्बन्ध है, क्योंकि उन्हें बन्धपत्रों तथा उधार ली गई राशियों पर ब्याज भी देना होता है ।

†**श्री तुलसीदास** : उसे पृथक् रूप से प्रस्तुत किया गया है ।

†**श्री पाटस्कर** : जी, हां । माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे कि सेवा के संचालन के लिये--- हम सभी यह देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी हमारा विचार सफल हो---यह देखने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे; निःसन्देह प्रारम्भ में कुछ हानि अवश्य होगी ही ····

†**श्री तुलसीदास** : यह कब तक होती रहेगी ?

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं । यदि आप किसी से पूछें कि कितने वर्ष तक उसे हानि होगी, तो उसके लिये इस बात का उत्तर देना कठिन होगा । निःसन्देह यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे रोका जा सकता है । परन्तु केवल यह कहना ही कोई कसौटी नहीं होगा कि क्या किसी विशिष्ट दिशा में कोई हानि हुई है ।

जहां तक कर्मचारीवर्ग के लिये आवास का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि निगम भी यह अनुभव करते हैं कि उन्हें अपने कर्मचारियों के लिये उपयुक्त आवास का प्रबन्ध करना ही होगा, अन्यथा उनके कार्य पर इसका प्रभाव होता है । जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा लगभग ५०० घर बनाये जा रहे हैं और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने उससे १०० घर बनाने की प्रार्थना की है । यह काम हो रहा है ।

जहां तक कलकत्ता के कर्मचारीवर्ग का सम्बन्ध है, वे इसे और उपयुक्त स्थान प्राप्त करके इस कार्य को करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक दिल्ली और कलकत्ता में कर्मचारियों के लिये मकानों

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

का सम्बन्ध है, निगम अपनी प्राप्य निधियों द्वारा ही इस काम को पूरा करने की बात सोच रही है और वे इसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। वे स्वयं इस बात को समझते हैं कि यदि कर्मचारीवृन्द के लिये मकानों की व्यवस्था न की गई तो इससे कार्यदक्षता में कमी उत्पन्न होगी। यह ऐसा मामला है जिस पर वे ध्यान दे रहे हैं ।

इसके बाद मैं तीन 'बोइंग्सि' विमानों के खरीदने के मामले को लेता हूं। तीन 'बोइंग्सि ७०७ जैट' विमान का प्राक्कलित दाम लगभग ११·५० करोड़ रुपये है और यह इस शर्त के अधीन रहते हुए हैं कि कुल खर्च की ६७ प्रतिशत से अधिक राशि निगम द्वारा विदेशी अभिकरण से उगाही जायेगी। इस शर्त द्वारा विदेशी मुद्रा बचाना इच्छित है। यह इसलिये किया जा रहा है कि जैट इंजिन वाले विमानों का कई अन्य स्थानों पर उपयोग किया जा रहा है और यह विचार है कि हमें अपनी सेवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रखना होगा। यदि हम विज्ञापन भी दें, तब भी १६६० तक हमें वे प्राप्त न हो सकेंगे। मेरे विचार में एयर इंडिया इंटरनेशनल, जो अब क्रियान्वित है, उसकी अच्छी ख्याति है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की तुलना में इसे हानि नहीं हो रही है और वे सोचते हैं कि सबसे अच्छी नीति यह है कि यह प्रयत्न किया जाय कि आज के बाद अर्थात् ५ या ६ वर्ष बाद हम पीछे न रह जायें और हमें भी ऐसे इंजिन मिलें जो अन्य सेवाओं के साथ संस्पर्धा में काम करने के योग्य हों क्योंकि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समवाय भी अपने वैज्ञानिक भन्डार खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे अपने जैट विमान खरीद सकते हैं और भावी दृष्टिकोण से इन प्रस्तावों को रखा गया है। इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अस्थायी करार यह है कि ये 'बोइंग्सि' विमान १६६० में दिये जा सकते हैं । वे और कहीं भी तुरन्त प्राप्य नहीं हैं। इस योजना में केवल वही राशि अपेक्षित है जो स्वयं सार्थ से करार को पूरा करने के लिये आवश्यक है .....

†**श्री कामत** : 'हैरन्स' विमान किस प्रकार से कृत्यकारी हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : प्रतिवेदन के अनुसार वे ठीक प्रकार से कृत्यकारी हैं क्योंकि माननीय सदस्य देखेंगे कि किसी दुर्घटना की कोई चर्चा नहीं है।

†**श्री कामत** : ईश्वर न करे ।

†**श्री पाटस्कर** : ईश्वर की कृपा से अब कोई दुर्घटना नहीं होगी। 'हैरन्स' विमानों में भी उपयुक्त रूपभेद की आवश्यकता है। हमारे पास डैकोटा विमान हैं जिन्हें बहुत पुराना समझा जाता है। उनका निर्माण यहां नहीं होता है। ये सभी मामले ऐसे हैं जिन पर निगम विचार कर रहा है; उन्हें सेवा को बनाये रखना है और हम सभी यह चाहते हैं कि सेवा का विस्तार हो।

जहां तक दामों के अधिक होने का सम्बन्ध है, एक ओर तो हम जानते हैं कि हमें भारी हानि हो रही है और दूसरी ओर हमने किराये में कमी करने का प्रयत्न किया था और यह सुझाव देने के लिये उचित बात न थी ।

†**श्री कामत** : संसद् सदस्यों के विमान यात्रा सम्बन्धी पासों के बारे में क्या तय हुआ ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसे हम बाद में देखेंगे। मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वर्ष १९५७ के लिये अनुपूरक राशि की निम्नलिखित मांगें उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखी गयीं, तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
११६	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२६,५०,०००

उपाध्यक्ष महोदय : वर्ष १९५७ के लिये अनुपूरक राशियों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	२,२८,४५,०००
१३८	उत्पादन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१३,२८,७६,०००

श्री कामत : औचित्य प्रश्न के हेतु, दिन में कम से कम एक बार गणपूर्ति रहनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जाये। अब गणपूर्ति है। सदस्य महोदय अपना भाषण आरम्भ करें।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं—कटौती प्रस्ताव संख्या ६० और ६१। पहला तो हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स फैक्टरी के अंशों को अधिक मूल्य पर खरीदने के, और दूसरा "नैशनल कोल कारपोरेशन" (राष्ट्रीय कोयला निगम) के सम्बन्ध में है। हमने अब यह निर्णय कर लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कोयला खानें देश के स्वामित्व में रहने वाले निगम के अधिकार में ले ली जायें। और, यह भी उसका प्रधान कार्यालय रांची में लाया जाये।

मैं यह तो मानता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकांश कोयला बंगाल-बिहार के कोयले के मैदानों से ही आता है, इसलिये निगम का प्रधान कार्यालय इस प्रदेश के निकट ही रहना चाहिये। लेकिन मुझे पता लगा है कि रांची के प्रधान कार्यालय के लिये छः या आठ लाख रुपयों की एक इमारत खरीदी जायेगी।

रांची इसके लिये उपयुक्त नहीं है। कोयले का मुख्य क्षेत्र सम्भवतः बोकारो के निकट ही विकसित होगा, इसलिये वहीं प्रधान कार्यालय रखा जाना चाहिये। या, फिर इसे धनबाद में रखा जा सकता है, क्योंकि वहां खनन क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा।

हम राष्ट्रीय कोयला निगम को एक स्वायत्त निकाय बना रहे हैं, इसलिये सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि दस-बारह वर्षों से कार्य करने वाले कर्मचारियों को, स्थायी और अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों को विवश न करके, स्वेच्छा से ही निगम के अन्तर्गत कार्य करने का अवसर दिया जाये। मुझे बताया गया है कि कोयला आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों को यह वरणाधिकार नहीं दिया गया है, जबकि कुछ अन्य विभाग यह अधिकार दे रहे हैं।

स्थायी और अर्द्ध स्थायी कर्मचारियों को, यदि वे स्वेच्छा से आते हैं, प्राथमिकता देनी चाहिये।

दूसरा कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स फैक्टरी के अंश बहुत अधिक मूल्य पर खरीदे हैं। इस संगठन की जांच करने वाली सभी समितियों ने यही कहा है कि

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री क० कु० बसु]

इसमें सम्मिलित रहने वाली व्यावसायिक संस्था ओलिकिन्स ने ठेके का अपना भाग पूरा नहीं किया है। कारखाने ने आशा के अनुसार कार्य नहीं किया है। अब भी हम केवल ४०० लेथ मशीनें प्रति वर्ष के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। फिर, हम क्यों उनके अंश अधिक मूल्य पर खरीदते हैं। क्या उस करार के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इस विदेशी व्यावसायिक संस्था विशेष से अनुचित और यहां तक कि ग़लत परामर्श देने के लिये हर्जाना मांग सकें। हमें क्षति-पूर्ति की मांग करनी चाहिये।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
१३८	श्री क० कु० बसु	हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स के अंशों को अधिक मूल्य पर खरीदना	१००
१३८	श्री क० कु० बसु	प्रधान कार्यालय की स्थिति और साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति तथा निबन्धन और शर्तें	१००
१३८	श्री वें० प० नायर	केरल राज्य के वारकलाई के लिगनाइट का उपयोग करने के लिये परियोजना आरम्भ करने में सरकार की असफलता	१००
१३८	श्री वें० प० नायर	हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स लिमिटेड के ठेके देने और वास्तु-शास्त्रियों का चुनाव करने में पक्षपात और भाई-भतीजावाद	१००
१३८	श्री वें० प० नायर	नेवेली में मजदूरों की दुर्दशा	१००

†**श्री वें० प० नायर** : मैं हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स की संस्था में दो बार गया हूं।

१९५३ में, मैंने वहां देखा था कि जो ८० या ९० तथाकथित स्विस विशेषज्ञ वहां काम करते थे, उनमें से किसी के पास भी इंजीनियरिंग की कोई उपाधि (डिग्री) नहीं थी। उन तथाकथित विशेषज्ञों के कार्य का ही परिणाम है कि जहां एक-दो वर्षों के बाद उस व्यावसायिक संस्था को ३ करोड़ रुपयों के कुल अंशदान में से ३० लाख रुपये अदा करने योग्य होना चाहिये था, वहां वह केवल १० लाख रुपये भी नहीं दे सकी है।

यह संस्था आरम्भ से ही उचित रूप में नहीं चलाई गई है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि ओलिकिन्स व्यापारिक संस्था ने, जो इसके ठेके में शामिल है, ऐसी छोटी-छोटी मशीनों का भी आयात किया है जिन्हें अपने ही देश में तैयार किया जा सकता था।

यह कारखाना देश के भावी उद्योगों की बड़ी ही महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिये उत्पादन करेगा, इसलिये इसके प्रबन्ध की जांच पड़ताल करने के लिये एक समिति की स्थापना करना अत्यावश्यक है।

कुछ वर्ष पहले इस कारखाने के कर्मचारियों की आवश्यकता के लिये फोर्ड को दो स्टाफ-कारों का आर्डर दिल्ली की एक व्यावसायिक संस्था को दिया गया था, जब कि उस कारखाने से एक ही मील की

†मूल अंग्रेजी में ।

दूरी पर फोर्ड का अधिकृत विक्रेता रहता था। मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्रयादेश देने वाले व्यक्ति का एक बहुत निकट का सम्बन्धी दिल्ली की एक कम्पनी में काम करता था।

इसी प्रकार के पक्षपात का एक उदाहरण और भी लीजिये। इस कारखाने में मज़दूरों और अधिकारियों के क्वार्टरों के निर्माण का ठेका दिल्ली की एक ऐसी व्यावसायिक संस्था के वास्तुशास्त्रियों को दिया गया था, जिसका एक प्रबन्ध सहभागी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के महानिदेशक का पुत्र था। ऐसी चीज़ों से तो जनता का सरकारी प्रबन्ध पर से विश्वास उठ जायेगा। इस भाई-भतीजेवाद के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को निजी तौर पर कुछ नाम भी बता सकता हूं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जाना चाहिये। इसकी जांच के लिये एक क्षमताशील समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

नेवेली परियोजना के कार्य की परिस्थिति के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री को लिख कर भेजूंगा। उसके लिये, मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपय)
१३८	श्री त० ब० विट्ठल राव	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का कार्य संचालन	१००
१३८	श्री त० ब० विट्ठल राव	छंटनी किये गये कार्यकर्त्ताओं की पुर्नियुक्ति	१००
१३८	श्री त० ब० विट्ठल राव	नेशनल कोल डेवेलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	१००

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कोयला उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। अभी तक इसका प्रबन्ध विभागीय तौर पर किया जाता रहा है। अब सरकार उसके लिये एक निजी परिसीमित समवाय गठित करना आवश्यक समझती है। राज्य की ओर से प्रबन्धित कोयला खदानों में हमें प्रति वर्ष हानि ही होती रही है। लेकिन, यह हानि क्यों होती है ?

इसका पहला कारण तो यह है कि राज्य कोयला खदानों का कार्य शुरू से ही योजना हीन ढंग से चला है। इसी से, इनका, और विशेषकर गिरिडीह स्थिति राज्य कोयला खदान का, कोयला निकालने का व्यय और उसका विनियोजन भी बहुत अधिक हो गया है। मेरा विचार तो यह है कि कोयला उत्पादन सम्बन्धी द्वितीय योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में ३० लाख टन से १५० लाख टन उत्पादन करने के लिये, हमें उसका प्रबन्ध एक निगम द्वारा ही करना चाहिये। चूंकि यह एक आधारभूत उद्योग है और इसे निजी क्षेत्र के लिये एक उदाहरण पेश करना है, इसलिये इस सभा द्वारा अधिनियमित एक संविहित निगम द्वारा ही इसका कार्य-संचालन करना चाहिये।

निदेशक बोर्ड की नियुक्ति की जा चुकी है। बोर्ड में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, वे राज्य कोयला खदानों में उच्चाधिकारी थे। ये वही अधिकारी हैं जो गिरिडीह की कोयला खदानों को बन्द करने के पक्ष में थे। बाद में, विशेषज्ञों की समिति ने राय दी है कि इन कोयला खदानों को लाभपूर्वक चलाया जा सकता है। अब उन्हीं अधिकारियों को आयुक्त के कार्यालय में तीन वर्षों के लिये उच्च पदों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

पर रख दिया गया है। पता नहीं किस प्रकार चुनकर, एक मज़दूरों का प्रतिनिधि भी उसमें रखा गया है। पर इस प्रतिनिधि को मज़दूर जानते भी नहीं हैं।

हमारा उत्पादन मंत्रालय कोयला उद्योग को संतोषप्रद रूप में नहीं चला पाया है। माननीय मंत्री ने इस चालू सत्र में ऐसी कोयला खदानों को सरकारी अधिकार में लेने के लिये एक विधेयक लाने का वचन दिया था जिन पर काम नहीं चल रहा है, लेकिन अब सत्र समाप्त होने को ही है पर वह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया गया है।

कोयला खदानों को मिलाने के प्रश्न की जांच पड़ताल के लिये नियुक्त की गई समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनका अन्तिम रूप से परीक्षण ही नहीं किया है। जो भी कोयला खदानें घाटे में चलती हैं, उनको मिलाया जा सकता है और इसके द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि भी की जा सकती है। सरकार उस प्रतिवेदन को कब तक प्रकाशित करेगी ?

नेवेली परियोजना के लिये भी एक निजी परिसीमित समवाय बना दिया गया है। द्वितीय योजना में, हम इस पर ५८ करोड़ रुपये व्यय करेंगे। कहा गया है कि इससे ३० लाख टन लिगनाइट मिल सकेगा। पता नहीं कितने वर्षों में।

लिगनाइट को कोयले की भांति खुले माल डिब्बों में नहीं ले जाया जा सकेगा, उसे बन्द डिब्बों या विशेष प्रकार के माल डिब्बों में ले जाना पड़ेगा। क्या सरकार ने इसके परिवहन के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय से परामर्श किया है ? इससे लिगनाइट निकलना आरम्भ होने के लिये अभी चार वर्ष और हैं, और १६५३ में कार्य आरम्भ किया गया था। इसमें इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे विचार से माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है। नेवेली के कार्य को कभी भी खुले रूप में की जाने वाली खुदाई द्वारा करने का कोई भी मंशा नहीं रहा है। शुरू से ही, हम यह नहीं सोच रहे थे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री को इसकी जांच के लिये कम से कम तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिये, लेकिन इस समिति के सदस्य कोयला बोर्ड या उत्पादन आयुक्त के कार्यालय से न चुने जायें। उन विशेषज्ञों के प्रतिवेदन से ही जनता को इसके सम्बन्ध में संतोष हो सकेगा।

हम यह जानना चाहते हैं कि क्या दो और खाद बनाने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और यह भी कि उनकी स्थिति कहां होगी ?

अन्त में, मेरा अनुरोध है कि उत्पादन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें वैसी ही रखी जायें। किसी भी कर्मचारी की तनख़ा कटने न पाये। नेवेली परियोजना कर्मचारियों को हाल में न्यायाधिकरण द्वारा जो पंचाट मिला है, उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये। नई भर्ती के समय, छंटनी किये गये २३२ मज़दूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

†**श्री तुलसीदास** : मांग संख्या १३८ सम्बन्धी टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (गैर-सरकारी) लिमिटेड" कम्पनी और स्विस सार्थ में मतभेद उत्पन्न हो गया था। सार्थ का यह कहना था कि वह आय-कर से मुक्त कुछ आय प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सरकार ने फिर भी उसी सार्थ से एक नया करार कर लिया जिसके अनुसार उस सार्थ को आय-कर से मुक्त १२½ लाख रुपये की राशि दी जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस सार्थ ने जब

†मूल अंग्रेजी में।

पहले हमारा करार ठुकरा दिया था तो फिर से उसी के साथ नया करार करने की क्या आवश्यकता थी ? संसार में अन्य बहुत से सार्थ हैं, और वे सहयोग देने के लिये तैयार हैं ।

और फिर आवश्यकताओं का प्राक्कलन तो ४५ लाख रुपये का दिया गया है जब कि उनके पूरे ब्योरे यहां पर नहीं दिये गये हैं । यहां पर तो केवल यही लिखा हुआ है कि सार्थ को अभी तक कुल ४२·५ लाख रुपये दिये गये हैं । शेष २·५ लाख रुपये की राशि किस लिये मांगी गयी है—यह नहीं बताया गया है । इसमें एक और त्रुटि भी है और वह यह कि पश्चिम जर्मनी में मशीनों के संभरित करने के लिये उस सार्थ को २,४१,००,००० रुपये पेशगी दिये गये हैं, परन्तु उनका ब्याज केवल ४·५ से ५ प्रतिशत तक होगा जबकि पश्चिम जर्मनी में इस समय न्यूनतम ७ प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जब भी कोई अग्रिम धन दिया जाय, उस ब्याज को उतना निर्धारित करना चाहिये जितना कि उस देश में दिया जाता है ।

हमें पता लगा है कि कई सार्थों से करार किये गये हैं, परन्तु हमें उनके ब्योरों का कुछ भी ज्ञान नहीं है हमें उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है । हम चाहते हैं कि हमें उनके सम्बन्ध में सविस्तार जानकारी दी जाये । उन्हें यद्यपि समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध किया गया है तो भी उनके समस्त ब्योरे सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें । इससे पहले तो वे ब्योरे आय-व्ययक के प्राक्कलनों में दिखाये जाते थे, परन्तु अब कोई ब्योरे नहीं बताये जाते । मैं चाहता हूं कि "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स समवाय" और "नेवेली लिगनाइट निगम" द्वारा अन्य सार्थों से किये गये करारों के ब्योरे हमें बताये जायें ।

जहां तक मांग संख्या ८९ का सम्बन्ध है हम भी यह चाहते हैं कि अम्बर चरखा कार्यक्रम को शीघ्र से शीघ्र सफल बनाया जाये और उसे प्रोत्साहन दिया जाये । परन्तु यहां पर उत्पादन के लिये आवर्ती ऋण के रूप में ५० लाख रुपये और अम्बर चर्खा सम्बन्धी अन्तरिम कार्यक्रम के लिये ६९·३२ लाख रुपये की दो राशियां मांगी गई हैं उनके सम्बन्ध में ब्योरे नहीं दिये गये हैं । मैं चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में ब्योरे दिये जायें ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मांग संख्या ८९ के सम्बन्ध में श्री तुलसीदास ने जो कुछ कहा है, उसका समर्थन करते हुए मेरा भी यही निवेदन है कि अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में पूरे-पूरे ब्योरे दिये जायें । एक जगह तो यह लिखा हुआ है कि ५०'सरजांम' अर्थात निर्माणकर्ता कार्यालय खोलने में ८,९०,००० रुपये और १०० परिश्रमालय अर्थात प्रशिक्षण युक्त उत्पादन कार्यालय खोलने में १२,७५,००० रुपये खर्च किये जायेंगे । परन्तु हम चाहते हैं कि हमें सविस्तार बताया जाये कि इन राशियों को कैसे खर्च किया जायेगा । अम्बर चरखे के विकास के सम्बन्ध में सरकार सोच समझ कर ही कोई नीति बनाये, क्योंकि इसकी उपयोगिता के बारे में देश में पहले ही बड़ा विवाद चलता रहा है । इसलिये हम चाहते हैं कि इसके पूरे-पूरे ब्योरे हमें बताये जायें ।

इसके अतिरिक्त एक और जगह यह लिखा हुआ है कि अम्बर चरखों की मुरम्मत के लिये एक वर्कशाप खोली जायेगी जिस पर ४६,००० रुपया खर्च आयेगा । मैं पूछता हूं कि अम्बर चरखे में ऐसी कौन सी प्रविधिक बात है कि उसके लिये एक वर्कशाप खोली जा रही है । एक साधारण बुद्धि का बढ़ई इस चरखे की मरम्मत कर सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सा फाल्तू खर्च किया जा रहा है । इसलिये सरकार को इस दिशा में सोच समझ कर कदम रखना चाहिये ।

हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में हमें बताया गया है कि बढ़िया किस्म के अम्बर चरखे के तैयार करने के लिये अनवेषण के प्रयोजन से एक लाख रुपये के पारितोषक की घोषणा की गई है । इस अवस्था में पहली प्रकार के चरखे के प्रचार के लिये इतना खर्च क्यों किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

पृष्ठ १२० पर जो ६९,३२,००० रुपयों का उल्लेख है, उसके पूरे-पूरे ब्योरे मैं जानना चाहता हूं, ताकि पता लग सके कि उस राशि का पूरा उपयोग किया गया है ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज सभा में जो बातें कही हैं, उनमें से बहुत सी बातें पहले कई बार कही जा चुकी हैं । बहुत सी बातें तो बिल्कुल वही हैं जो कि पिछले आय-व्ययक सत्र से ले कर कही जाती रही हैं ।

इस सभा में कोयला निगम के मुख्यालय के स्थापना-स्थान के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये हैं । उसके बारे में कई बार उत्तर दिया जा चुका है । श्री क० कु० बसु कोयला उत्पादन तथा विकास आयोग के मुख्यालय के लिये रांची को उपयुक्त स्थान नहीं समझते । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें देश में दूर-दूर तक फैली हुई हैं । वर्तमान खानें तो बोकारो में हैं या धनबाद के निकट हैं और बहुत सी नयी खानें मध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर खोली जानी हैं । इन सभी खानों के लिये रांची को ही एक केन्द्रीय स्थान समझा गया था । बोकारो और धनबाद भी रांची से बहुत दूर नहीं हैं । पूर्वी कमान के मुख्यालय के रांची से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित हो जाने से अब वहां पर स्थान की कमी नहीं है । रांची कोई बहुत बड़ा नगर भी नहीं है । यहां पर रांची को सम्भवत: एक बड़ा नगर बताया गया है एक माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से रांची को स्थानान्तरित करना ठीक नहीं है, क्योंकि रांची एक बड़ा नगर है और वहां अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं । ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं । सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही रांची को मुख्यालय के लिये उपयुक्त समझा गया है । वहां पर पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये निवास स्थानों की भी कमी नहीं है । अब जिस अच्छी प्रकार से मुख्यालय स्थापित हो चुका है और पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को निवास स्थान भी उपबन्ध हो चुके हैं, अत: मैं समझता हूं कि वह स्थान उत्तम स्थान के रूप में सिद्ध हुआ है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

दो एक सदस्यों ने इस बात की ओर निर्देश किया है कि मैस्सर्ज "ओयर लिकन्स" के जोकि बंगलौर में "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड" में हमारे प्रविधिक परामर्शक हैं, के अंश खरीद लिये जायें । परन्तु जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इसमें कुछ भ्रांति सी प्रतीत होती है । इस बारे में मैं केवल यही कहूंगा कि यहां पर जो ४५ लाख रुपये दिखाये गये हैं, उनमें से "ओयर लिकन्स" द्वारा "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" के एक अंशधारी के रूप में ३० लाख रुपये नगद दिये गये थे । वे स्विस फ्रैंकस मुद्रा में थे और उन्हें स्विस फ्रैंकस में ही वापिस करने होंगे । वह रुपये सामान्य निधि में जमा कर दिये गये थे, परन्तु भारत सरकार को अदा कर दिये गये हैं । 'ओयर लिकन्स' द्वारा ३० लाख रुपये स्विस फ्रैंकस मुद्रा में लिये गये थे, और उन्हें अदा किये जा रहे हैं । वह धन उन्होंने नगद सहभागिता के अंश दान के रूप में दिया था शेष १५ लाख रुपये बाद में मांग करने पर दिये जायेंगे ।

जब इस मामले के सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ हुई थी, उस समय यह राशि अपेक्षाकृत बहुत अधिक होनी चाहिये थी । मूल करार के अनुसार, उन्हें प्रविधिक सेवा करने के लिये पांच प्रतिशत अंशों की अनुमति दी गयी थी । उनके द्वारा की गयी प्रविधिक सेवा के बदले उन्हें कोई भी नगद रुपया नहीं दिया गया है और क्योंकि अब "हिन्दुस्तान मशीन टूल" फैक्टरी की अंश पूंजी ४ करोड़ रुपया है, उन्हें हिन्दुस्तान फैक्टरी के अंशों के आवंटन में २० लाख रुपया मिलना चाहिये था । बातचीत के परिणामस्वरूप हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उन्हें २० लाख के स्थान पर १२½ लाख रुपये दिये जायें । यह राशि उन्हें फैक्टरी स्थापित करने और फैक्टरी के चलाने में हमारी सहायता करने और हमें प्रविधिक सहायता

†मूल अंग्रेजी में ।

देने के बदले में दी गई है, और यह राशि उनके भारत में आने के समय से लेकर आज तक के लिये है ।

†**श्री वे० प० नायर** : क्या "ओयर लिकन्स" सार्थ ने कहीं अपनी फैक्टरी भी स्थापित कर रखी है या नहीं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जहां तक मुझे ज्ञात है यह सार्थ यूरोप में एक सर्व प्रसिद्ध यंत्र निर्माता सार्थ हैं । यदि माननीय सदस्य को कभी स्विटज़रलैण्ड जाने का अवसर प्राप्त हो तो वे देखेंगे कि वहां पर उनके कई कारखाने चल रहे हैं ।

उन्होंने भारत में जैसा काम किया है, मैं समझता हूं कि वह सर्वोत्कृष्ट है । उन्होंने यहां पर जिस कारखाने की योजना बनाई है वह सुन्दरतम है । मैं समझता हूं कि उनके परामर्श भविष्य में देश के लिये पर्याप्त लाभकारी सिद्ध हो सकेंगे । तो इस प्रकार से ४२½ लाख रुपये का तो यह लेखा है ।

उन्हें प्रथम पांच वर्षों में यहां किये गये कार्य के लिये ५ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से जो राशि देनी है, उसमें से लगभग २½ लाख रुपये देने हैं । कुछ दिये जा चुके हैं और शेष अभी दिये जाने हैं । यह राशि बिल्कुल पूरी नहीं है, यह राशि अनुमानतः है, जो कि ब्याज के रूप में उन्हें दी जानी है । मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्हें दिया गया ब्याज आय-कर से मुक्त नहीं है । केवल वही राशि आय-कर से मुक्त है जो कि उनकी सेवाओं के बदले अंश राशि के रूप में उनके नाम राशि जमा हो गई थी, और अब वह पूंजी वापिस की जा रही है । परन्तु उस देश में उन्हें जो ब्याज या लाभ प्राप्त होता है, उस पर आय-कर लगता है । पहले भी जब भी उन्हें कोई राशि दी गई है, उसमें से आय-कर काट लिया गया है, और भविष्य में भी जब भी उन्हें कोई राशि दी जायेगी, उसमें से आय-कर काट लिया जायेगा । तो इस प्रकार से कुल ४५ लाख रुपये का यह हिसाब है ।

एक माननीय सदस्य ने "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" फैक्टरी में वास्तुशास्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पूछा है । यह प्रश्न तो कई बार पूछे जा चुके हैं और उनका कई बार उत्तर दिया जा चुका है । यदि माननीय सदस्य आय-व्ययक सम्बन्धी सभा के वाद विवादों को पढ़ें, तो मालूम हो जायेगा कि इस पर चर्चा हुई थी और इसका उत्तर दिया गया था ।

मामला वास्तव में यह है कि "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" कम्पनी अपने कार्यालय तथा कुछेक इमारतों के निर्माण के लिये एक वास्तुशास्त्री चाहती थी । उसे मालूम हुआ कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवषणा परिषद् के कुछ अच्छे वास्तुशास्त्री हैं । उसने परिषद् से पूछा कि क्या वह कार्यालयों और रिहाइशी मकानों के नकशे बनाने के लिये अपने वास्तुशास्त्रियों की सेवायें दे सकेगी ।

†**श्री वे० प० नायर** : उसने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से परामर्श नहीं किया ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : एक कम्पनी के मामले में उस मंत्रालय से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है । उसन वज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् को लिखा था और परिषद् ने इस काम के लिये अपने वास्तुशास्त्री भेज । वास्तुशास्त्रियों की उस कम्पनी म एक भागीदार था, जो प्रबन्ध संचालक का लड़का था ।

†**श्री वे० प० नायर** : यही आशा थी ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : परिषद् के वास्तुशास्त्रियों ने देश भर में कुछ प्रयोगशालाय और इमारतें बनाई थीं । उन से कहा गया था कि वह एक कारखाने का नकशा तैयार करें, जिस पर केवल ५–६ लाख पये लागत आयेगी । उन्होंने यह काम किया था और इसके लिये उस फर्म को परिषद् के द्वारा ३०,०००

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सतीशचन्द्र]

रुपये दिये गये । मैं अपने माननीय मित्र श्री नायर को बताना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्रियों की इस फ़र्म को जितनी फीस दी गई है, वह उस फीस से बहुत कम है जो सरकारी औद्योगिक उपक्रमों या सरकार द्वारा अन्य वास्तुशास्त्रियों को दी जाती है । इस फीस का कुछ अंश परिषद् ने रख लिया था, क्योंकि ये वास्तुशास्त्री परिषद् का काम करते थे । केवल थोड़ा सा अंश फर्म को मिला है ।

मेरे माननीय मित्र ने कुछ मोटर कारों की खरीद का प्रश्न भी उठाया है । मेरी जानकारी के अनुसार बंगलौर के व्यापारी ने दिल्ली के व्यापारी की अपेक्षा बहुत अधिक दाम बताये थे । इन तथ्यों की पड़ताल माननीय सदस्य कर सकते हैं । इन छोटी-छोटी बातों के लिए सदन का समय लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य अब भी संतुष्ट न हों, तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि बंगलौर की फर्म ने और दिल्ली की फर्म ने कितना मूल्य बताया था । बंगलौर की अपेक्षा दिल्ली में कार सस्ती खरीदी जा सकती थी ।

†**श्री वे० प० नायर** : क्या एक सरकारी आदेश लागू नहीं है कि सरकार और सरकारी कम्पनियों की आवश्यकतायें भारत में तैयार की गई कारों जैसे हिन्दुस्तान आदि से पूरी की जाये ? यह कार आयात की हुई थी ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : यह एक नई बात है, किन्तु मैं इसका उत्तर भी दे सकता हूं । संभवतः कोई और कार उपलब्ध नहीं थी या यह कार सस्ती पाई गई थी । ये छोटी-छोटी बातें हैं । यह कार देश में उपलब्ध थी और संभवतः कोई और कार लेने में कठिनाई पेश आती । मैं तथ्य नहीं जानता, किन्तु मुझे जितना मालूम है, इस से पता चलता है कि बंगलौर की अपेक्षा दिल्ली में कार सस्ती मिल सकती थी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के कार्यकरण के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं । कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां थीं । सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण इस देश के लिये बिल्कुल नई बात है । विलम्ब तो अवश्य हुआ है किन्तु अब प्रति वर्ष ४०० खरादें बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की आशा है । वास्तव में सरकार अब इस लक्ष्य को बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है । यह कहना उचित न होगा कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० सर्वथा असफल रही है या यह देश पर भार है । कुछ स्विस इंजीनियर इसमें अवश्य हैं, किन्तु ज्यों-ज्यों अधिक भारतीय प्रशिक्षित होते जायेंगे, इनकी संख्या प्रबन्धकों द्वारा क्रमशः कम कर दी जायेगी यहां तक कि सभी पदों पर भारतीय ही रह जायेंगे ।

श्री विट्ठल राव ने गिरिडीह कोयला खान के बारे में कुछ कहा था पिछले कुछ मासों में इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में लगभग छः बार उठाया गया है । इन खानों में होने वाली हानि से मेरे मित्र को बहुत चिन्ता हुई है । जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं, इन खानों को ८५ वर्षों से चलाया जा रहा है, कोई भी साधारण वाणिज्यिक समवाय इन्हें बन्द कर देता और कोयला न निकालता । परन्तु चूंकि यह सरकारी खान है और इसमें कोयला अच्छी किस्म का है । सरकार घाटे के बावजूद भी इसे चलाती रही है । यदि सरकार इन्हें बन्द कर दे, तो यह आपत्ति उठायी जायेगी कि ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि हमारे पास धातुधार्मिक कोयले की कमी है और हम अच्छी किस्म के कोयले से वंचित हो जायेंगे । सरकार ने इस बात की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी कि हानि को कैसे कम किया जाये और कोयले को आसानी से कैसे निकाला जाये ताकि संचय बाद में राष्ट्र के काम में लाया जा सके । मैं यह आशा नहीं दिला सकता कि ये खानें लाभ पर चलाई जा सकती हैं, इनमें घाटा होना अनिवार्य है । देखना यह है कि हानि कम हो सकती है या नहीं और यह मालूम हुआ है कि यदि हम प्रत्येक औंस कोयला निकालने पर आग्रह न करें तो हानि कम की जा सकती है । अब यह तय करने का प्रश्न है कि कितनी हानि इन परिस्थितियों में अनुकूलतम होगी इन तथ्यों के आधार पर कुछ निदेश दिये गये हैं अथवा दिये जा

†मूल अंग्रेजी में ।

रहे हैं जिससे नुकसान कम हो और जितना कोयला सरलता से निकाला जा सकता है, निकाल लिया जाये ।

यह पूछा गया है कि लिगनाइट को खदान से बाहर निकालने में क्या प्रगति हुई और कब ३५ लाख टन लिगनाइट सालाना निकाला जायेगा एक माननीय मित्र ने कहा है कि यह १८ माह में संभव हो सकता है । परन्तु उन व्यक्तियों ने जो उसके बारे में जानते हैं, यह तय किया है कि ३५ लाख टन सालाना उत्पादन मई १९६० तक संभव हो सकेगा । मैं हाल ही में पश्चिम जर्मनी गया था और वहां की सबसे बड़ी लिगनाइट खान देखी थी और मैंने वहां के उच्च कार्य-पालकों से चर्चा भी की थी। मुझे बताया गया कि हमने जो समय-सीमा निर्धारित की है वह बहुत ही आशामय है और यदि हम उसके भीतर अन्तिम लक्ष्य पूरा कर सके तो वह एक महान सफलता होगी । यदि श्री विट्ठल राव यह सोचते हैं कि १८ माह का समय १५० फीट गहरी ऊपरी जमीन को हटा कर लिगनाइट तल तक पहुंचने और खुदाई आरम्भ करने के लिये उस स्थिति में भी पर्याप्त है जब हमें बाहर से करोड़ों रुपये की यंत्र सामग्री तैयार करवा के मंगानी है, तो मैं यही कह सकता हूं कि वह अति आशावान हैं । मेरे लिये यह कहना अनुचित होगा कि इस मामले को उतनी जल्दी शुरू किया जा सकता है जितनी जल्दी वे चाहते हैं ।

मई १९६० भी ज्यादा दूर नहीं है । आज से केवल ४½ वर्ष ही हैं और इस अवधि में हमें अन्तिम लक्ष्य पूरा करना है । लगभग उसी समय २००,००० किलोवाट का एक विद्युत केन्द्र भी तैयार हो जायेगा अतएव ज्यों ही लिगनाइट की खुदाई पूरी हो जाती है, त्यों ही वह विद्युत केन्द्र काम करने लगेगा ।

सभा को मालूम है कि उर्वरक कारखाने में उर्वरक के लिये ७०,००० टन नाइट्रोजन पदार्थ बनाने की योजना बनाई गई है—उत्पादन इससे अधिक भी हो सकता है और वह बनाये जाने वाले उर्वरकों के प्रकार पर निर्भर है । खैर उर्वरक कारखाना, तथा कोयले के चूरे को ईंट आकार देने वाले और कारबन बनाने वाले संयन्त्र भी कुछ महीने बाद ही तैयार होंगे । कोयले के चूरे को ईंट का आकार देने वाला कारबन बनाने वाला संयन्त्र १९६० के अन्त तक अथवा १९६१ के प्रारम्भ में तैयार हो जायेगा और यह परियोजना का अन्तिम भाग होगा । परियोजना में पहिले खदान, फिर जल विद्युत केन्द्र, इसके बाद उर्वरक कारखाना और सबसे बाद में कोयले के चूरे को ईंट का आकार देने वाला संयन्त्र और कारबन बनाने वाला संयन्त्र आता है । इस बीच प्रविधिक सहयोग प्रशासन के अधीन एक अग्रिम संयन्त्र प्राप्त किया जा रहा है जो व्यवहारिक प्रयोग करने के लिये नीवेली में स्थापित किया जायेगा ताकि इस बात का फैसला किया जाये कि कोयले के चूरे की किस प्रकार की ईंटें बनाई जायें और लिगनाइट से कारबन बनाने के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाये ।

इस अवस्था को पहुंचने के पहिले परिवहन की समस्या पर पूर्णरूप से विचार किया जायेगा । परन्तु अभी बहुत समय है और यह बहुत भयंकर समस्या न होगी क्योंकि ७ लाख टन लिगनाइट में से जिसकी ईंटें बनाई जानी हैं केवल आधी मात्रा में ही कारबन युक्त ईंटें प्राप्त हो सकेंगी और उन्हीं का घरेल अथवा औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग हो सकेगा ।

सभा में नीवेली स्थित श्रमिकों की हालत का उल्लेख किया गया है वहां के मजदूरों को वे ही उपलब्धियां मिल रही हैं, जो मद्रास सरकार उन्हें १९५४ या १९५५ में दे रही थी और इसी समय हमने उसे अपने हाथ में लिया था । हाल ही में लिगनाइट निगम बना दिया गया है; अभी उसके कार्य का विकास होना है । वास्तव में अभी वहां छटनी हो रही है क्योंकि जांच पूरी हो गयी है । खदान खोदने के यंत्र आदि आनेवाले हैं । परन्तु धीरे-धीरे श्रमिकों की मजदूरी और उनकी सेवा की शर्तें उस क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों से बदतर न रहेंगी । फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं । परन्तु अन्य व्यक्ति जो नीवेली परियोजना में लगे हुए हैं उनका केन्द्रीय वेतन मान हो गया है । श्रमिकों को वही मजदूरी दी जाती है जो

[श्री सतीशचन्द्र]

उन्हें पहिले मिलती थी। उसमें कोई कमी नहीं हुई, वह मजदूरी अभी भी चल रही है और उस क्षेत्र के औद्योगिक मजदूरों की यही मजदूरी मिल रही है।

अम्बर चर्खा कार्यक्रम पर भी आपत्तियां उठाई गई हैं। मेरे कुछ मित्र यह सोचते हैं कि अम्बर चर्खा योजना में फिजूलखर्ची है। मैं सभा को इसका विस्तृत विवरण बताये बिना ही यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि खादी बोर्ड के सदस्य पैसा खर्च करने में दूसरों की अपेक्षा अधिक सतक हैं। हम किसी समस्या को उनके द्वारा हल किये जाने के ढंग को भले ही न मानें या हम उनकी विचारधारा से अथवा कार्यप्रणाली से सहमत न हों, परन्तु जहां तक मुझे मालूम है वे अधिकतर अपव्यय नहीं करते। खर्च का विस्तृत विवरण पहिले ही दे दिया गया है। श्री रेड्डी उन ५० सरंजाम कार्यालयों के खोले जाने के बारे में जानना चाहत थे जिन पर ८,९०,००० रुपया खर्च किया जाना है। सरंजाम कार्यालय अम्बर चर्खा बनाने का कारखाना है जिसम कई बढ़ई आदि काम पर लगे हैं। अम्बर चर्खे में चर्खी जैसे कुछ लोहे के पुर्जे रहत हैं जो इनमें बनाये जात हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वे गैर-सरकारी समवायों को आर्डर देकर नहीं बनवाये जा सकते ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : ऐसा हो सकता है। परन्तु अम्बर चर्खा का एकमात्र उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है और यदि सब कुछ केन्द्र द्वारा ही किया जाना है जैसा कि हमारे मित्र चाहेंगे, तो फिर अम्बर चरखे का कोई उपयोग न होगा।

कुछ व्यापारिक संस्थाओं को कुछ आर्डर दिये गये हैं। परन्तु यथासंभव यह प्रयत्न हो रहा है कि ग्रामीण बढ़इयों और लुहारों से ही काम कराया जाये। मैं अपने माननीय मित्र की जानका ी के लिये यह बता सकता हूं कि बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं को जिस कीमत पर अम्बर चरखे बनाने का आर्डर दिया गया है वह उस कीमत से कुछ ज्यादा ही है जिस पर ग्रामीण कारीगर उसे बनाते हैं। हमने बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं को आर्डर देकर यह देख लिया है कि उनसे काम कराना अधिक खर्चे का है। शायद उनकी मांग ज्यादा हैं और उनक लाभ की मात्रा भी ज्यादा हैं। अतएव उनसे काम कराने की अपेक्षा ग्रामीण कारीगरों से काम करने में कम खर्च पड़ेगा।

†**सभापति महोदय** : मर विचार से माननीय मंत्री न सारी बातें कह दी हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय उत्पादन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह चालू सत्र में उन खदानों क अजन क बारे म एक विधयक प्रस्तुत करेंग जोकि घाटे पर चल रही हैं। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : विधेयक लगभग तैयार है यदि इस सत्र की अवधि बढ़ाई जाये तो इस पर इसी सत्र में चर्चा हो सकती है। किन्तु सभा २१ या २२ ता ेख को स्थगित हो रही है।

सभी कटौती प्रस्ताव सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संघटन	२,२८,४५,०००
१३८	उत्पादन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१३,२८,७६,०००

†मूल अंग्रेजी में।

सभापति महोदय द्वारा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७८	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	९६,०००
८६	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२,२५,०००

†**श्री वे० प० नायर** : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ४८, ४९ और ५० प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने ये कटौती प्रस्ताव सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने के लिये रखे हैं कि वह अपने तेल सम्बन्धी करारों का पुनरीक्षण करे और स्नेहक तेल को भी उसमें शामिल कर ले ।

सरकार ने तेल साफ करने के जो कारखाने स्थापित किये हैं, उनके बारे में योजना आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तीनों पेट्रोलियम परिष्करणियों में चुनी गयी प्रक्रिया द्वारा अपरिष्कृत तेल से स्नेहक तेल और पेट्रोलियम बनाने की व्यवस्था नहीं है जिनका औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्व है ।

मैं यह चाहता हूं कि स्नेहक तेल का उत्पादन परिष्करणियों में अन्य उत्पादनों के साथ किया जाये । आज जितना महत्व पेट्रोल, गेसोलीन और मिट्टी के तेल का है, उतना ही स्नेहक तेल का भी है । उसके बिना कोई भी यंत्र सुगमता से नहीं चल सकता । हमें यंत्रों के लिये स्नेहक तेल बाहर से खरीदना पड़ता है । यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के हित में नहीं है । अतएव उन व्यापार सार्थों से जिन्होंने परिष्करणियां स्थापित की है, अन्य उत्पादनों के साथ साथ स्नेहक तेल तैयार करने के लिये कहा जाये । इसके अलावा जब एक नयी तेल परिष्करणी खोलने के लिये समिति बनाने अथवा विशेषज्ञ नियुक्ति करने पर सरकार कुछ भी खर्च करने के लिये तैयार है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह तेल शोधन कारखानों से इस आशय का आग्रह करें कि वह हमें स्नेहक तेलों में भी आत्मनिर्भर होने में सहायता दें ।

मेरा कटौती प्रस्ताव क्रमांक ४८ उचित भूतत्त्वीय सर्वेक्षण के न किये जाने और उन क्षेत्रों के उचित नक्शे न होने से सम्बन्धित है जहां खनिज-उद्योग अर्ध विकसित है । योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खनिजों का उपयोग करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है । भारत में खनिजों का विकास एक सा नहीं है कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं और कुछ क्षेत्र खासतौर से दक्षिण भारत के जिले अत्याधिक पिछड़े हैं । यद्यपि हमें यह बताया गया है कि दक्षिण में बहुत से खनिज पदार्थ हैं, परन्तु फिर भी सरकार ने उस क्षेत्र का पूर्ण और विस्तृत भूतत्त्वीय सर्वेक्षण नहीं कराया । खनिज में अर्ध विकसित क्षेत्रों के विकास के लिये सर्वेक्षण आवश्यक है । यद्यपि सारे देश में खनिज उद्योग से सम्बन्धित ६ लाख मजदूर हैं परन्तु मेरे प्रान्त में इन में से केवल ६०० या ८०० व्यक्ति ही हैं और वे भी रेत के ऊपर से ही खनिज पदार्थ बटोरते हैं ।

केरल में खदान में काम करने वाला एक भी श्रमिक नहीं है । सरकार को इस विभाग पर खर्च करने के स्थान पर अविकसित स्थानों में खनिज संसाधनों को विकसित करने की दिशा में अधिक ध्यान देना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री वे० प० नायर]

वारकलाई में लिगनाइट की खोज न किये जाने के सम्बन्ध में भी मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं सन् १९५२ से इसके लिये प्रयास कर रहा हूं। किन्तु आज भी वही उत्तर दिया जा रहा है। हमें बताया गया है कि लन्दन के इम्पीरियल इंस्टीट्यूट में विश्लेषण करने के पश्चात् इसे भारत में अन्यत्र पाये जाने वाले लिगनाइट के समान ही बताया गया था। वहां उसमें एक ऐसे दुर्लभ पदार्थ की भी खोज हुई है जो इस्पात उद्योग के विकास में सहायक है। लेकिन आश्चर्य है कि इसका एक बार भी सर्वेक्षण नहीं किया गया। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विषय पर सहानुभूति से विचार कर तथा इसकी जांच के लिये विधि की व्यवस्था करे। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री केरल के विकास के लिये किसी भी भांति निधि जुटायेंगे। इस स्थान में कष्टों को दूर करने के लिये वर्तमान कटौती प्रस्ताव पर विचार करने के लिये मैं प्रार्थना करता हूं।

†**सभापति महोदय** : इन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने की सूचना दी गई है :

मांग संख्या ७८	संख्या १४, ३३, ४८ और ४९
मांग संख्या ८६	संख्या ५० और १५

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रुपये
७८	श्री कामत	विदेशी विशेषज्ञों की उपलब्धियां।	१००
७८	श्री त० ब० विट्ठलराव	भारत में नवीन तेल परिस्करिणी के स्थान निर्धारण के बारे में समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब।	१००
७८	श्री वे० प० नायर	समुचित भूतत्त्वीय सर्वेक्षण का अभाव तथा जिन क्षेत्रों में खनिज उद्योग अल्पविकसित हैं उन पर समुचित जोर न देना।	१००
७८	श्री वे० प० नायर	प्रचलित तेल करारों के पुनरीक्षण की आवश्यकता।	१००
८६	श्री वे० प० नायर	भारत में बनाये जाने वाले उत्पादों में स्नेहक तेल को सम्मिलित न करना।	१००
८६	श्री कामत	जीव रसायन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ में सम्मिलित होने के कारण।	१००

†**सभापति महोदय** : ये सब कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं।

†**श्री कामत** : पृष्ठ ११७ के फुटनोट (क) में आरम्भ और अंत में विसंगति है। इसमें वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के दौरान रूसी विशेषज्ञों के भारत आगमन के सम्बन्ध में लगभग तीन लाख रुपयों की स्वीकृति का उल्लेख है। आरम्भ में तो कहा गया है कि व्यय १९५५-५६ में स्वीकृत किया गया था और १९५६-५७ के बजट प्राक्कलन को १९५५-५६ में अन्तिम रूप दिया गया था। पता नहीं इसकी क्या व्याख्या हो सकती है।

†मूल अंग्रेजी में।

हमें बताया गया है कि नौ रूसी विशेषज्ञों को तीन लाख रुपये के पारिश्रमिक पर भारत आमंत्रित किया गया था। परन्तु यह नहीं कहा गया है कि उनके पारिश्रमिक शुल्क आदि का क्या स्तर है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्हें कितने वर्षों के लिये रखा गया है। क्या यह काम ठेके पर दिया गया है अथवा भविष्य में सरकार पुनः अनुपूरक मांगों के लिये लोक-सभा के समक्ष आयेगी। हमें इस बात की भी जानकारी चाहिये कि रूसी विशेषज्ञों ने यह काम कब आरम्भ किया था तथा काम की कितनी प्रगति हुई है। श्री ख्रुश्चेव ने अपनी भारत यात्रा के मध्य कहा था कि रूस भारत को टेकनीकल सहायता प्रदान करने के लिये प्रस्तुत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोवियत साम्यवादी दल के प्रथम सचिव ने अपना वायदा पूरा किया है।

मांग संख्या ८६ के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १५ है। फुटनोट से प्रतीत होता है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय ज्योमिति[1] और भूभौतिकी संघ को २,००० रुपये की राशि नहीं दी। यह आश्चर्य की बात है कि आज हम एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीयता की इतनी बातें करते हैं और दूसरी ओर एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को २,००० रुपये भी नहीं दे सके। क्या इसका कारण हमारी असमर्थता है अथवा कोई अन्य वस्तु इसमें बाधक है ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्तर्राष्ट्रीय बय केमिस्ट्री संघ एक अच्छी संस्था है। इसमें सम्मिलित होने के लिये जो ४७५ रुपये की राशि बताई गई है उससे भी मेरा कोई विवाद नहीं है। परन्तु यह जानने की आवश्यकता है कि इस संघ का क्या कार्य है और इसमें सम्मिलित होने से भारत को क्या लाभ होंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चतुर्थ तेल परिष्करिणी के निर्धारण के लिये स्थान ढूंढने के सम्बन्ध में श्री वशिष्ठ की अध्यक्षता में, एक समिति नियुक्ति की गई थी जिसे सहायता देने के लिये एक रूमानियन विशेषज्ञ भी रखे गये थे। दो महीने के स्थान पर चार महीने गुजर चुके हैं किन्तु अभी तक समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

हम क्रूड आयल की आवश्यकता का केवल दस प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं, इसकी मांग भविष्य में और बढ़ जायेगी, अतः तेल संसाधन खोजने की तीव्र आवश्यकता है। देश में तेल की पर्याप्त मात्रा है हमें उसकी खोज करनी चाहिये। डिग्बोई में तेल परिष्करण करने के लिये जो करार किया गया है, वह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है, और इसके अनिर्णीत रहने से भावनगर में तेल परिष्करण करने में भी विलम्ब हो रहा है। ईरान, ईराक और पश्चिम एशिया में १६ करोड़ २० लाख टन क्रूड आयल प्रति वर्ष होता है। रूमानिया सदृश छोटा-सा देश भी १ करोड़ १० लाख टन क्रूड आयल पैदा करता है। अतः हमारे यहां तेल उत्पादन में वृद्धि करने की तीव्र आवश्यकता है। अतः तेल परिष्करिणी कहीं भी स्थापित की जाये, समिति द्वारा प्रतिवेदन देने पर इसे शीघ्र प्रकाशित किया जाये और सरकार अविलम्ब ही इसके निर्णय को क्रियान्वित करे।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक—मनीपुर) : मैं आसाम में तेल परिष्कारिणी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आसाम अल्पविकसित राज्य है। भारत सरकार की नीति सभी राज्यों को विकसित करना है। देश के दूसरे भागों में अनेक विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। यह समझ में नहीं आता कि समिति को निर्णय देने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। इस विषय में आसाम के साथ न्याय होना चाहिये।

आसाम भारत में सबसे बड़ा तेल-उत्पादन केन्द्र है तथा इस राज्य में क्रूड आयल अधिक मात्रा में पदा करने की पर्याप्त गुंजाइश है। यदि आसाम में तेल परिष्करिणी स्थापित कर दी गई तो

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Geodesy.

[श्री ले० जोगेश्वर सिंह]

औद्योगिक रूप से वह बढ़ जायेगा और आवागमन के साधनों में भी सुधार होगा। यदि आसाम के लोगों की यह युक्तिसंगत मांग पूरी नहीं की गई तो आम चुनाव पर विपरीत असर पड़ेगा।

मेरा विचार है कि प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। यह समिति देश के सभी अल्पविकसित भागों में खनिज संसाधनों का पता लगायेगी। अभी तक मंत्रालय यही कहता रहा है कि आवागमन के उपयुक्त साधनों के अभाव में इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। अतः आवागमन की अवस्था में सुधार किया जाये अन्यथा खनिज संसाधनों का यह अगम्य स्रोत वैसे ही पड़ा रह जायेगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सर्वप्रथम मैं आसाम में तेल शोधनशाला के प्रश्न को लूंगा। समिति का प्रतिवेदन अब सम्बन्धित मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि यह १० दिसम्बर को प्रस्तुत किया गया था और स्वभावतः इस पर विचार किया जाना है। परन्तु किसी विशेष परियोजना के सम्बन्ध में केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह अभिप्रायः नहीं कि शोधनशाला तुरन्त बन जायेगी, बहुत सी अन्य बातें हैं और एक महत्वपूर्ण बात पर अर्थात प्रविधिक सहायता और विदेशी मुद्रा पाने के प्रश्न पर विचार करना है। श्री ले० जोगेश्वर सिंह और श्री त० ब० विट्ठल राव की बात से यह प्रतीत होता है कि एक समिति नियुक्त की गई थी परन्तु वह कुछ नहीं कर रही है। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यह १० दिसम्बर को प्राप्त हुआ था और इसकी छानबीन की जायेगी।

श्री कामत नित्य प्रति की तरह जिज्ञासू थे।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** (गोहाटी) : मैं जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि क्या शोधनशाला के स्थान के सम्बन्ध सामान्य निर्वाचनों से पूर्व घोषणा कर दी जायेगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे खेद है कि हमारे लिये इस सम्बन्ध में कुछ कहना बहुत कठिन है; आखिर अन्य स्थितियों की जांच भी करनी है। यदि यह स्थिति हो कि आसाम ने शोधनशाला के सारे उत्पादन का उपभोग करना हो तो यह एक भिन्न विषय है और यदि ऐसा नहीं तो परिवहन का भी प्रश्न है। मैं यह आशा नहीं दिला सकता कि किसी विशेष तिथि से पूर्व निर्णय घोषित किया जा सकता है।

श्री कामत ने, जो इस समय यहां नहीं, कतिपय प्रश्न उठाए हैं। परन्तु मुझे ज्ञात नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय की क्या इच्छा है, अर्थात् क्या माननीय सदस्य के यहां न होते हुए मुझे उन सब का उत्तर देना चाहिये अथवा नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अन्य माननीय सदस्य उत्सुक हैं कि उत्तर दिया जाये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उन्होंने रूसी विशेषज्ञ नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। जहां तक विशेष पाद टिप्पण की भाषा का सम्बन्ध है हो सकता है कि यह प्रसन्नतादायक न हो। जिन पदाधिकारियों ने यह पाद टिप्पण लिखा था उन्होंने माननीय मित्र श्री कामत की तरह विदेशी शिक्षा नहीं पाई और उन्होंने अंग्रेजी इसी देश में पढ़ी है। परन्तु पाद टिप्पण में यही कहा गया है कि हमारा कार्यक्रम रूसी विशेषज्ञों पर ३ लाख रुपये व्यय करने का था, कुछ धनराशि गत वर्ष व्यय की गई है और इस वर्ष जो व्यय करना है वह ८५,००० रुपये है, और ११,००० रुपये की राशि रूमानिया के शिष्टमंडल पर व्यय करनी है जो कि यहां आ रहा है। रूसी विशेषज्ञों के वापस विमान द्वारा जाने का किराया ७०,००० रुपये है, विशेषज्ञों का प्रतिदिन का पारिश्रमिक ६५ रुपये और दुभाषिये का प्रतिदिन का पारिश्रमिक ६५ रुपये है; ये लगभग १,६०,००० रुपये बनते हैं, यात्रा और होटल का व्यय लगभग ७०,००० रुपये हैं। कुल ३,००,००० रुपये का व्यय था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उन्होंने मुझ से यह भी पूछा है कि हम ने इस विशेष निकाय अर्थात् जीवरसायन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ में क्यों प्रवेश किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् की ओर से सुझाव आया था कि भारत को इस में सम्मिलित होना चाहिये और इस निकाय का मतदाता सदस्य बनना चाहिये। उन्होंने यह भी पूछा कि ज्यामिति[1] और भूभौतिकी के अन्तर्राष्ट्रीय संघ को जो २,००० रुपये दिये जाने थे वे क्यों नहीं दिये गये। वस्तुतः मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि ऐसा इस कारण हुआ कि हमने लन्दन में उच्च आयुक्त के कार्यालय से कहा कि वह यह राशि दे दें और हमें बताया गया कि उन्होंने दे दिया है। बाद में पता लगा कि उन्होंने पैसे नहीं दिये। अतः यह चालू वर्ष के आय-व्ययक में रखने पड़े।

निस्संदेह ये त्रुटियां हैं। एक मामले में गलती इस कारण हुई कि हम ने पहले वैज्ञानिक निकाय के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी। दूसरी त्रुटि इस कारण हुई कि कोई भुगतान करना भूल गया। यह श्री कामत के प्रश्नों का उत्तर है।

फिर मैं श्री वे० प० नायर द्वारा उठाई गई बातों को लेता हूं। उन्होंने स्नेहक तेल का प्रश्न उठाया था। मैं इस तेल के महत्व को समझता हूं। कभी-कभी मुझे विचार आता है कि क्या अच्छा होता यदि इसे बुद्धि की मशीन को तेज़ करने के लिये प्रयोग किया जा सकता, तो विचारों में कुछ अधिक स्पष्टता होती। जहां तक इन तीन शोधशालाओं का सम्बन्ध है वे इस तेल का उत्पादन नहीं करती। इन शोधन-शालाओं में अन्य उत्पादों की तुलना में स्नेहक तेल के सापेक्ष महत्व के कारण प्रश्न नहीं उठाया गया। क्योंकि अब उन्होंने यह प्रश्न उठाया है, इसलिये जब शोधनशालाओं का विस्तार किया जायगा। अथवा यदि कोई ऐसी प्रस्थापना है तो उस समय इस विषय को लिया जायेगा।

जहां तक आसाम की शोधनशाला का इस समय सम्बन्ध है यह लगभग १५,७०० टन का उत्पादन कर रही है। स्नेहक तेल के उत्पादन के लिये इस के विस्तार का प्रश्न आसाम आयल कम्पनी के उत्पादन विभाग द्वारा उत्पादित अशोधित तेल के रासायनिक तत्वों पर निर्भर करता है। क्योंकि माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया है, इसलिये इसे विचार में रखा जायेगा।

दूसरा प्रश्न भारत में और विशेषतः केरल में खनिज संसाधनों को ढूंढने के बारे में है। माननीय सदस्य इस बात को अनुभव करेंगे कि इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या रात भर में नहीं बढ़ाई जा सकती है। मंत्रालय के कर्मचारियों को दुगना किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

एक और बात भी है; प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि में, कतिपय राज्यों में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने की हमारी क्षमता नहीं थी। अब उस स्थिति में निश्चय ही परिवर्तन हो गया है। जैसा मैंने बताया, मंत्रालय उपलब्ध प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहा है और यह न्यूनतम समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहां इसका लाभ हो सकता है भूतत्वीय सर्वेक्षण करना चाहता है।

लिगनाइट के विषय में भी प्रश्न उठाया गया था। मैं समझता हूं कि यह बात पहले उठाई जा चुकी है। जब कर्मचारी उपलब्ध होंगे तो जहां कहीं लिगनाइट पैदा होने की संभावना हुई, हम अवश्य सर्वेक्षण के प्रश्न को लेंगे। परन्तु लिगनाइट के उत्पादन का भविष्य अधिकतर दक्षिण भारत में लिगनाइट निकलने पर निर्भर करता है जिसके सम्बन्ध में अभी एक घंटा पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने उन बातों की ओर संकेत किया है जिन्हें त्रुटियां भी कहा जा सकता है अथवा यह कहा जा सकता है कि इन विषयों की ओर अविलम्बनीय ध्यान नहीं दिया

---

[1] Geodesy.

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

गया। मुझे केवल यह कहना है कि इन विषयों पर —उन में से कई तो ऐसे हैं जिन पर वैज्ञानिक विभाग अर्थात् प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने ध्यान देना है—विचार किया जा रहा है और सारे भारत में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने में देरी का मैं केवल यह कारण बता सकता हूं कि हम आवश्यक प्रविधिक कर्मचारी नहीं पैदा कर सकते। पैसे के कारण रुकावट नहीं है वरन् प्रविधिक कर्मचारियों और उपकरणों की कमी है। बहुत से मामलों में उपकरण प्राप्त करने के लिये देश से बाहर जाना पड़ता है और ये सुगमता से उपलब्ध नहीं होते। अतः कमी को पूरा करने के लिये कठोर और निरन्तर प्रयास किया जा रहा है और आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि के अन्त से पूर्व भूतत्वीय परिमाप काफी हो जायेगा यद्यपि इसे पूर्ण न कहा जा सके।

मैं और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये कई प्रश्नों का आंशिक उत्तर दे दिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री त० ब० बिट्ठल राव** : क्योंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ३३ सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

कटौती प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ७८ और ८६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७८	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	९६,०००
८६	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२,२५,०००

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम निर्धारण और अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों के विषय में चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम निर्धारण और सेवा सम्बन्धी शर्तों पर २½ घंटे चर्चा करेगी। प्रस्तावक २५ मिनट बोलेंगे और शेष समय का बटवारा वक्ताओं की संख्या के अनुसार किया जायेगा।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं बहुत दुःख से इस चर्चा को आरम्भ कर रहा हूं। जब जीवन बीमा निगम विधेयक और जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक और राष्ट्रीयकरण की नीति पर पूंजीपति आक्षेप कर रहे थे तो मैंने न केवल अपने दल की ओर से वरन् बीमा समवायों के कर्मचारियों की ओर से सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया था।

पहले वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था कि राष्ट्रीयकरण के निश्चय के बारे में सर्वप्रथम अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी सन्था ने और हिन्दुस्तनान कर्मचारी सन्था के संघ ने ही उनको बधाई दी थी। उनसे मेरा ७ वर्ष का सम्बन्ध है।

†मूल अंग्रेजी में।

जब जीवन बीमा निगम विधेयक प्रवर समिति के पास था, तो अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी सन्था ने निगम के संगठन और कारोबार के एकीकरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे।

मुझे यह देख कर दुःख होता है कि इस निगम के कर्मचारी अब असंतुष्ट हैं और हड़ताल करने की सोच रहे हैं। ५ दिसम्बर को उन लोगों ने एक दिन की हड़ताल की थी। दफ्तर के कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर काम करने वाले कर्मचारियों ने भी उनका साथ दिया। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि इस सब असंतोष का कारण वह दल है जिससे मैं सम्बन्ध रखता हूं। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। खैर, मैं इसका उत्तर उसी प्रकार से नहीं दूंगा किन्तु मैं तथ्य बताकर स्पष्ट कर दूंगा कि असंतोष का कारण इसके बिल्कुल विपरीत ही है। क्या उनके वेतन इतने संतोषजनक हैं कि वे कुछ भी नहीं चाहते ? हमें तथ्यों को देखना चाहिये।

आप जानते हैं कि वेतन के मामले में बुनियादी वेतन बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर वरिष्ठता का हिसाब रहता है, उसी के आधार पर भविष्य निधि तथा निवृत्ति वेतन आदि दिये जाते हैं। अब हमें इन्हीं के बारे में देखना है ? क्लर्कों के लिये ५५–२२० रुपये वेतनक्रम रखा है और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये ३०–६० रुपये वेतनक्रम रखा गया है। यदि आप पहले की स्थिति से इसका मुकाबला करें तो मालूम होगा कि वेतन दरें कितनी घट गई हैं।

पहले नेशनल बीमा कम्पनी में ८०–२८० वेतन दर थी; 'हिन्दुस्तान' में ८०–३२० रुपये थी और 'न्यू इंडिया' में ८०–३३५ रुपये थी। इस कारण आरंभिक बुनियादी वेतन में १० रुपये से लेकर २५ रुपये तक की कमी है और अत्यधिक वेतन में ६० रुपये से लेकर ११५ रुपये तक की कमी है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी इण्डियन ट्रेड एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी ने ८०–२९० रुपये की दर रखी है।

इसी प्रकार चपड़ासियों, दफ्तरियों आदि के वेतन के बारे में भी आरंभिक वेतन में ५ से ७ रुपये की कमी हुई है और अन्त के वेतन में १० रुपये से लेकर ५८ रुपये की कमी हुई है।

निगम के अधीन अधिक से अधिक महंगाई भत्ता ६५ रुपये मिल सकता है। दूसरे समवायों में महंगाई भत्ता ८० से लेकर १३५ रुपये तक था। इसलिये महंगाई भत्ते में भी १५ रुपये से लेकर १४७/८/- रुपये की कमी हुई है।

कुल वेतन में जो अन्तर हैं, वे और भी अधिक हैं। कुछ आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। ये आंकड़े सेवा के पहले, पांचवे, दसवें, पन्द्रहवें, बीसवें तथा छब्बीसवें वर्ष के वेतन के अन्तर से सम्बन्धित हैं। निगम के कर्मचारियों के पहले वर्ष का वेतन १२५ रुपये होगा और छोटे नगरों में १०५ रुपये होगा। 'इंडस्ट्रियल' तथा अन्य समवायों में वेतन १२० से १८५ रुपये तक होगा।

पांचवे वर्ष में निगम का क्लर्क १४५ रुपये लेगा और दूसरे समवायों में २३८/२/- रुपये तक लेगा। इसी प्रकार दसवें वर्ष में निगम के कर्मचारियों का वेतन १७०/- रुपये होगा और दूसरे समवायों का वेतन २७८/१२/- रुपये तक होगा। चौबीसवें वर्ष में निगम का कर्मचारी ३०५ रुपये लेगा और दूसरे समवायों के कर्मचारी ३६० रुपये से लेकर ४४९ रुपये तक लेंगे। छब्बीसवें वर्ष में निगम का कर्मचारी ३०५ रुपये ही लगा और अन्य समवायों के कर्मचारी ४१३ रुपये से ४५४/१२/- रुपये तक लेंगे।

इसी प्रकार से अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनों में भी बहुत अन्तर है। निगम के अधीनस्थ कर्मचारी पहले वर्ष में ७५ रुपये लेंगे किन्तु दूसरे समवायों के कर्मचारी ७७ रुपये से १०० रुपये तक लेंगे और इसी प्रकार बीसवें वर्ष में निगम के कर्मचारियों को ११० रुपये मिलेंगे किन्तु दूसरे समवायों के कर्मचारी ११८ रुपये से १४६/८/- रुपये तक लेंगे।

[श्री साधन गुप्त]

पहले वर्ष में निगम का क्लर्क ५ रुपये से ६० रुपये तक कम वेतन लेगा और छब्बीसवें वर्ष में ८५ रुपये से १४९/४/- रुपये तक कम लेगा। अधीनस्थ कर्मचारी पहले वर्ष में ३ रुपये से २५ रुपये तक कम लेंगे और बीसवें वर्ष में ८ रुपये से ३६/८/- रुपये तक कम लेंगे। इस में वे रकमें शामिल नहीं हैं जो बोनस के तौर पर उन्हें दी जानी बन्द कर दी गई हैं। ६ अक्तूबर की 'कामर्स' पत्रिका में बताया गया है कि यदि निगम के वेतन स्तर लागू किये जायें तो 'ओरियंटल' समवाय में एक क्लर्क को २५ वर्ष की सेवा में ५,७७२ रुपये कम मिलेंगे और 'हिन्दुस्तान' में १४,३५२ रुपये कम। वेतन् निर्धारित करते समय बुनियादी वेतन को ठीक करने की अधिक जरूरत होती है। किन्तु यहां ठीक उसके उलट ही किया गया है। जहां महंगाई भत्ता निगम की दरों से कम है वह कुल वेतन में से महंगाई भत्ता अलग करके शेष वेतन को बुनियादी समझा जाता है। इस तरीके से जो अन्याय होगा उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। रेलवे कर्मचारी सहकारी बीमा समवाय का एक कर्मचारी २५ वर्ष की सेवा के बाद १७५ रुपये लेगा। इस तरीके के अनुसार २५ रुपये नगर भत्ता है और ५५ महंगाई भत्ता इस प्रकार बुनियादी वेतन ९८ रुपये निर्धारित किया जायगा। इस प्रकार उसके वास्तविक वेतन में ५२ रुपये का अन्तर पड़ा और वह नये स्तर की अन्तिम रकम प्राप्त नहीं कर सकता है। इस पर वार्षिक बोनस भी सरकार ने बन्द कर दिया है। अब तक यह उनका एक अधिकार सा बन गया था।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने बार-बार वास्तविक वेतन तथा निर्वाह वेतन के अन्तर बताये हैं और कहा है कि सरकार को निर्वाह योग्य वेतन देने का प्रयास करना चाहिये। किन्तु सरकार को इन सब बातों की कोई परवा नहीं है। वित्त मंत्री यह कभी नहीं कह सकते कि वेतन इतना है जिससे निर्वाह हो सके।

आप देखिये कि त्यौहारों के अवसरों पर क्लर्कों को कितनी कठिनाई होती है। दीवाली के अवंसर पर कुछ व्यय होता है। पहले बोनस से उनका यह काम चल जाता था किन्तु अब उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।

इन सब बातों के होते हुए यह कहना गलत है कि जो असंतोष कर्मचारियों में फैला हुआ है उसकी जिम्मेदारी बाहर वालों पर है।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषा माननीय मित्र प्रयोग कर रहे हैं वह चाहे संसदीय हो या न हो किन्तु है बुरी। क्या यह सब ठीक है कि वह कहें कि यह लूट मची हुई है ?

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्) : बिल्कुल संसदीय भाषा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आपत्ति पर निर्णय उसी ओर से नहीं होना चाहिये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खैर, यह असंसदीय तो नहीं है किन्तु ऐसी भाषा बोलना वांछनीय नहीं है। मैं समझता था कि माननीय सदस्य अपनी बातें मनवाना चाहते हैं ? शायद यह भाषण पहले तैयार किया गया है।

†**श्री गाडगील** (पूना-मध्य) : क्या श्रीमान्, बाहर के लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसे शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। चाहे हम जानते हों कि हमारी बात मानी नहीं जायेगी। किन्तु हमें ऐसी भाषा में कहना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि हम मनवाने का यत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : वित्त मंत्री ने हमारे दल की हतक की है। मुझे अधिकार है कि मैं उसका ज़ोर से जवाब दूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि अब वह ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : माननीय वित्त मंत्री कर्मचारियों को भेड़-बकरियां समझते हैं। वह उनकी तकलीफों को नहीं समझते। खैर, मेरे आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि कर्मचारियों की जेबें काटी गई हैं। इसके बाद विशेषाधिकार छुट्टी, बीमारी की छुट्टी आदि में पर्याप्त कमी कर दी गई है। पहले उपदान दिया जाता था। अब त्यागपत्र देने पर कोई उपदान नहीं मिलेगा। इतनी सब बातें होने पर भी वित्त मंत्री यही कहेंगे कि यह साम्यवादियों की शरारत है।

पहले निरीक्षकों तथा संगठनकर्ताओं के लिये इतनी प्रतियोगिता थी कि यदि एक समवाय में वह असफल रहते तो दूसरे में उन्हें काम मिलता था। इसी कारण पहले वे कर्मचारी किसी प्रकार की आपत्ति आदि नहीं करते थे। पहले जो ज्यादा काम लेता था वह फायदे में रहता था। इसी कारण ये सब बातें उत्पन्न हो गई थीं। बेनामी तथा जाली अभिकर्ता काम करने लगे। संविदा के आधार पर काम करने का यह परिणाम था। इस बुराई को दूर करने के लिये १९५० के अधिनियम में संशोधन किया गया था।

इस पर भी बीमा समवायों के संचालकों ने इस विधि का कई तरीकों से उल्लंघन जारी रखा।

लोगों का यह विचार था कि राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार इन बुराइयों को दूर करेगी। किन्तु इस फैसले ने सब को निराश कर दिया है कि सितम्बर, १९५७ के बाद उनको उनके काम के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा। इससे इन कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई रहेगी।

यह बात तो सब जानते हैं कि हमेशा काम एक समान रूप में नहीं मिलता। पहले तो अभिकर्ता एक समवाय छोड़कर दूसरे समवाय में जा सकते थे, किन्तु अब वह बात भी नहीं रही। इससे कुछ लोग बिल्कुल बेकार भी हो सकते हैं।

यह भय अवास्तविक नहीं है। निगम में अभिकर्ताओं की संख्या ३,००० से ४०,००० तक हो गई है। अपने अभिकरण को बनाये रखने के लिये एक अभिकर्ता को ४०,००० रुपये का काम लेना चाहिये। यदि इस वर्ष का हिसाब देखा जाये तो बहुत से कर्मचारियों से अन्याय हो सकता है।

संविदा के तरीके पर जो सब से बड़ी आपत्ति है वह यह है कि इससे निगम का उद्देश्य पूरा न होगा और कम आय वाले लोगों में यह बीमा सर्वप्रिय न होगा। किसानों तथा मजदूरों को बीमे के लिये राजी करने के लिये बहुत प्रचार की जरूरत है। एक बार बीमा कराने पर उन्हें यह भी बार-बार कहलवाना होगा कि वह प्रिमियम भी दें।

इससे समाज के उस अंग में यह बात फैलेगी जहां इसकी बहुत जरूरत है। यदि इस प्रकार की परिस्थिति में ये लोग असंतुष्ट हों तो फिर हैरानी की कौन सी बात है। लोगों को यह कहकर धोखा नहीं देना चाहिये कि यह शरारत साम्यवादी दल ने करा रखी है।

मैंने बता दिया है कि कर्मचारियों ने पहले क्या स्तर प्राप्त कर लिये हैं। ये उन्हें वैसे ही नहीं मिले किन्तु इसके लिये उन्हें प्रयास करना पड़ा है। इसलिये अब और अधिक बोझ वह नहीं उठा सकते।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

सरकार जो बातें इस के जवाब में कहती है वह सब निराधार हैं। यह कहा जाता है कि कर्मचारियों को शिकायत नहीं करनी चाहिये क्योंकि उनके विद्यमान वेतन रहेंगे। यह बात सच नहीं है। बोनस न मिलने के कारण वास्तव में पर्याप्त कमी आ जायेगी।

इसके अतिरिक्त पारिश्रमिक के सुरक्षण से एक कार्य के लिये होने वाली आय विभिन्न प्रकार की हो जायेगी। दूसरे यह कहा गया है कि वेतनक्रम सरकारी स्तर के अनुसार निश्चित किए गए हैं। १९५६ के वेतन आयोग ने प्रारम्भिक वेतन ५५ रुपये रखा था तथा अब हमें यह मालूम ही है कि वस्तुओं के मूल्य अधिक हो जाने पर भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार आजकल किसी भी कर्मचारी का पारिश्रमिक उचित मजूरी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिये सरकारी कर्मचारियों ने दूसरे वेतन आयोग की मांग की है।

परन्तु इनके वेतनक्रम सरकारी स्तर के ही नहीं हैं। मुझे यह पता लगा है कि बड़े नगरों में एक सरकारी लिपिक का न्यूनतम वेतन १३७ रुपये ८ आने होता है तथा जैसा कि निगम के कर्मचारियों के लिये निर्धारित किया गया है १२५ रुपये नहीं होता है। परन्तु यदि सरकारी स्तर यह होगा तो भी बीमा कर्मचारियों को यह वेतन देना उचित नहीं होगा क्योंकि वह इस समय उससे अधिक मजूरी ले रहे हैं। दूसरे निगम के कर्मचारी, सरकार के प्रशासनिक पक्ष के समान नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने रिजर्व बैंक तथा राज्य बैंक के कर्मचारियों के वेतनक्रम सरकारी कर्मचारियों से अधिक रखे हैं तब इस निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम भी इन बैंकों के कर्मचारियों के समान क्यों नहीं रखे गये क्योंकि यह निगम भी लगभग बैंकों के समान ही है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी एम्पायर आफ इंडिया कम्पनी ने अपने वेतन ५३ रुपये से ७५ रुपये कर दिये हैं जबकि यह एक सरकारी प्रशासक के अधीन काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब निगम की स्थिति अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देने की है तब उससे वेतनक्रम अधिक क्यों नहीं रखे जाते। आज १०½ करोड़ रुपये हैं जिससे इन कर्मचारियों की मांगें पूरी की जा सकती हैं, तब इसका कोई कारण नहीं कि इनकी सभी मांगें अच्छी तरह पूरी क्यों न की जायें।

मुख्यतः मैं लाभांश के अधिकार के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं। कार्यालय के तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को लाभांश मिलता था तब उन को इसे न देने में कोई औचित्य नहीं है जब कि राज्य बैंक में, जोकि सरकारी संस्था है, लाभांश दिया जाता है। मैं जानता हूं वित्तमंत्री मेरे अधिकांश आंकड़ों को गलत बतायेंगे परन्तु इस प्रकार मामला नहीं सुलझ सकता। यह तो तभी सुलझ सकता है जब बीमा कर्मचारी संस्था के प्रतिनिधि वित्तमंत्री तथा निगम एक साथ बैठें तथा इस मामले पर विचार करें।

कर्मचारियों ने १९५३ में अपनी मांगों को प्रस्तुत किया था तथा वह बातचीत का माध्यम था। इसलिये वित्त मंत्री तथा इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिये तथा मेरे विचार से इस समस्या का हल पाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने उनके वेतनक्रम निश्चित करते हुए उनका परामर्श भी नहीं लिया तथा उनसे वैकल्पिक वेतनक्रम के सम्बन्ध में भी नहीं पूछा गया। इस असन्तुष्ट वातावरण में आप जान सकते हैं कि वह किस प्रकार काम कर सकते हैं। इसलिये मेरी आप से फिर प्रार्थना है कि वह एक द्विदलीय सम्मेलन बुलायें तथा इस पर विचार करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दस सदस्य इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे विचार से मुझे लगभग आधा घंटा चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि प्रत्येक माननीय सदस्य दस मिनट तक बोलना चाहें तो सभी को समय दिया जा सकता है । श्री चटर्जी प्रारम्भ करें ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं माननीय वित्त मंत्री, जो बहुत कठोर हैं, को कुछ दयालु बनाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा हूं । उन्हें इन बेचारे गरीब कर्मचारियों से कुछ सहानुभूति रखनी चाहिये । मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हड़ताल के पक्ष में हैं । परन्तु मेरे पास अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था के लोग आये जिन्होंने कलकत्ते के एक सम्मेलन का सभापतित्व करने की प्रार्थना की जिसमें संसद् सदस्य आने वाले थे । उसमें, कांग्रेसी, साम्यवादी, प्रजा सोशलिस्ट संसद् सदस्य थे तथा हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे हड़ताल न करें तथा हम उनका पक्ष संसद् में प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनके साथ न्याय किया जा सके । परन्तु मुझे खेद है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है ।

मैं प्रारम्भ से कुछ बताना चाहता हूं । राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कुछ आशा थी कि दुर्व्यवस्था आदि समाप्त हो जायेगी तथा उनको सरकारी क्षेत्र में बहुत सी सुविधायें मिलेंगी जो गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु सब कुछ इसके प्रतिकूल हुआ ।

उनकी पहली मांग है कि उनका वेतनक्रम ८० से प्रारम्भ होना चाहिये तथा ५५ रुपये से प्रारम्भ नहीं होना चाहिये । न्यायाधिकरणों आदि के पश्चात् उनका ८० रुपये वेतन किया गया जोकि अब फिर ५५ रुपये कर दिया गया । आप कहते हैं कि निगम की कार्यपटुता बढ़ जायेगी तथा यह भी बता रहे हैं कि इसका व्यापार बढ़ गया है, तब आप उनका वेतन ८० रुपये से ५५ रुपये क्यों कर रहे हैं ?

दूसरे मैं महंगाई भत्ते के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह न्यूनतम ६२ रुपये होना चाहिये । लाभांश के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने लाभांश के एक मामले में एक निर्णय दिया कि लाभांश राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में नहीं दिया जा सकता है । परन्तु फिर भी यदि सरकार चाहे तो उस लाभ में से उन मजदूरों को कुछ दे सकती है जो उसमें काम कर रहे हैं । राज्य बैंक में उपदान के रूप में एक मास का वेतन दिया गया है । यदि आप उसको लाभांश कहना नहीं चाहते तो उसको और कुछ नाम दे दीजिये । सिंदरी उर्वरक कारखाने में भी एक से दो मास का वेतन उपदान के रूप में दिया गया है । चौथे छोटे बीमा समवायों को वेतनक्रमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक कुछ अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये ।

अन्त में वेतनक्रम में अधिकतम वेतन ३२० रुपये अथवा ३२५ रुपये होना चाहिये । ६ अथवा ७ जो मुख्य समवाय हैं उनमें वेतनक्रम ८० से ३२० अथवा ३२५ तक के हैं । आप चाहें तो ३०० रुपये कर दीजिये, जिस से उनमें असंतोष न रहे ।

मेरा विचार है कि श्री साधन गुप्त के सुझाव पर काम करने का अब समय आ गया है कि माननीय मंत्री दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करें । यदि वह बातचीत करना पसन्द नहीं करते हों तो कम से कम उन्हें एक मजूरी मंडल बनाना चाहिये जो इस कठिनाई को सुलझा सके ।

†**श्री गाडगील** (पूना—मध्य) : मेरे विचार से यह इस सभा का कर्त्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखे कि बीमा कर्मचारियों को उचित मजूरी मिलती है अथवा नहीं क्योंकि इसी सभा ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया है । राष्ट्रीयकरण की सफलता का इससे पता लगता है कि व्यापार बढ़ा है अथवा नहीं तथा दूसरे प्रबन्ध और कर्मचारियों में सहयोग है अथवा नहीं । व्यापार की बात तो छोड़िये परन्तु यह ठोस सत्य है कि बीमा कर्मचारियों में बहुत असन्तोष है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री गाडगील]

श्री देशमुख ने, जब विधेयक सभा के समक्ष था, वायदा किया था कि स्थायी सेवा वाले किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी तथा वर्तमान वित्त मंत्री ने भी यही आश्वासन दिया था। निगम के प्रधान ने भी ऐसा ही आश्वासन दिया था।

सरकार को एकीकरण का पर्याप्त अनुभव है। जब राज्यों का एकीकरण किया गया था तब भी इन राज्यों के कर्मचारियों आदि की समस्या सामने आई थी, तथा एक निश्चित नीति इनके बारे में अपनाई गई थी। संभवतया उससे सरकार का कुछ मार्गदर्शन हो सकेगा; परन्तु किसी परिणाम पर पहुंचने से पूर्व शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें और अनुभव पर भी विचार किया जाना चाहिये। कुछ समवाय जो कि सोच समझ कर बचत से चल रहे थे, उनके कर्मचारियों को विलीन करने में काफी अन्याय हुआ है। समाचारपत्रों में परिवार पोषण का आरोप लगाया गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रमाप होना चाहिये, ताकि अशांति और असन्तोष का अन्त हो सके।

मैं विषय के प्रभारी अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों का संगठन काफी मजबूत है और उन्होंने राष्ट्रीयकरण से पूर्व ही काफी संघर्ष के पश्चात् कुछ प्राप्त किया है। इसलिये इस बात की उपेक्षा करके कि उन्होंने एक दिन की हड़ताल की है, उनकी उचित मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये। किसी इस मामले के सुपरिचित अधिकारी अथवा किसी वेतन बोर्ड को मामला सौंप कर अथवा जैसा कि श्री चटर्जी ने सुझाया कि विभिन्न बीमा कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों से मिल कर मामला हल करना चाहिए। इससे मामला सरल ही होगा। यदि कोई पग न उठाया गया तो कारोबार में सुधार नहीं होगा, और राष्ट्रीयकरण के विरोधी कहेंगे कि यह देश की अर्थ-व्यवस्था और आगामी योजनाओं को नष्ट-भ्रष्ट करने का उदाहरण है।

छोटे स्तर के कर्मचारियों ने तो राष्ट्रीयकरण पसन्द किया है, परन्तु जो लोग प्रमुख पदों पर, थे, उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया। और वे इस राष्ट्रीय उद्योग को सफल बनाने के प्रति उदासीनता प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सरकार की वैध और वैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं प्रत्युत नैतिक जिम्मेदारी भी है, कि यह राष्ट्रीय उद्योग असफल न हो। क्योंकि इससे हमारे शत्रुओं के हाथ मजबूत होंगे। इसे सम्मान का प्रश्न न बनायें। और इस भावना से इस समस्या को देखें कि हम सब इस मामले में सहयोगी हैं। ऐसा करने से सभी को मान्य सन्तोषजनक ढंग से मामला सुलझ जायेगा और सरकार का इससे गौरव होगा।

नौकरी के प्रत्येक अंग, भर्ती वेतन स्तर, पदोन्नति, निवृति आयु, निवृति सुविधायें, इत्यादि सभी बातों की आलोचना हो रही है। चपड़ासी, क्लर्क और सहायक सभी की शिकायतें हैं, बड़े अधिकारियों की मैं नहीं कह सकता।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उनकी भी है।

†**श्री गाडगील** : परन्तु वे गुजारा कर सकते हैं, ये गरीब नहीं कर सकते, इसलिये मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह वास्तविक मामले को समझने का प्रयत्न करें। मैं कर्मचारियों से भी कहूंगा कि उन्हें लाभ का अंश नहीं मिल सकता। उन्हें इतना मिल जाना चाहिये कि वे समाज में प्रतिष्ठा से जीवन व्यतीत कर सकें। राष्ट्रीयकरण का अर्थ यही होता है कि प्रारम्भ में सभी थोड़ा बहुत बलिदान करें। इसलिये कठिनाई को समझ कर विश्वास और युक्तियुक्त दृष्टिकोण से सारी समस्या को हल करने का प्रयत्न करें। मुझे विश्वास है कि इसके सन्तोषजनक परिणाम रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० म० थामस** : (एरणाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने थोड़े समय में मैं पूर्व-वक्ताओं द्वारा उल्लेखित वेतन स्तरों के अतिरिक्त शिकायतों के कुछ कारणों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीयकरण के समय आपके पूर्वाधिकारी श्री देशमुख ने बीमा निगम का उद्घाटन करते समय कर्मचारियों को वफादारी और लगन से काम करने का आह्वाहन किया था। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। सभी ओर से असन्तोष के समाचार ही प्राप्त हो रहे हैं। सभी वर्गों के कर्मचारियों में असन्तोष है। इस स्थिति में वे आशायें कैसे पूरी होंगी जो कि इस महान उपक्रम पर लगायी जा रही हैं।

मैंने कहा कि मैं वेतन स्तर के अतिरिक्त कुछ और बातें भी कहूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता श्री गाडगील ने इस मामले में सेवाओं के एकीकरण के लिये कुछ नमूने भी प्रस्तुत किये। उनमें से कई सिद्धान्त स्वीकार किये जा सकते हैं हमारे समक्ष विभिन्न एयरलाइनों के विलय का उदाहरण भी है। उसी सिद्धान्त को हम यहां भी अपना सकते हैं।

मैं कुछ उन सिद्धांतों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि विशेषकर मुख्य पदों की नियुक्तियों के अवसर पर ध्यान में रखे जाते हैं। पता चला है कि शाखा अधिकारियों के सम्बन्ध में यह आदेश दिया गया है कि उनकी नियुक्तियां उनके द्वारा दो वर्ष में पूर्ण किये गये कारोबार के आधार पर होंगी। इससे अधिकारी के विशेष गुणों का पता नहीं चल सकेगा। फिर यह भी कि उसकी गत १०, १५ वर्ष की प्रगति को भी इस विचार में सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समवाय में उसकी व्यक्तिगत स्थिति का भी ख्याल रखा जायेगा। आम शिकायत है, और मामला इस सभा और दूसरी सभा में भी आ चुका है कि निगम में एक ही समवाय विशेष का ही आधिपत्य है। इसका कारण यही है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिकारियों की विभिन्न समवायों में जो स्थिति थी उसका ध्यान नहीं रखा गया। और क्योंकि एक ही समवाय का आधिपत्य हो गया है इसलिये पक्षपात और परिवार पोषण के आरोप लग रहे हैं, और मामला इस प्रकार का है कि जांच होनी ही चाहिये। मेरे पास दक्षिणी क्षेत्र के सम्बन्ध में एक गुमनाम टाइप किया हुआ नोट है जिसे मंत्रालय के अधिकारियों के पास भी भेजा गया है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : गुमनाम नोट का कोई मूल्य नहीं, इसका कुछ प्रयोग नहीं हो सकता।

†**श्री अ० म० थामस** : वे घटनाएं हैं, और लगभग २५ मामले हैं, कुछ भी हो उनकी जांच तो होनी ही चाहिये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : एक गुमनाम नोट पर हम कोई जांच नहीं कर सकते। और हम गुमनाम पत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं देते।

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ भी हो, मंत्री महोदय ने यह तो सभा में माना है कि कठोरता और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के मामले यदि उनके ध्यान में लाये गये तो वह उनकी जांच करेंगे। परन्तु मैं जोर दूंगा कि जो मामले वित्त मंत्रालय को सभा के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा भेजे गये हैं उन्हें एक न्यायिक अधिकारी को अध्ययन के लिये देने चाहिये। परन्तु कईयों के बारे में तो इतना भी नहीं बताया जाता कि वे प्राप्त भी हुए हैं कि नहीं।

मैं उन सिद्धांतों की बात करता हूं जो कि अपनाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में तीसरा सिद्धान्त बीमा समवाय में लगातार सेवाकाल के सम्बन्ध में है। और उस पर भी विचार किया जाना चाहिये। फिर यह भी है कि विभागीकरण ठीक ढंग से नहीं किया गया। केरल के कई ऐसे नवयुवकों को भी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

नहीं लिया गया जिन्होंने कि हमारे आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए क्षेत्र में बीमे का सन्देश फैलाया, और जो इससे पूर्व प्रमुख पदों पर थे।

दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न विभागों को देखने से पता चलता है कि सारे इलाके में केवल ७ से १० शाखायें हैं। त्रिवेन्द्रम के अन्तर्गत ४ शाखायें हैं, और कहा जाता है कि त्रिवेन्द्रम विभाग बनाया गया है। इन हालात में विभिन्न अधिकारियों को जो कि देश के इस भाग में पहले उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर थे कैसे सम्मिलित किया जा सकता है? और इस मामले की जांच होनी चाहिये।

इस मामले पर हमें सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिये। देश के उस भाग में ऐसे कई शिक्षित लोग हैं जो इस क्षेत्र में अच्छे पदों पर थे, परन्तु उन्हें समुचित स्थान नहीं दिया जा सका। मैं जो बात वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं वह यह है कि इस मामले को भारतीय स्तर पर सोचा जाना चाहिये न कि किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर। क्योंकि इससे ऐसे कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा जो कि इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर चुके हैं।

और भी कई बातें हैं जिनकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, परन्तु समय अभाव से ऐसा नहीं कर पा रहा। प्रत्येक बात की ओर न तो वित्त मंत्री का ही और न ही निगम के सभापति का ही ध्यान जा सकेगा। लाल समिति नियुक्त तो हो गई है परन्तु शायद उसके लिये भी २१ हजार कर्मचारियों की शिकायतें सुनना सम्भव न हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक मामले के परीक्षण के लिये उचित अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये। और फिर मामला निगम के पास जाना चाहिये। इस व्यवस्था के बिना निगम के लिये आवश्यक व्यापार का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव नहीं होगा।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मेरे विचार से हम न्याय के दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करें। बीमा निगम विधेयक पर इस सभा में चर्चा के समय माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों को डरने का कोई कारण नहीं है। किन्तु अब उनकी कई शिकायतें हैं। हम देखते हैं कि कुछ स्थायी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। उदाहरणार्थ कुछ समवायों के चिकित्सा सचिवों को जो स्थायी पदाधिकारी थे, अब सूचना दी गई है कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वे भारत में ऊंचाई और तौल के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी गवेषणा कार्य कर रहे थे। वह कार्य आवश्यक है या नहीं यह तो निगम कह सकता है। किन्तु उन स्थायी पदाधिकारियों को नौकरी से हटाया नहीं जाना चाहिये। उन्हें अन्य उपयुक्त काम दिये जायें। वे विभागीय कार्यालयों में सहायक प्रबन्धक के तौर पर रखे जा सकते हैं।

सरकार के सामने एक दूसरी कठिनाई है जो हम समझ सकते हैं। बहुत छोटे समवायों में बहुत कम वेतनक्रमों पर कर्मचारी रखे गये हैं और बड़े समवायों में ऊंचे वेतनक्रमों पर रखे गये हैं। बताया जाता है कि ५५–२२० रुपये वेतनक्रम से २,५०० कर्मचारियों को लाभ हुआ है; किन्तु उससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हानि हुई है। कहा जाता है कि उन्हें कुल जितना मिलता था, वह कम नहीं होगा और वह क्षतिपूर्ति, महंगाई भत्ता आदि से पूरा कर दिया जायगा। किन्तु सेवा-निवृत्ति वेतन और भविष्य निधि के मामले में उन्हें हानि होती है और फिर दक्षतारोक पार करने में भी उन्हें काफी समय लगेगा। उनमें से कुछ लोग अपने शेष सेवा के काल में दक्षतारोक कदाचित् पार ही न कर सकें। इससे उन्हें बड़ी कठिनाई होगी। वास्तविक वेतन की कमी पूरी करने के लिये कुछ समवायों में बीमे उनके नाम दिये गये थे। अब वे न मिलेंगे। इसलिये बोनस उपदान आदि के सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं। जब कि हम इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये

†मूल अंग्रेजी में।

कि कर्मचारियों की स्थिति पहले की अपेक्षा खराब न हो। किन्तु कुछ मामलों में हम देखते हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही है। मेरे विचार से उस हालत को दूर करने के लिये हमें कोई मार्ग ढूंढ निकालना होगा ।

देश में विभिन्न आकार के समवाय होने के कारण, सेवा की शर्तों जैसे छट्टियां आदि के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं जो दूर की जानी चाहियें। कुछ समवायों में वतनक्रम कम थे किन्तु उनका व्यापार बहुत अच्छा था और उनमें बड़े योग्य और अनुभवी पदाधिकारी थे। किन्तु चूंकि उन्हें ऊंचा वेतन नहीं मिलता था वे अब लिपिक ही रह जायेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये। देश में समवाय विभिन्न आकार के होने के कारण सरकार को यह समस्या हल करने में कठिनाई हो रही है। हम थोड़ा और समय ले लें और न्याय की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करें। कौन सा मार्ग निकाला जाय और वह आयोग हो या और कुछ हो, यह एक अलग सवाल है। किन्तु कर्मचारियों की सभी शिकायतें दूर की जानी चाहियें ताकि उन्हें कोई हानि न हो।

यह कहा जाता है कि अब यह सरकारी संस्था होने के नाते बोनस और अन्य चीज़ें, जो पहले दी जाती थीं, वह अब नहीं दी जा सकतीं। व्यापारिक समवाय होने के कारण कर्मचारियों के लाभ पहले दिये जाते थे, किन्तु अब सरकारी निगम के अधीन वे सारे लाभ वेतनक्रम या भत्ते आदि के रूप में मिला दिये जाने चाहिये। कुल जितनी धनराशि उन्हें मिलती थी वह उन्हें मिलनी चाहिये और साथ ही चिकित्सा सहायता, कैन्टीन आदि के लाभ भी मिलने चाहियें। अतः न्याय की दृष्टि से हम इस समस्या पर विचार करें ।

भिन्न-भिन्न समवायों में विभिन्न नामों के अधीन भिन्न-भिन्न वेतनक्रम हैं। बड़े समवायों में कुछ व्यक्ति लिपिक के तौर पर काम करते हुए उन्हें उन अधिक योग्य व्यक्तियों की अपेक्षा जो छोटे समवायों में पदाधिकारी के तौर पर काम करते थे, अधिक वेतन मिलते थे। अतः अब उन योग्य व्यक्तियों को उन लिपिकों के अधीन, जिन्हें बड़ समवायों में होने के कारण ऊंचे वेतन मिलते थे, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। इन सब बातों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि इस समस्या पर न्याय के दृष्टिकोण से विचार करना बिलकुल उचित है ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : पहले भी कई राष्ट्रीयकरण हुए हैं जैसे विमान सेवाओं का, इंपीरियल बैंक का और हाल में कोलार सोने की खानों का। किन्तु किसी भी मामले में राष्ट्रीयकरण की इतनी आलोचना और निन्दा नहीं की गई थी जितनी कि बीमे के राष्ट्रीयकरण के मामले में की गई है। किसी भी मामले में इतनी अधिक शिकायतें नहीं थीं जितनी कि इस मामले में। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय हमने सोचा था कि सरकार नौकरशाही दृष्टिकोण के बजाय समाजवादी दृष्टिकोण रखेगी और इसी कारण हम सब ने एकमत होकर जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था। किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद आज एक साल पूरा हो जाने के बाद अब भी बड़ी गम्भीर हालत है। भूतपूर्व वित्तमंत्री ने कहा था कि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे और नये निगम में केवल मुफ्तखोरों को ही जगह नहीं मिलेगी। किन्तु आज निगम या सरकार बिलकुल ठीक उलटा कर रही है। हम देखते हैं कि आज अवांछित मुफ्तखोर ही ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किये जा रहे हैं। अतः राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों को कोई संतोष या सहायता नहीं मिली है, बल्कि उन्हें दंड दिया गया है। हम सभी इससे सहमत होंगे ।

राष्ट्रीयकरण के बाद, पदाधिकारियों को चुनने के लिये एक समिति ने काम करना शुरू किया किन्तु बाद में राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री श्री म० च० शाह की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी]

बनाई गई । मैं नहीं जानता कि दो समितियां क्यों बनायी गईं । विभिन्न पदों पर नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गयीं और उन नियुक्तियों के कोई सिद्धान्त नहीं अपनाये गये । अब जब हम यह कहते हैं कि इन सब चीजों का वैज्ञानिकन हो, कोई कर्मचारी पीड़ित न रहे तब यह उत्तर दिया जाता है कि लाल समिति के निर्णय प्राप्त होने के बाद फिर हम संपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे ।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि लगभग एक साल हो जाने के बाद भी हम ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं कर पाये हैं और कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं । अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संथा के इस कथन का मैं पूरा-पूरा समर्थन करता हूं कि कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रशासन का दृष्टिकोण बिलकुल गलत, तर्करहित और विचाराहीन है । अत: मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि वह अपना दृष्टिकोण बदलें और किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार हानि न हो । जहां कोई हानि अनिवार्य हो, उस कर्मचारी को बचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रीयकरण के बाद अनेक कर्मचारियों को बिना कारण ही हटा दिया गया है । उसके अतिरिक्त, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया है, वेतनक्रम सेवा की दशाएं और नियुक्ति की अन्य शर्तें बुरी तरह बदल दी गई हैं । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की राष्ट्रीयकृत संस्था में हम कर्मचारियों के प्रति ऐसा व्यवहार ठीक मान लें । विधेयक पर चर्चा के समय हमने कहा था कि इन सब कठिनाइयों का अन्दाजा लगाने के लिये कर्मचारियों से अधिक निकट संपर्क रखा जाये, उन्हें सह-निर्णय और सहयोग के अधिकार दिये जायें किन्तु भूतपूर्व वित्तमंत्री ने वह मांग स्वीकार नहीं की । अब वर्तमान वित्त मंत्री कहते हैं कि कर्मचारियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है । किन्तु वह अनुशासनहीनता बिना कारण या निराधार नहीं है । जनवरी में जब राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई, तब सर्वप्रथम कर्मचारियों ने बधाई का पत्र भेजा । वह प्रारम्भ से ही सहयोग देते रहे हैं । इसलिये मैं विश्वास नहीं करता कि अब वही कर्मचारी असहयोग कर रहे हैं । किन्तु यदि कोई अनुशासनहीनता हो या कुछ लोगों ने निष्ठाहीनता दिखाई हो तो वह सरकार के निगम के कार्यों के कारण ही है ।

निगम या संचालक बोर्ड की रचना इस प्रकार है कि हम यह आशा नहीं कर सकते कि उससे कर्मचारियों म विश्वास की भावना उत्पन्न हो । मुझे यह सुनकर बड़ा खेद हुआ कि संचालक बोर्ड के कुछ लोगों ने बीमे के राष्ट्रीयकरण की कल्पना की ही कड़ी आलोचना की थी । अब हम किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के सहयोग से बीमे का राष्ट्रीयकरण सुचारु रूप से चलेगा । अत: वित्त मंत्री थोड़ी बुद्धिमानी से काम लें । वे कर्मचारियों के साथ बातचीत करें और समस्या हल करें । मैं चाहता हूं कि वह मजूरी बोर्ड कायम करें या यदि ऐसा करने के पहले वे आवश्यक समझें, तो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करें जो उन्हें हल निकालने में सहायता करने के लिये बहुत उत्सुक हैं ।

मेरे विचार से, एक राष्ट्रीयकृत संस्था के लिये लज्जा और अपमान का विषय है कि उसके कर्मचारियों का मूल वेतन ५५ रुपये रखा जाये । इस प्रकार आप राष्ट्रीयकरण की कल्पना का ही अपमान कर रहे हैं । अन्त में मैं यही कहूंगा कि सरकार कर्मचारियों से मिलने, मजूरी बोर्ड स्थापित करने और वेतन तथा नियुक्ति की दशाओं आदि का वैज्ञानिकन करने का हमारा सुझाव स्वीकार कर ले ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर) : बीमा कर्मचारियों के वेतनक्रम और सेवा की शर्तों पर चर्चा करने का प्रस्ताव मैंने इस कारण रखा था कि राष्ट्रीयकरण के बाद हमें अनेक सूचनायें और ऐसे पत्र, जिनमें हस्ताक्षर हैं और नहीं भी हैं, मिले हैं जिनसे कोई भी यह समझ सकता है कि बीमा उद्योग में बड़ी गंभीर स्थिति है । माननीय वित्त मंत्री से मेरी केवल यही प्रार्थना है कि वे बीमा कर्मचारियों की शिकायतें मालूम करें और उनकी उचित मांगें स्वीकार भी करें । कर्मचारियों द्वारा लिखे गये पत्रों से ही नहीं बल्कि

†मूल अंगेजी में ।

मद्रास के 'हिन्दू' जैसे उत्तरदायी समाचार पत्र से हमें मालूम होता है कि उस उद्योग की हालत बहुत खराब है। उसने अपने अग्रलेख में लिखा है कि "काफी संख्या में कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है और वह नये संगठन की नैतिकता के लिये ठीक नहीं है। बीमे का तब तक विस्तार नहीं हो सकता जब तक कि संतुष्ट और उत्साही कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध न की जायें। संचालकगण तुरन्त एक संगठन कायम करें जो सभी पीड़ित कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करे और उन्हें आश्वासन दे कि उनके साथ न्याय किया जायेगा।"

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या 'हिन्दू' जैसे समाचारपत्र ने बिना सारी स्थिति का ठीक-ठीक अध्ययन किये ही अपने अग्रलेख में ऐसा लिखा है। इतना ही नहीं 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' ने भी अपने अग्रलेख में लिखा है कि "जनता को बीमे की किश्तें जमा करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि बीमे की रकम नहीं ली गई और चेक वापस कर दिये गये। मनीआर्डर भी लौटाये जा रहे हैं।"

इसी आशय के पत्र भी आये हैं। एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर एक पत्र भेजा है कि उसके बीमे की प्रस्थापना अभी उसी तरह पड़ी हुई है। आशा है मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे। इसी तरह एक दूसरा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि उसने बीमे की किश्त भेज दी है किन्तु अभी तक उसे रसीद नहीं मिली है। इसी ढंग के और भी कई पत्र हैं और आशा है कि मंत्री महोदय इन पत्रों के बारे में जांच करेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इससे यह दिखाई पड़ता है कि उद्योग की हालत बहुत ही खराब है। माननीय वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योग ने कोई प्रगति नहीं की है। इसका यह कारण नहीं कि कर्मचारी राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं और वे कुछ न कुछ उत्पात जारी रखना चाहते हैं। मेरी समझ से तो इसके दो मुख्य कारण हैं।

एक तो यह कि जीवन बीमा निगम के सूत्रधार ही राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। राष्ट्रीयकरण के पहले उन्होंने वक्तव्य जारी किये थे कि वे राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। वे ही लोग कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं ताकि वे हड़ताल आदि करें। जब तक निगम का सूत्र राष्ट्रीयकरण के इन विरोधियों के हाथ में रहेगा, सरकार कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में जांच नहीं करती और उनकी उचित मांगों को स्वीकार नहीं करती तब तक यही स्थिति जारी रहेगी। सरकार उनमें विश्वास उत्पन्न करे और यदि उनकी मांगें उचित न हों तो उन्हें विश्वास दिलाये कि वह उचित नहीं हैं।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बीमा उद्योग वस्त्र उद्योग या अन्य उद्योगों की तरह नहीं है। उस उद्योग में मानव कर्मचारी ही मशीन है और राष्ट्रीयकरण के पहले और बाद भी वही सबसे अधिक पीड़ित रहा है। उसी के उत्साहपूर्ण-कार्य से ही इस उद्योग का विकास होगा। इस उद्योग के लिये यही आवश्यक होता है कि वह लोगों के पास बार-बार जाये, उन्हें बीमे का लाभ समझाये और लोगों के साथ व्यवहार करे। इस उद्योग में धन का विनियोजन आवश्यक नहीं होता जैसा कि श्री साधन चन्द्र गुप्त ने बताया और हमें प्रतिवेदनों से ज्ञात हुआ है, यह उद्योग मुनाफों को हाथ लगाये बगैर भी कर्मचारियों की मांगें पूरी कर सकेगा। गैर-सरकारी पूंजीपतियों ने ये भुगतान किये हैं और फिर भी उद्योग की वित्तीय स्थिति ठीक है। १२ करोड़ रुपये वार्षिक आय और १९५४ में २ करोड़ रुपये मुनाफ़े को हाथ लगाये बिना, वह मांगें बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत व्यय की सीमाओं के अन्तर्गत पूरी की जा सकती हैं।

[श्री अ० क० गोपालन]

सरकार ने जब इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया तो कर्मचारियों ने सर्वप्रथम उसका स्वागत किया क्योंकि सरकार की तरह वे भी यह चाहते थे कि बीमा कराने वालों के रुपयों का दुर्विनियोग न हो और उनकी सेवा सुरक्षित रहे और काम की दशाओं में सुधार हो। वे समझते थे कि उससे न केवल उनकी हालत सुधरेगी बल्कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सरकार को अधिक धन भी मिलेगा।

उद्योग की वित्तीय स्थिति का जहां तक सम्बन्ध है, १९४५ में कुल ५७७ करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था किन्तु १९५२ में ९२२ करोड़ रुपये, १९५३ में ९६५ करोड़ रुपये और १९५४ में १,०५९ करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। १९५४ म ३८६ करोड़ रुपये की कुल आस्तियां थी जब कि १९४५ में वह केवल १०७·५ करोड़ रुपये की थीं। इससे यह दिखायी पड़ता है कि १९५४ तक व्यापार बढ़ता जा रहा था। यदि राष्ट्रीयकरण के बाद उत्तरदायी कर्मचारियों की मांगे स्वीकार की गयीं होतीं तो व्यापार भी दुगना या तिगुना बढ़ गया होता और सरकार राष्ट्रीयकरण के विरोधियों के सम्मुख वे आंकड़े रख सकती।

इस देश में कुछ थोड़े से लोग हैं जो राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं क्योंकि उसमें उनका हित है। उनका यह कहना है कि राष्ट्रीयकरण देश के हित में नहीं है; उन्होंने कर्मचारियों को सब कुछ दे डाला किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ नहीं हुआ।

कहा जाता है कि पुनरीक्षण योजना क अधीन ८० प्रतिशत कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल रहा है और केवल २० प्रतिशत कर्मचारियों को ही कम मिल रहा है। प्रश्न केवल इतना ही है कि उन २० प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन ८० प्रतिशत कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाये। मैं जानता हूं कि हर एक समवाय में अलग-अलग वेतनक्रम थे किन्तु जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तो कर्मचारियों की यह स्वाभाविक ही इच्छा थी कि सरकार की नीति उनके रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने की, आय की असमानता दूर करने और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की होती। राष्ट्रीयकरण के बाद, अधिकतम आय पाने वाला व्यक्ति भी यह सोचता कि उसका वेतन कम नहीं किया जायेगा और कम वेतन पाने वाले लोग यह सोचते कि उनका वेतन दूसरों के बराबर कर दिया जायेगा। राष्ट्रीयकरण के पहले गैर-सरकारी बीमा समवायों में जिन लोगों को अधिक वेतन दिये जाते थे वह इसलिये थे कि प्रत्येक समवाय में स्पर्द्धा थी क्योंकि गैर-सरकारी बीमा मालिक यह सोचते थे कि इस प्रकार वे कर्मचारियों को अधिक उत्साही बना सकेंगे, उनसे अधिक काम और अधिक व्यापार और उसके फलस्वरूप अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद, २० प्रतिशत लोगों के जीवनयापन-स्तर को ८० प्रतिशत लोगों के जीवनयापन-स्तर के समकक्ष लाने के लिये यदि वेतनक्रमों में कटौती की जाती है तो यह ठीक नहीं।

श्री थामस ने जिस बात का उल्लेख किया उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद मुझे एक व्यक्ति से यह सूचना प्राप्त हुई है कि वह वित्त मंत्री के वक्तव्य को चुनौती देता है। मुझे ऐसे सैंकड़ों मामले ज्ञात हैं जिनमें भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद हुआ है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह चुनौती देने वाले व्यक्ति को बुलाकर उससे पूछताछ करें। इतना ही नहीं किन्तु लाल समिति के बारे में भी ऐसे ही आरोप लगाये गये हैं। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में जांच करें। श्री थामस ने जब इस बात का उल्लेख किया था तो मंत्री महोदय ने कहा कि उन शिकायतों पर लोगों के हस्ताक्षर नहीं हैं। कई लोग, जो सेवायुक्त हैं, अपने नाम न दे सकते हों, किन्तु कई ऐसे मामले हैं जिनमें लोग वित्त मंत्री के समक्ष अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिये तैयार हैं।

श्री थामस ने एक और बात का उल्लेख किया है। जहां तक मलाबार का सम्बन्ध है वह केरल राज्य के गठन के बाद भी केरल क्षेत्र में नहीं जोड़ दिया गया। श्री थामस ने कहा कि यदि अधिक शाखायें

हों तो कई शिक्षित व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इससे बेरोज़गारी का प्रश्न भी किसी हद तक हल हो सकता है ।

मैसूर बीमा विभाग के बारे में यह शिकायत है कि वहां काम करने वाले लोगों के वेतनक्रम उन लोगों से भिन्न हैं जो निजी समवायों में चले गये हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री वेतनक्रमों के इस अन्तर को दूर करें। मेरा निवेदन है कि जहां तक बीमे का सम्बन्ध है सरकार को अच्छा वातावरण पैदा करना चाहिये। सरकार को कर्मचारियों से अथवा उनके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके उनकी जायज़ शिकायतों के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये। इस उद्योग के विकास और राष्ट्रीकरण के लिये जनता के समर्थन को देखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि वित्त मंत्री इन सब बातों पर विचार करें। मैं आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मुझे एक वृद्ध डाक्टर से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि चूंकि उनकी आयु ६५ वर्ष से अधिक है इसलिये उन्हें कोई काम न सौंपा जायेगा। इस प्रकार का कोई नियम है अथवा नहीं, यह तो मैं नहीं जानता किन्तु माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात की जांच-पड़ताल करें।

माननीय मंत्री का ध्यान मैं इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि डाक्टरी पेशे के जो लोग अस्पतालों में, सरकारी नौकरी में या पहले से सेवायुक्त हैं उन्हें इस प्रकार का काम न दिया जाये। यह काम दूसरे व्यक्तियों को सौंपा जाये ताकि काम का उचित वितरण हो सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन दोनों बातों पर विचार करेंगे ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : मैं यह जानना चाहता हूं कि बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या विभिन्न समवायों में अब भी विभिन्न वेतन-क्रम विद्यमान हैं और क्या वे उन वेतनक्रमों से अधिक हैं जो 'ओरियंटल' या 'न्यू इन्डिया' या 'वैस्टर्न इन्डिया' इन समवायों द्वारा पहले दिये जाते थे। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पहले जितनी ही है या उससे कम-ज्यादा है ?

†**श्री मो० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मैं वित्त मंत्री से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या सुपरवाइज़रों (अधीक्षकों) की प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन हुआ है और क्या उन्हें तरक्की देकर इन्स्पेक्टर बना दिया गया है ? दूसरा यह कि क्या इन्स्पेक्टरों के वेतन पर और उनकी सेवा की सुरक्षा पर भी कोई प्रभाव पड़ा है ? मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** (गौहाटी) : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, क्योंकि नये और कम अनुभव वाले व्यक्तियों को, पुराने अनुभवी लोगों की अपेक्षा, अधिक महत्व दिया जा रहा है। आसाम में केवल भास्कर बीमा समवाय चल रहा है और उसके मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के साथ अन्य समवायों के कर्मचारियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री कर्मचारियों के प्रति व्यवहार के इस विभेद को दूर करेंगे ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कोई ऐसे सरकारी निगम या उपक्रम हैं जहां लाभांश (बोनस) का भुगतान एक नियमित

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री व० बा० गान्धी]

व्यवस्था है ? मुझे पता चला है कि सिंदरी निगम, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और भारत के राज्य बैंक ने लाभांश दिया है ।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : राष्ट्रीयकरण के बाद क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बीमा समवायों के सभी कर्मचारियों को काम दिया गया है या कुछ कर्मचारियों को अथवा डाक्टरी जांच करने वाले और विधि-परामर्शदाता जैसे कई कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है ? मैं ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जानना चाहता हूं ।

†**श्री थानु पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अनुपाततः[1] कर्मचारियों को, जो बाह्य क्षेत्र में काम करते थे, राष्ट्रीकरण-पूर्व शर्तों पर किसी प्रतिभूति के आधार पर[2] नियुक्त किया जायेगा या किन्हीं अन्य शर्तों पर ? बाह्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन-क्रम क्या होगा और उनकी संख्या कितनी होगी ? क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को, केवल उनके कार्य के आधार पर, कार्यालय प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया है जबकि कतिपय दक्ष कर्मचारियों की पदावनति करके उन्हें साधारण इन्स्पेक्टर बना दिया गया है। क्या माननीय मंत्री इन शिकायतों के बारे में जांच आदि करेंगे ?

†**श्री सु० चं० देव** (कचार–लुशाई पहाड़ियां) : क्या माननीय मंत्री, अभिकर्ताओं को बाह्य क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करने के हेतु प्रोत्साहन देने के लिये खण्ड प्रणाली[3] को फिर से लागू करन के सम्बन्ध में विचार करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, माननीय सदस्य यदि इस प्रकार प्रश्न पूछते जायें तो उत्तर देने के लिये मेरे पास कोई समय नहीं रहेगा ।

मैं श्री साधन गुप्त द्वारा कही गई विभिन्न बातों का उत्तर देना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सदस्यों को कुछ देर तक बैठने के लिये कहना पड़ेगा । मैं छोटी-मोटी बातों को पहले निबटा देता हूं ।

डाक्टरों के धर्म संकट के बारे में कुछ सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे । बात वास्तव में यह है कि १८० समवाय हैं और प्रत्येक समवाय का कहीं न कहीं कोई डाक्टर रहा है । वस्तुतः यदि मेरे से पहले के वित्त मंत्री द्वारा प्रदत्त इस आश्वासन का उल्लेख किया जाये और उसे डाक्टरों, वकीलों और उन पर निर्भर सब व्यक्तियों को लागू किया जाये और यह कहा जाये कि उनकी सेवा सुरक्षित रहेगी तो मुझे खेद है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री का आशय यह नहीं था । उदाहरण के लिये बम्बई में विभिन्न बीमा समवायों के लिये डाक्टरी जांच करने के लिये १,४०० से अधिक डाक्टर नियुक्त हुए हैं । जो काम इस समय है उसे १,४०० डाक्टरों के बीच निश्चय ही नहीं बांटा जा सकता । हमने ३६० डाक्टरों को चुन लिया है । अनुमान यह है कि इन ३६० डाक्टरों को, थोड़े बहुत अन्तर के रहते हुए, प्रति मास औसतन १५० रुपये पारिश्रमिक मिलेगा । किन्तु, यदि ५४,००० रुपये की इस राशि को १,४०० डाक्टरों के बीच वितरित किया जाये तो प्रत्येक को प्रति मास ३७ रुपये प्राप्त होगा जोकि उस काम को देखते हुए किसी डाक्टर के लिये उचित पारिश्रमिक नहीं है । मेरा ख्याल है कि जहां तक डाक्टरों और वकीलों का सम्बन्ध है, किसी न किसी प्रकार का वैज्ञानिकन अवश्यंभावी है । यदि शहरों से दूर किसी स्थान में रहने वाले किसी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१. Prorata .

२. Guarantee Basis .

३. Slab System .

व्यक्ति का कोई विशिष्ट मामला है तो हम उस सम्बन्ध में जांच करेंगे । किन्तु, मैं इसे स्पष्ट कहे देता हूं कि कारपोरेशन (निगम) के किसी स्थायी कर्मचारी के अथवा बीमा समवायों के स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिस प्रकार विचार किया गया उस प्रकार डाक्टरों की समस्या पर विचार नहीं किया जा सकता ।

आसाम के बारे में उल्लेख किया गया था । कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वहां केवल एक ही समवाय है । यदि वहां एक ही समवाय है और यदि आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो, यह स्वाभाविक है कि आसाम के सब लोगों के लिये व्यवस्था करना असम्भव है । किन्तु वह एक ऐसी बात है जिस की जांच की जा सकती है । आसाम की सही स्थिति जाने बिना मैं इस समय और कुछ नहीं कह सकता ।

श्री फीरोज़ गांधी ने एक संगत बात उठाई है । उन्होंने पूछा कि अभी जो दरें निर्धारित की जा रही हैं और उन व्यक्तियों को जो कुल पारिश्रमिक मिलता है, उसकी तुलना इससे पहले उन्हें प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से किस प्रकार की जा सकती है । श्री गांधी यह जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा मामला भी है जहां पारिश्रमिक पहले से अधिक है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पूछा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण , जोकि निश्चय ही अस्थायी प्रकार की है, खर्च कम हुआ है अथवा बढ़ गया है । मेरे विचार में उन्होंने एक अच्छा विषय लेकर अपना भाषण प्रारम्भ किया है ।

मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने २० मिनट तक आंकड़े पढ़ कर बताये । उन्होंने यह बताया कि प्रत्येक मामले में हमने जो कुछ किया उससे लोगों को हानि हुई है और मेरा ख्याल है कि उनका आशय बड़े समवायों से था । मैं चाहता हूं कि सभा इस बात को समझे कि यह बात १८० समवायों के विलीनीकरण से सम्बन्ध रखती है । जहां तक विलीनीकरण का सम्बन्ध है, वह तो किया ही जाना चाहिये । मैं श्री गाडगील को यह बता दूं कि पीछे हटने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि निदेशक कौन है, राष्ट्रीयकरण को गलत कौन कहता है; राष्ट्रीयकरण को कौन लोग गलत निरूपित करते हैं । बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण अस्तित्व में रहेगा । उसका अस्तित्व है और उसका विकास होगा । हमारी निश्चय ही यह धारणा है कि यह राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम, या भविष्य में उसका स्थान लेने वाला कोई अन्य अभिकरण, एक ऐसी बात है जो जनसाधारण के लिये सुरक्षा की व्यवस्था करने और उसकी कुछ बचत को खपा लेने में भी महत्वपूर्ण कार्य करेगा । इसलिये कारपोरेशन का भविष्य एक ऐसी बात है जो पूर्णतः निश्चित है । वह कारपोरेशन होगा या कुछ होगा, किन्तु राष्ट्रीयकरण अस्तित्व में अवश्य रहेगा । किसी प्रकार से विमुख होने का अब कोई प्रश्न नहीं उठता । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह स्वाभाविक है कि हमें एक ऐसे आधार पर कार्य करना होगा जिससे कि यह बात होकर रहे । १८० से अधिक समवायों का विलय किया जाना था । मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ किया गया है वह सर्वोत्कृष्ट है । कारपोरेशन के जो अधिकारी इस कार्य को कर रहे थे उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था । संभव है कि यदि मैं उस कार्य को फिर से करूं तो मैं किसी भिन्न तरीके से करूंगा । होता यह है कि कोई ७ या ८ समवाय ऐसे हैं जो काफी ऊंचे वेतनक्रमों के अनुसार वेतन देते रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : उन्होंने ८० प्रतिशत कर्मचारियों को सेवायुक्त किया था ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: मेरे भाषण में बाधा न डाली जाय । बात यह है कि ७ या ८ समवाय—संभव है उन्होंने सबसे अधिक लोगों को सेवायुक्त किया हो—काफी ऊंचा वेतन दे रहे थे जबकि कई अन्य समवाय अपने कर्मचारियों को इससे काफी कम वेतन देते थे । उदाहरण के लिये, श्री साधन गुप्त

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

ने सभा को 'हिन्दुस्तान को-आपरेटिव' के वेतनक्रम के बारे में यह नहीं बताया कि वह ८० रुपये से ३२० या ३३०, यथास्थिति था, जबकि 'ओरिएन्टल', 'न्यू इन्डिया' और कई अन्य समवायों के छोटे और बड़े वेतनक्रम[1] हैं। इसलिये माननीय सदस्य का यह कथन, कि नौकरी लगने पर किसी व्यक्ति को पांच वर्ष बाद इतना मिलेगा, दस वर्ष के बाद इतना मिलेगा, कोई मानी नहीं रखता। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा करना केवल एक-दो समवायों के लिये संभव हो सका है, जिसके लिये उन्हें काफी आन्दोलन करना पड़ा था।

संभव है कि यदि कारपोरेशन के गठन के समय मेरा उससे कोई सम्बन्ध होता तो मैं यह कह देता कि "हिन्दुस्तान कोआपरेटिव को पूर्ववत् काम करने दिया जाये। हम उसके विलय के बारे में बाद में कुछ करेंगे। अभिरक्षक[2] उसका प्रबन्ध करेगा और समवाय का कार्य जारी रहेगा।" संभव है कि मैंने उन्हीं समवायों के विलय के लिये कहा होता, जिनके वेतनक्रम आदि एक जैसे थे। किन्तु यह कहना कोई मतलब नहीं रखता कि मैंने ऐसा किया होता, क्योंकि कोई बात हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति पहले से अधिक समझदार हो सकता है। माननीय सदस्य ने क्षणिक भावावेश में आकर वास्तविक तथ्य की उपेक्षा की है। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मुझे आपत्ति तो नहीं है, किन्तु यदि उनकी यह धारणा है कि आंकड़ों का उल्लेख करके वे कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो वह ग़लती कर रहे हैं। मैं अभी यह सिद्ध कर दूंगा कि बड़े समवायों में भी, जो काफी उदारता से वेतन देते थे, कर्मचारियों को जो वेतन प्राप्त होता था वह उन्हें कारपोरेशन में प्राप्त होने वाले वेतन से अधिक नहीं। 'ओरिएन्टल' को ही लीजिये। पुराना वेतनक्रम इस प्रकार था : ९५ रुपये--मूल वेतन और महंगाई भत्ता ५८ रुपये अर्थात् कुल १५३ रुपये। कारपोरेशन का वेतन-क्रम है ९८ रुपये--मूल वेतन और ५० रुपये महंगाई भत्ता और ५ रुपये निजी वेतन[3], अर्थात् कुल मिलाकर १५३ रुपये। ओरियन्टल का मूल वेतन ९५ रुपये था और हमारा मूल वेतन ९८ रुपये है किन्तु दोनों का कुल वेतन १५३ रुपये ही है। अब दूसरी स्थिति भी देखिये। पुराने वेतनक्रम में १०० रुपये मूल वेतन और ५८ रुपये का महंगाई भत्ता अर्थात् कुल १५८ रुपये था। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, तत्स्थानी आंकड़ा १०४ रुपये--मूल वेतन और ५५ रुपये महंगाई भत्ता है और इसका योग १५९ रुपये होता है। हम पहले से एक रुपया अधिक देते हैं। तीसरी अवस्था है १०५ रुपये का मूल वेतन और ६४ रुपये का महंगाई भत्ता, जिसका योग १६९ रुपये होता है। हम १११ रुपये का मूल वेतन और ५५ रुपये का महंगाई भत्ता और ३ रुपये का निजी वेतन दे रहे हैं जिसका योग भी १६९ रुपये होता है। इसके बाद की अवस्थायें हैं, १७५ रुपये और १७५ रुपये; १८२ रुपये और १८२ रुपये; १८८ रुपये और १८८ रुपये; १९५ रुपये और १९५ रुपये तथा २०२ रुपये और २०२ रुपये। नौवें वर्ष का वेतन है १४२ रुपये का मूल वेतन और ६७ रुपये का महंगाई भत्ता, जो मिला कर कुल २०९ रुपये बनता है। कारपोरेशन में तत्स्थानी आंकड़ें हैं १५३ रुपये का मूल वेतन और ६० रुपये का महंगाई भत्ता; योग २१३ रुपये, अर्थात् हम ४ रुपये अधिक दे रहे हैं। इसके बाद पुराना वेतनक्रम है १४९ रुपये का मूल वेतन और ६८ रुपये की महंगाई भत्ता जिसका योग २१७ रुपये होता है। कारपोरेशन के तत्स्थानी वेतनक्रम में इसकी स्थिति इस प्रकार है : १६० रुपये का मूल वेतन और ६० रूपये की महंगाई भत्ता; योग २२० रुपये अर्थात् तीन रुपये की वृद्धि। इसके बाद है १५६ रुपये का मूल वेतन और ६९ रुपये का महंगाई भत्ता, जिसका योग २२५ रुपये होता है। कारपोरेशन में मूल वेतन १७० रुपये और मंहगाई भत्ता ६० रुपये जिसका योग २३० रुपये है; अर्थात् ५ रुपये अधिक मिलता है। इसके बाद है मूल वेतन १६३ रुपये और ६९ रुपये का महंगाई भत्ता जिसका योग २३२ रुपये है। कारपोरेशन के अन्तर्गत मूल वेतन १८०

---

१. Junior and Senior Pay Scales.
२. Custodian.
३. Personal pay.

रुपये और ६० रुपये का महंगाई भत्ता, जिसका योग २४० रुपये होता है; अर्थात् ८ रुपये अधिक । अगले वर्ष में उसे १७० रुपये का मूल वेतन और ७० रुपये का महंगाई भत्ता अर्थात् कुल मिला कर २४० रुपये प्राप्त हुए । कारपोरेशन में उसे १९० रुपये का मूल वेतन और ६० रुपये का महंगाई भत्ता यानी कुल मिला कर २५० रुपये मिले । उससे अगले वर्ष में मूल वेतन १७८ रुपये और ७९ रुपये का महंगाई भत्ता यानी कुल मिला कर २५७ रुपये का वेतन मिलता है । कारपोरेशन में २०० रुपये का मूल वेतन और ६० रुपये का महंगाई भत्ता यानी कुल मिला कर वेतन २६० रुपये मिलते हैं—अर्थात् ३ रुपये अधिक मिल जाते हैं । अन्त में, १८६ रुपये का मूल वेतन और ८० रुपये का महंगाई भत्ता यानी कुल मिला कर २६६ रुपये मिलते हैं । कारपोरेशन में जो वेतनक्रम है वह इस प्रकार है :—२१० रुपये का मूल वेतन और ६५ रुपये का महंगाई भत्ता जिसका कुल योग २७५ रुपये है ।

मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि यह कहने का क्या उद्देश्य है कि प्रत्येक को हानि हुई है ? (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो तर्क करने का एक ढंग है । माननीय सदस्य के खड़े होने और उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक 'न्यू इन्डिया' 'ख' का सम्बन्ध है, सब कुछ वैसा ही है । यदि आप पुराने वेतनक्रम के ८७ रुपये के क्रम को लें तो उसमें कुल वेतन १५१ रुपये बनता है; हम १५१ रुपये देते हैं । अन्त में जाकर १७१ रुपये का मूल वेतन और ८८ रुपये का महंगाई भत्ता है जिसका योग २५९ रुपये है । हम मूल वेतन १८० रुपये, महंगाई भत्ता ६० रुपये और १८ रुपये का निजी वेतन देते हैं जिसका योग भी २५९ बनता है । इसलिये जहां तक 'ख' का सम्बन्ध है, उसमें कोई भी अन्तर नहीं ।

'हिन्दुस्तान कोआपरेटिव' के ९२ रुपये के मूल वेतन और ६२ रुपये के महंगाई भत्ते के स्थान पर हम ९२ रुपये का मूल वेतन और ५० रुपये का महंगाई भत्ता और १२ रुपये का निजी वेतन दे रहे हैं यानी कुल वेतन १५४ रुपये बनता है; और इस प्रकार वेतन १५४ रुपये से आरम्भ होकर अन्त में यही वेतन २९१ रुपये तक पहुंच जाता है ।

जहां तक 'मेट्रोपालिटन' का सम्बन्ध है, हमारा वेतनक्रम अधिक अच्छा है । उनका पुराना वेतन-क्रम इस प्रकार था :—१०० रुपये का मूल वेतन और ५० रुपये का महंगाई भत्ता यानी कुल मिला कर १५० रुपये का वेतन बनता था । हम १५९ रुपये से आरम्भ करते हैं और अन्त में जाकर कुल वेतन ३२५ रुपये बनता है । २२५ रुपये के मूल वेतन और १०० रुपये के महंगाई भत्ते के स्थान पर हम २२० रुपये का मूल वेतन और ६५ रुपये का महंगाई भत्ता तथा ४० रुपये का निजी वेतन देते हैं और इन सबका योग ३२५ रुपये है ।

'नेशनल' में शुरू में कुल वेतन १५० रुपये होता है जबकि हम १५९ रुपये देते हैं । दूसरी अवस्था है १६१ रुपये जबकि हम १६६ रुपये देते हैं । तीसरी अवस्था में उनका वेतन १७१ रुपये है जब कि हम १७३ रुपये देते हैं । इसी तरह और आगे के वेतनक्रम हैं ।

मैं अब 'वेस्टर्न इन्डिया' कम्पनी को लेता हूं जिसमें श्री आल्तेकर को निश्चय ही दिलचस्पी होगी । श्री फीरोज़ गांधी को भी इसी प्रसंग में अपने प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा । 'वेस्टर्न इन्डिया' में शुरू में वेतन इस प्रकार हैं :—मूल वेतन १०९ रुपये और महंगाई भत्ता ४० रुपये ; योग १४९ रुपये जब कि हमारा

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मूल वेतन १०४ रुपये और ५५ रुपये का महंगाई भत्ता है जो कुल मिलाकर १५९ रुपये बनता है। मैं बीच के कतिपय वेतनक्रमों को छोड़कर १२१ रुपये के मूल वेतन और ४० रुपये के महंगाई भत्ते के क्रम को लूंगा। इसका योग १६१ रुपये होता है; इसके स्थान पर हमारा मूल वेतन १२५ रुपये है और ५५ रुपये का महंगाई भत्ता जो कुल मिलाकर १८० रुपये बनता है। दुर्भाग्य से 'वेस्टर्न इन्डिया' का वेतन-क्रम कुल १७० रुपये तक पहुंचने पर समाप्त हो जाता है जबकि हमारा वेतनक्रम २८५ रुपये तक जाता है। १२५ रुपये के बाद 'वेस्टर्न इन्डिया' का पुराना वेतनक्रम है १३० रुपये का मूल वेतन और ४० रुपये का महंगाई भत्ता जो कुल मिलाकर १७० रुपये बनता है। कारपोरेशन का वेतनक्रम निजी वेतन को छोड़ कर १३९ रुपये है जो महंगाई भत्ता जोड़ने पर १९४ रुपये बन जाता है तथा इस क्रम में मूल वेतन २२० तक बढ़ता है जो कुल मिलाकर २८५ रुपये बन जाता है। इसलिये 'वेस्टर्न इन्डिया' की ठीक प्रगति चल रही है।

और जहां तक 'यूनाइटेड इन्डिया', 'दी मद्रास कम्पनी' का सम्बन्ध है, 'मद्रास कम्पनी' में मूल वेतन १७०½ रुपये और ४६ रुपये का महंगाई भत्ता था जो मिलाकर कुल १५३½ रुपये बनता था, जबकि हमारे यहां कुल वेतन १५९ रुपये है। प्रत्येक मामले में यह वेतन कुल १५९ रुपये बन जाता है। और हमने उसे २८५ रुपये तक बढ़ाया है, अर्थात् २२५ रुपये और महंगाई भत्ता ५० रुपये मिलाकर उन्हें जो २७५ रुपये मिलते थे उसके स्थान पर हमने २२०—२८५ रुपये का वेतनक्रम रखा है।

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि किसी की हानि हुई है तो वह संरक्षण के कारण हुई है। 'ओरियन्टल' और 'न्यू इन्डिया' के बारे में स्थिति यह है कि इन समवायों में छोटा और बड़ा वेतनक्रम था। 'ओरिएन्टल' और 'न्यू इन्डिया' के दो वेतनक्रम थे, एक तो मुख्य कार्यालय के लिये और दूसरा शाखा कार्यालय के लिये। और स्वाभाविक है कि इनमें से कुछ समवायों में राजधानी में सेवायुक्त लोगों की संख्या अधिक थी। हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं। वास्तव में, वर्तमान वेतनक्रमों में—राजधानी और शाखा—इस प्रकार के अन्तर की कोई कल्पना नहीं की गई है। यदि मूल वेतन ५५ रुपये है तो वहां राजधानी में रहने के लिये वेतन २० रुपये है; इस प्रकार योग ७५ रुपये होता है; और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी मिलता है।

बात वास्तव में इस प्रकार है। मैं इसे बिलकुल स्वीकार करता हूं कि एक बात की जा सकती थी और मेरे मित्र भी वही चाहते हैं, अर्थात् हिन्दुस्तान कोआपरेटिव को आधार मानकर मुझे उनके जैसा वेतन सबको देना चाहिये। मेरा ख्याल है कि ऐसा करना उचित न होता। संभव है कि ऐसा करने से कुछ लोग अधिक वेतन प्राप्त करते। किन्तु मेरा ख्याल है कि ऐसा करना उचित न होता। और मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वही उचित बात है।

यह कहने में कोई सार नहीं है कि "आपने रिज़र्व बैंक को इतना रुपया दे दिया, कहीं अन्यत्र इतना रुपया दे दिया, यहां आपने इतना रुपया दिया; आदि।" मुझे संघ सरकार के वित्त मंत्री के नाते इन बातों पर विचार करना है मुझ इस बात पर विचार करना है कि स्वयं भारत सरकार के सेवानियोजन के अपने वेतनक्रम हैं, जैसे कि डाक और तार, रेलवे आदि विभागों में। किन्तु बात यहीं समाप्त नहीं होती। मेरा दायित्व यहीं समाप्त नहीं होता। मेरा दायित्व राज्य सरकारों के कर्मचारियों के प्रति भी है। इस समय मुझे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्मित नया वर्ग,—केन्द्रीय कर्मचारी, को ठीक करने के बारे में बहुत चिंता हो रही है और मेरा ख्याल है कि उक्त आयोग की यह कल्पना भ्रामक है। अब देखिये कि एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है जबकि दूसरा राज्य सरकार का कर्मचारी है, जो संभवतः वही काम करता है जो केन्द्रीय कर्मचारी करता है; किन्तु आधा वेतन पाता है। क्या इस प्रकार की परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं जिन्हें कि ठीक किया जाना आवश्यक है? क्या हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो यह सोचते हैं कि एक-सा काम करने के बाद भी उन्हें आधा वेतन मिलता है? क्या

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं चाहिये ? मेरे माननीय मित्र का कथन यह हो सकता है कि कोई शीलवती नारी एक बार भूल करने पर सदा के लिये असभ्य हो जाती है और उसी प्रकार यदि मैं कोई गलती करता हूं तो क्या मैं भी असभ्य हो जाऊंगा ? मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता ।

श्री साधन गुप्त ने ४० मिनट तक भाषण दिया है और उन्होंने आंकड़े देकर मुझे आतंकित करने की चेष्टा भी की है किन्तु मैं उन्हें यह बता दूं कि इस प्रकार आतंक जमाने से कभी लाभ नहीं होता । उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनका कोई आधार नहीं ।

हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं । निगम झूठ नहीं बोल रहा । वे आंकड़े मैंने तैयार नहीं किये हैं । परन्तु जो आंकड़े मेरे माननीय मित्र यहां उद्धरित करते रहे हैं, वे तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये हैं । यह मामला निगम का है ।

विचारणीय बात वास्तव में यह है । वहां पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके विरुद्ध मुझे कुछ भी नहीं कहना है । मैं तो यही चाहता हूं कि कर्मचारी सन्तुष्ट हों । यदि वे अपना काम ठीक तरह से करेंगे तो उससे निगम को सफलता प्राप्त होगी । परन्तु वे अपने एक मित्र को अप्रसन्न करके एक बड़ी भारी गलती कर रहे हैं । मैं उनसे नाराज़ नहीं हूं । वे चाहे जो भी करें, मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता । मैं मद्रास में स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूं । मेरा उसी नगर और उसी श्रेणी से सम्बन्ध है । मुझे इस बात का खेद है कि उन नवयुवकों ने व्यर्थ में जोर लगाने में अपने १½ घण्टे का समय नष्ट कर दिया । अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार से व्यर्थ में समय नष्ट कर दिया जाता है । श्री गोपालन ने यह शिकायत की है कि किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा था, परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला है । परन्तु उत्तर न देने के लिये उत्तरदायी कौन है ? मैं श्री गोपालन को बता देना चाहता हूं कि यह संगठन ही वास्तव में इसका उत्तरदायी है । वरिष्ट कर्मचारियों और अनुभवी कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि वे अपना काम पूरा करने में असमर्थ हैं । चैक नहीं भेजे गये हैं । खातों की किताबों को पूरा नहीं किया गया है । अनुस्मारक नहीं भेजे गये हैं । क्यों ? कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर भी काम पूरा नहीं किया जा रहा है । अभी बड़ा काम पड़ा हुआ है । इसका क्या कारण है ? इसका वास्तविक कारण यही है कि श्री साधन गुप्त जैसे व्यक्तियों का यह कहना है कि पहले उनकी मांगें पूरी की जायें । वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन नवयुवकों को उस समय अनुत्तरदायी बना दिया है जब कि उन्हें अपना काम करना चाहिये था । तो भी मैं उनके लिये आन्दोलन से नाराज नहीं हूं । मैं उनसे मिलने के लिये तैयार हूं । विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा लगाये गये सभी आरोप ग़लत हैं । मैं उनसे मिला हूं । ३० सितम्बर को जब मैं बम्बई में था, मैंने साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी दलों से मुलाकात की थी । मैं उनसे मिलने के लिये तैयार हूं, परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से मुझ से अनुचित लाभ न उठाया जाय । यह एक ऐसा कार्य है जिसे पूरा करना है और एक संघठन है जिसने उस कार्य को सफल बनाना है । इन लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करनी है । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को एक धेले की भी हानि नहीं होगी । यदि वे सेवा से निवृत्त कर दिये गये तो मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि उन्हें उतना ही उपदान दिया जाये जितना उस स्थिति में दिया जाता, जबकि समवाय के कार्य करते समय कोई निवृत्त होता है । मैं इन नवयुवकों को यह आश्वासन दे सकता हूं । मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि वेतन कम करने में ही विश्वास रखते हैं । यदि यह संभव हो कि हम उन्हें १०० रुपये का प्रारम्भिक वेतन दे सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी । वास्तव में यही हमारी इच्छा है । हमने जो वेतन निर्धारित किये हैं, वे यद्यपि बहुत उच्च नहीं हैं तो भी वे केन्द्रीय सरकार के वेतनक्रमों के मुकाबले में हैं, और केवल २५ प्रतिशत लोगों को ही कम वेतन मिल रहे हैं । मेरे पास पूरे-पूरे प्राक्कलन तो नहीं हैं परन्तु मुझे ऐसा बताया गया है कि लगभग एक लाख रुपया प्रतिमास खर्च आयेगा । इन लोगों का यह कहना है कि ९७ लाख रुपया खर्च आयेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग निगम के सम्बन्ध में वहां पर काम करने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक जानते हैं । यदि कुछ समय के उपरान्त बीमा निगम

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अच्छी प्रकार से चलने लगे और वह व्यापक आधार पर आधारित हो जाये तो उस समय वेतन बढ़ा देने में कुछ अधिक कष्ट न करना पड़ेगा। जब काम होगा तो लोगों को जल्दी से अनुस्मारक मिलेंगे, वे अपने चैक जल्दी से अभिस्वीकृत करेंगे, उनके दावों का जल्दी से निपटारा होगा और उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ाये जा सकेंगे। मुझे उसमें कोई आपत्ति न होगी। मैं उन ८० रुपयों के लिये ही बाध्य नहीं हूं जो कि हिन्दुस्तान सहकारी संस्था दिया करती थी। और न ही मैं इन ५५ रुपयों के बारे में वचनबद्ध हूं। मेरी उन निर्धन लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी है जो कि निर्धनता में मरे जा रहे हैं। विभिन्न वेतनक्रमों पर आधारित नये-नये वर्ग बना देने से क्या लाभ है? इन लोगों के लिये मैं कुछ न कुछ अवश्य करूंगा। आखिर किसी बीमा कर्मचारी, या बैंक कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के वेतन का आन्तरिक मजूरी व्यवस्था पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जायेगा तो उसके साथ ही गैर-सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। उस क्षेत्र में बढ़ाये गये वेतनों का सम्पूर्ण देश में दिये जाने वाले वेतनों के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। मैं यह तो नहीं कहता कि वे उस समय तक प्रतीक्षा करते रहें जब तक कि उनके वेतन नहीं बढ़ते। मैं बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या मैं उनके वेतन बढ़ा सकता हूं। मैं इसके लिये मुख्य मंत्रियों से भी बातचीत करने का प्रयत्न करता रहा हूं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के लिये अवश्य कुछ किया जाये। यह उनकी जिम्मेदारी है। कोई यूं कह सकता है कि यह केन्द्र की जिम्मेवारी नहीं है, परन्तु इसमें केन्द्र और राज्यों की जिम्मेवारियों का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें तो मानवता की सहायता करने का प्रश्न है, क्योंकि हम उन्हीं के लिये ही तो दिल्ली में सेवा कर रहे हैं। हम मंत्री बनकर अपने अन्य साथियों से कोई अलग या पराये नहीं बन गये हैं। हम यहां पर किसी प्रयोजन के लिये हैं, और वह यह है कि ये लोग नित्य प्रति उन्नति करें।

जहां तक मजूरियों अथवा वेतनों को, स्थिर आधारों पर निश्चित करने का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कहता कि मैं इससे सदा के लिये वचनबद्ध हूं। मैंने यह आश्वासन दिया है कि मैं इन लोगों के वेतनों को सुरक्षित करूंगा। सम्भव है कि कुछ और उपाय किये जा सकें, सम्भव है कि हम उन्हें फिर से वर्गों में विभाजित कर दें। हम उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और फिर उनके वेतन में दो-तीन रुपये बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ किया जा सकता है।

श्री गोपालन अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य ने कहा है कि 'बरसाती' कम्पनियों अथवा छोटी कम्पनियों में कोई व्यक्ति १४ वर्ष तक सेवा करने के बाद भी बेचारा १०० रुपये मासिक से अधिक वेतन नहीं पा सकता, जबकि किसी बड़ी कम्पनी में ४ वर्ष की सेवा के बाद ही कोई व्यक्ति २०० रुपये मासिक प्राप्त कर सकता है। जी हां, यह कुछ ईर्षा उत्पन्न करने वाला मामला है। सम्भव है कि हम उसे २०० रुपये न दिला सकें, परन्तु १६० रुपये दिला सकते हैं। परन्तु इस कार्य में हमारे सामने एक विशेष कठिनाई है। इम्पीरियल बैंक को अपने हाथ में लेकर उसे राज्य बैंक बना देना तो आसान है क्योंकि वह संस्था तो पहले ही काम कर रही थी, अतः उसे चलाये रखना आसान है। परन्तु यहां पर स्थिति ही और है। इसमें १८० संस्थायें एक ही रूप में इकट्ठी कर दी गई हैं। यह कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है और अमुक व्यक्ति बुरा है। और यह संभव भी है, क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति ओरियन्टल कम्पनी के प्रबन्धक के रूप में सफल सिद्ध हो गया था, वह इन सभी १८० कम्पनियों के प्रबन्धक के रूप में सफल सिद्ध न हो सके। किसी एक कम्पनी का कोई प्रवीण प्रबन्धक जो कि उस कम्पनी विशेष का समस्त कार्य खूब अच्छी प्रकार से चलाता रहा है, हो सकता है कि अब वह इतने अधिक कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों से काम कराने में इतना अधिक कार्य कुशल सिद्ध न हो। अतः यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि निगम का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है तो मैं कोई नये आदमी का तो निर्माण कर नहीं सकता। हमें तो उन्हीं लोगों द्वारा इस काम को कराना है, और उन्हीं लोगों को इस बड़ी संस्था का

सारा काम चलाना होगा। हमें चाहिये कि हम उन्हें अपनी कार्यदक्षता दिखाने के लिये कुछ समय दें। मेरे मुख्य सचिव इसी कार्य की ओर ध्यान दे रहे हैं। वे किसी अन्य कार्य की ओर ध्यान दे ही नहीं सकते। इस काम में मैं भी उनकी सहायता करने के लिये तैयार हूं। वे इसी कार्य को पूरा करने के लिये दिन-रात सारे देश का दौरा कर रहे हैं। मैं इसमें अब अपनी व्यक्तिगत सहायता भी दूंगा। लगभग एक वर्ष की अवधि तक इसकी प्रगति का मूल्यांकन करके फिर हम कोई और उपाय अपनायेंगे।

जहां तक क्षेत्र कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध है, श्री थानू पिल्ले ने यह पूछा है कि कार्य के अनुपात से वेतन पाने वाले[1] कर्मचारियों का क्या बनेगा। मैंने निगम को बता दिया है कि जब तक इसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता तब तक किसी भी वर्ग के किसी भी कार्यकर्ता को काम से अलग न किया जाये, अथवा उस पर कोई ऐसा निर्णय न लादा जाये जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक वर्ष के अन्त में सेवा से अलग करना हमारे लिये अनिवार्य हो। मैंने उन्हें एक वर्ष का समय इसलिये दिया है कि वे काम अच्छी तरह से करें। उनमें यदि कोई बुराई है तो वह एकदम तो सुधर नहीं सकती। २० वर्षों की बुराईयां एक ही वर्ष में तो ठीक होंगी नहीं। उन पर कुछ समय लगेगा। आप उन्हें समय दीजिये।

इससे पहले बहुत से शाखा प्रबन्धक थे; अब सभी को तो नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब जबकि उन सभी के स्थान पर एक संयुक्त संस्था बन गयी है तो उसके केवल कुछेक तो प्रदेश होंगे, कुछेक ही तो डिवीज़न होंगे, और शाखायें भी तो कोई बहुत अधिक नहीं होंगी। और फिर पुरानी कम्पनियों के सहायक शाखा प्रबन्धक भी तो होंगे। अतः इन सभी लोगों को कहीं न कहीं तो लगाना ही होगा। हो सकता है कि उन्हें जिस पद पर लगाया जाये, वह बहुत बड़ा न हो। सम्भव है कि उन्हें शाखा प्रबन्धक के पद पर नियुक्त न किया जा सके, उन्हें निरीक्षक, अधीक्षक अथवा किसी और स्थान पर लगा दिया जाये। परन्तु उन सभी को कहीं न कहीं नियुक्त अवश्य कर दिया जायेगा।

दूसरी बात भाई-भतीजावाद के सम्बन्ध में कही गई है। मैं पूछता हूं कि क्या वे सभी मेरे चचेरे भाई हैं? मैं तो एक ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखता हूं जिसमें बहुत से लोग अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, और अब बहुत थोड़े से लोग रह गये हैं। क्या वे सभी लोग जिन्हें नियुक्त किया गया है, वे मेरे मंत्रालय के सचिव के सम्बन्धी हैं? मैं नहीं समझता कि उस बेचारे का कोई सम्बन्धी है भी। मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं। उस दिन जब मैं मद्रास में था, एक नवयुवक अपनी पत्नी सहित मेरे पास आया। उसकी पत्नी का मुझ से कहीं दूर का सम्बन्ध था। उस युवक ने मुझे बताया कि उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिये वह निगम की सेवा छोड़ कर, फिर से गैर-सरकारी नौकरी प्रारम्भ करना चाहता है। मैंने उससे यही कहा कि वह अपने पत्र मेरे पास भेज दे, मैं उसके बारे में पूछताछ करूंगा। मैंने उस पर रिपोर्ट मांगी, क्योंकि मैं उस नवयुवक की सहायता करना चाहता था। परन्तु मुझे पता यह लगा कि उस व्यक्ति के साथ उसके अन्य साथियों की अपेक्षा बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था।

किन्तु फिर भी वह समझता है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने उन्हें बहुत क्षुब्ध होते हुए देखा। उन्होंने श्री साधन गुप्त की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। वे उनसे भी अधिक क्षुब्ध हो गये।

इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि इस प्रकार की संस्था में गलतियां होती हैं। कुछ मामलों में यह भी हो सकता है कि यदि क्षेत्रीय प्रबन्धक से सलाह देने को कहा जायेगा तो यदि वह ओरियन्टल कम्पनी का है तो वह ओरियन्टल कम्पनी के आदमी की सिफारिश करेगा। ऐसा इसलिये नहीं कि वह इससे सम्बन्धित है, बल्कि इसलिये कि वह जानता है वह अच्छा व्यक्ति है। यह बातें ठीक हो सकती हैं।

---

[1] Pro-rata.

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

लाल समिति की बैठक इस समय हो रही है। किसी ने मुझ से पूछा है कि जब लाल समिति की बैठक हो रही है तो आपने इन व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों की ? जी हां, यदि मैं लाल समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करता और एकीकरण न करता तो ऐसा भी हो जाता। मैं इससे सहमत हूं, यह एक तरीका था। हमें कम्पनियों के एकीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी तथा हम उन्हें उसी हालत में छोड़ देते तथा लाल समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कम्पनी को अपना काम करना होगा तथा अधिक व्यापार प्राप्त करना होगा तथा एकीकृत सार्थ में संगठनात्मक तत्व को तत्काल लाना चाहिये। इसलिये तदर्थ व्यवस्था की गई। यदि लाल समिति, जिसमें मैंने एक पर्याप्त अनुभवी बीमा व्यवसायी, एक राज्य-सभा का सदस्य शामिल किया है, यदि यह कहें कि ये बातें गलत हैं तो मैं कुछ अन्य कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा।

वस्तुत: मैं यह सोच रहा हूं कि यदि मैं इन व्यक्तियों के लिये अन्य क्षेत्र में जहां इन्हें अभी तक काम नहीं मिला, कोई काम न ढूंढ सकूं, तो इन लोगों को राष्ट्रीय बचत योजना में, जो इसी प्रकार की योजना है, क्यों न खपा लिया जाय। मुझे आशा है कि इन सेवायुक्त व्यक्तियों को मैं न केवल काम, तथा उनके योग्य उपयुक्त वेतन ही दे सकूंगा, अपितु यह भविष्य में भी नियोजन का बहुत बड़ा साधन बनेगा।

मैं उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जब कि प्रत्येक बड़े गांव में तथा किसी ग्राम समूह के प्रत्येक गांव में एक बीमा करने वाला व्यक्ति होगा, जिसे मैं कुछ वृत्ति दूंगा जो बीमा तथा राष्ट्रीय बचत का भी कार्य करेगा। बात ऐसी नहीं है कि हम ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं। हम इसे रोज़गार, सुरक्षा तथा बचत के सदुपयोग के साधन की व्यवस्था करने के रूप में सोच रहे हैं।

यदि भाई-भतीजावाद चल रहा है तो इस मामले पर गौर किया जायेगा। मेरे मित्र श्री अ० म० थामस बहुत क्षुब्ध हुए और उनका क्षुब्ध होना ठीक भी था। उन्होंने पूछा है——मैं स्वयं भी यह प्रश्न अपने से पूछ रहा हूं ——कि किसी व्यक्ति को, एक विशेष शाखा, संगठन, एक विभागीय संगठन को, वर्तमान मद्रास में एकीकरण करने के लिये इतना इच्छुक नहीं होना चाहिये जब कि पांच तालुक मद्रास राज्य में मिलने वाले हैं। साथ ही केरल का एकीकरण नहीं किया गया है तथा मलाबार को कोयम्बटूर के हाथों छोड़ दिया गया है। मैं इससे सहमत हूं कि यह गलत है और हमें इसे ठीक करना चाहिये। यदि इससे मेरे माननीय मित्र को प्रसन्नता होती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। यदि विभागीय संगठनों की रूपरेखा राज्यों की रूपरेखा की तरह होनी चाहिये तो ठीक है। हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा करना बहुत कठिन भी नहीं है। लेकिन इनकी रूपरेखा क्षेत्रों की भांति नहीं हो सकती है क्योंकि वस्तुत: संघटनात्मक क्षेत्र इस प्रकार का नहीं होगा जैसा कि हमने इस सभा में स्वीकृत किया है। वह क्षेत्र मद्रास, केरल, आन्ध्र तथा मैसूर का होगा न कि मैसूर बम्बई इत्यादि का। ऐसा किया जा सकता है, किन्तु मेरे माननीय मित्रों को बाद में ऐसा नहीं कहना चाहिये कि नहीं, इन्हें भारत सरकार के क्षेत्रों की तरह ही होना चाहिये। ये मामले बहुत कठिन हैं। यदि मेरे माननीय मित्र ऐसा अनुभव करते हैं कि केरल के दो भागों में बट जाने तथा उसके एक भाग के कोयम्बटूर में चले जाने तथा दूसरे भाग के केरल में रह जाने के कारण ही केरल की उपेक्षा की गई है तो मैं उसे पुन: ठीक कर सकता हूं। यह बहुत कठिन नहीं है। इसे ठीक करने के लिये सरकार की आलोचना करने या उस पर दोषारोपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं बोनस के प्रश्न को लेता हूं। श्री व० बा० गांधी ने भी यही प्रश्न पूछा है। संभव है कि कोई सरकारी फर्म या कम्पनी बोनस दे रही हो। मैं नहीं जानता कि चितरंजन फर्म बोनस दे रही है अथवा नहीं। थोड़ी सी राशि दी गई है हम उसे बोनस नहीं कहेंगे। यह राशि बहुत कम है। सामान्यत: सरकारी फर्में या अन्य व्यवसाय बोनस नहीं देते हैं। हमने इस समय यह किया है कि एक बीमे की योजना दी है यह उन्हें नि:शुल्क दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय केवल कर्मचारियों को लाभ देने का है तथा पालिसी होल्डरों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा ?

†**श्री ती० त० कृष्णमाचारी** : यह मामले का दूसरा पहलू है । यह कुछ मामलों में २८ दिन के वेतन के बराबर तथा कुछ मामलों में ४० दिन के वेतन के बराबर होगी । वस्तुतः यह एक महीने के बोनस के समान है । मेरा अभिप्राय, समुचित व्यवस्था हो जाने के उपरांत यथाशीघ्र ही, जीवन बीमा निगम के लिये एक सुविधा निधि को पृथक रखना है । इसका संचालन कर्मचारियों क द्वारा ही किया जायेगा । निगम के द्वारा अधिक धन तथा अधिक लाभ दिये जाने पर इस निधि में वृद्धि का होना संभव है । इसका संचालन कर्मचारियों के द्वारा ही किया जायेगा ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसे सफल बनाने की बहुत इच्छुक है । सरकार निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिये भी बहुत चिन्तित है । यदि आप मुझसे पूछें कि क्या आप उन लोगों को, जिन्हें बहकाया गया है तथा जो न केवल एक दिन काम से अनुपस्थित ही नहीं रहे, अपितु जिन्होंने अन्य लोगों को भी उपस्थित होने से रोका, दण्ड देंगे ? यह बहुत छोटी सी बात है । किन्तु वस्तुतः हड़तालों से कोई लाभ नहीं होता विशेषतः उस वर्ग को जो हड़ताल करना चाहते हैं ।

युक्तिपूर्ण आधार पर इससे कम कर्मचारियों से काम चल सकता है । बीमा निगम जैसी संस्था का यंत्रीकरण किया जा सकता है, काम की वृद्धि के साथ ऐसा करना आवश्यक होगा । मैं बीमा निगम में काम करने वाले अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि निःसंदेह निगम के संचालन में उनका महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन वे व्यापार प्राप्त नहीं करते हैं । क्षेत्रीय कर्मचारी ही व्यापार प्राप्त करते हैं । इसलिये उनके यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि हम लोग काम लाते हैं, इसलिये हमें यह या वह दिया जाय । तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं यह नहीं जानता हूं कि इन लोगों के लिये भी कुछ करना चाहिये । उन्हें सन्तुष्ट रखना चाहिये । किन्तु साथ ही मुझे अपने माननीय मित्र को यह भी बता देना चाहिये कि वह अभी युवक हैं । तथापि इन बातों से कोई लाभ नहीं होता है । वह संस्था जिसके वे उपप्रधान हैं, न केवल बीमा कर्मचारियों के लिये है, अपितु भारत के समस्त कर्मचारियों के लिये अहित कार्य कर रही है । यह उनके बीच अनुशासनहीनता पैदा कर रही है । जब उन्हें काम करना चाहिये, वह उन्हें काम करने से रोक रही है । वे सभी तरीकों से आन्दोलन कर सकते हैं, किन्तु नारों तथा जलूसों के द्वारा आन्दोलन नहीं होना चाहिये । हममें से प्रत्येक व्यक्ति से वे मिल सकते हैं । यदि कर्मचारी मुझ से मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे मिलने को तैयार हूं ।

वस्तुतः एक दिन रात्रि के समय मुझे यह सूचना दी गई कि मेरे मकान के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है । सात बज कर पैंतालीस मिनट पर मैं कार्यालय में था । मुझे यह बताया गया कि यदि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो कर्मचारी वहां ११ बजे रात्रि तक रहेंगे । मैं कार्यालय में सामान्यता देर तक ठहरता हूं, तथापि मैं उस दिन कुछ पहिले चला गया । उन्होंने मेरे सम्बन्ध में कई बातें कहीं । इसकी कोई बात नहीं । मेरा जीवन और मरण किसी और की इच्छा पर निर्भर है । कुछ नारों से न तो मैं एक दिन पूर्व मर सकता हूं, न उनसे मेरे जीवन की अवधि ही एक दिन बढ़ सकती है ।

मैंने उन चार युवकों से बातचीत की जो उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । वे हंसते हुए वापस चले गये क्योंकि कदाचित् उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति गम्भीरता अथवा कुपित होने के योग्य नहीं है अथवा उन्होंने यह सोचा होगा कि इसमें कुछ न कुछ प्राप्ति है । किन्तु मैं सभा के माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि कर्मचारी मुझ से मिलें तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कर्मचारी को संतुष्ट कर

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

सकता हूं। किन्तु मैं श्री साधन गुप्त को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह संतुष्ट होना नहीं चाहते हैं ।

मैंने अपने मित्रों के साथ काम किया है। ये लोग श्री साधन गुप्त से आयु में काफी बड़े हैं। उन दिनों में हमारी तरकीब यह होती थी : हड़ताल करो तथा थोड़ी बात मान कर समझौता कर लो। कुछ महीने पश्चात् फिर हड़ताल करो। कुछ भी हो श्रमिकों का नेतृत्व आपके हड़ताल करने की क्षमता, रियायत प्राप्त करने की क्षमता और रियायत समाप्त होते ही दूसरी हड़ताल कर अन्य रियायत प्राप्त करने पर निर्भर करती है। मैं यह तरकीबें जानता हूं क्योंकि उनसे मेरा सम्बन्ध रहा है। मैंने उन हड़तालों में उनका साथ भी दिया है तब मैं उनकी स्थिति में नहीं था। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे माननीय मित्र श्री साधन गुप्त एक के बाद एक प्रस्ताव रख सकते हैं तथा एक के बाद एक प्रश्न पूछ सकते हैं तथापि इससे इन लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें उत्तरदायिता से ही लाभ हो सकता है। उत्तरदायी व्यक्तियों की तरह उन्हें एक मेज के इर्द-गिर्द बैठ कर वार्ता करनी चाहिये। मैं इस प्रकार वार्ता करने को तैयार हूं। तथापि मैं ऐसा कहने का लाभ श्री साधन गुप्त को देने को तैयार नहीं हूं कि मैं वित्त मंत्री से यह रियायत प्राप्त कर सका हूं अथवा मुझे वित्त मंत्री से कोई रियायत नहीं मिल रही है।

†**श्री साधन गुप्त** : औचित्य प्रश्न पर क्या यह सारे आरोप लगाना उचित है मैं उनका विरोध करता हूं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह युवक उस समय पैदा हुआ जब कि झूठ का बोलबाला था। वह सच्चाई को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कोई बात नहीं है। मुझे दुख है कि मैंने उनके कुछ व्यक्तिगत अभाव की ओर संकेत किया है। किन्तु वस्तुस्थिति बहुत खराब है। यह युवक आकर हमें गालियां देता है, सरकार को डाकू, जेबकतरा तथा निर्लज्ज कहता है और मुझे उसे सहना होता है। मैं इस युवक की निर्लज्जता को आगे और बिलकुल नहीं सह सकता हूं। यदि श्री साधन गुप्त मेरे से कुछ रियायतें चाहते हैं तो उनका श्रेय उन्हें नहीं दिया जायगा।

श्री साधन गुप्त : मैं इसका श्रेय नहीं चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में इस प्रकार का द्वंद नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री के विरुद्ध कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। माननीय मंत्री भी इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करने की गलती कर गये हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे अब और कुछ नहीं कहना है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैंने सोचा था कि माननीय मंत्री श्री साधन गुप्त को समझायेंगे, तथापि वे स्वयं ही बहुत बहक गये हैं और दूसरे साधन गुप्त बन गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब स्थगित होती है तथा उसकी बैठक कल ११ बजे शान्तिपूर्ण वातावरण में पुनः होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन १९५३–५४ के अनुदानों और आधिक्य प्रकट करने वाले विनियोगों के विनियोग लेखों (असैनिक) की एक प्रति ।

(२) विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्य-वाही के निम्न विवरणों की एक एक प्रति :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ६ लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या १२ लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या २३ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
(६) अनुपूरक विवरण संख्या २६ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

(३) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अधीन एस० आर० ओ० संख्या ३०६८, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५६ की एक प्रति, जिसके अनुसार लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचन संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमावली १९५६ में कुछ संशोधन किये गये हैं ।

(४) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अधीन निम्नलिखित विमुक्ति घोषणाओं की एक एक प्रति :

(१) १/४१/५६ एफ० आई० दिनांक १० अगस्त, १९५६ (३ विमुक्तियां)
(२) १/४४/५६ एफ० आई० दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ (३ विमुक्तियां)
(३) १/४६/५६ एफ० आई० दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ (५ विमुक्तियां)
(४) १/५१/५६ एफ० आई० दिनांक १७ अक्तूबर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(५) १/५३/५६ एफ० आई० दिनांक ३० अक्तूबर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(६) १५/७२/५६ एफ० आई० दिनांक १ नवम्बर, १९५६ (९ विमुक्तियां)
(७) १/५४/५६ एफ० आई० दिनांक ६ नवम्बर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(८) १/५६/५६ एफ० आई० दिनांक १० नवम्बर, १९५६ (२ विमुक्तियां)
(९) १/५७/५६ एफ० आई० दिनांक ९ नवम्बर, १९५६ (१ विमुक्ति)
(१०) १/६३/५६ एफ० आई० दिनांक २८ नवम्बर, १९५६ (१ विमुक्ति)

(५) छावनी क्षेत्रों में भूमि प्रशासन—वर्तमान नियमों और आदेशों का पुनरीक्षण—के बारे में विवरण की एक प्रति

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७

सचिव ने लोक-सभा को यह सूचना दी कि संसद् के चालू सत्र में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर पिछले सप्ताह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है :

(१) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, १९५६,
(२) संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक, १९५६,
(३) रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक, १९५६ ।

राज्य-सभा से सन्देश ... ११६७

सचिव ने राज्य-सभा से निम्नलिखित छः संदेश प्राप्त होने की सूचना दी :

(१) कि लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।

(२) कि लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये लोक-प्रतिनिधित्व (चौथा संशोधन) विधेयक , १९५६ पर राज्य-सभा अपनी १३ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(३) कि लोक-सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५६ पर राज्य-सभा अपनी १३ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(४) कि लोक-सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर राज्य-सभा अपने १३ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(५) कि लोक-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर राज्य-सभा अपनी १४ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(६) कि लोक-सभा द्वारा ७ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक, १९५६ पर राज्य-सभा अपनी १४ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ...११६७–६८

छियालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ११६८–१२१०

गृह-कार्य, संचार, उत्पादन तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालयों सम्बन्धी वर्ष १९५६-५७ की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई और सारी मांगें स्वीकार कर ली गईं ।

पृष्ठ

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम और सेवा की अन्य शर्तें निश्चित करने के बारे में चर्चा १२१०–१२३४

श्री साधन गुप्त ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम और सेवा की अन्य शर्तें निश्चित करने के बारे में चर्चा आरम्भ की ।

मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे और चर्चा और मतदान, अनुपूरक तथा आधिक्य अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा और लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक पर विचार और उसे पारित करना ।

M54LSD—190—S1—23-4-58—GIPF.